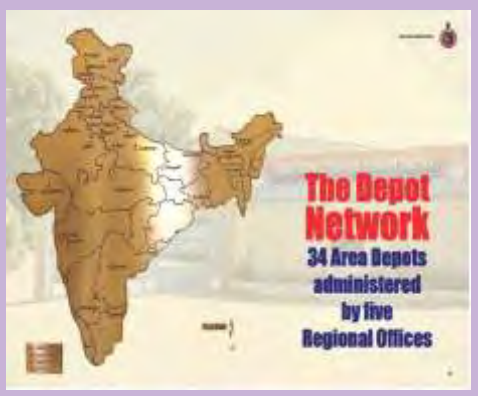

सत्यमेव जयते

कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं-थल सेना)
2016 की प्रतिवेदन संख्या-38
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं-थल सेना)
2016 की प्रतिवेदन संख्या-38
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैराग्राफ संख्या	विवरणी	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	vii-xiii
I	**अध्याय I - परिचय**	**1-5**
1	परिचय	1
1.1	संगठनात्मक संरचना	2
1.2	सीएसडी का व्यापार संचालन एवं नेटवर्क	3
1.3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3
1.4	लेखापरीक्षा का उद्देश्य	4
1.5	लेखापरीक्षा के मापदंड	4
1.6	लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली	5
1.7	आभार	5
II	**अध्याय II - व्यापारिक प्रचालन**	**6-15**
2	व्यापारिक गतिविधियाँ	6
2.1	वस्तुओं की प्रस्तावना	6
2.1.1	आयातित वस्तुओं की प्रस्तावना	7
2.2	बेस डिपो मुम्बई की अनार्थिक कार्यचालन	8
2.2.1	बेस डिपो के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन के कारण सीएसडी उपभोक्ताओं पर कर का अतिरिक्त बोझ	9
2.2.2	इन्टर डिपो हस्तांतरण (आईडीटी) के फार्म 'एफ' के विलंब से प्राप्ति के परिणामस्वरूप वॅट वापसी दावों में रूकावट आना	10
2.2.3	आपूर्तिकर्ताओं से बकाया किराया रियायत की वसूली न हो पाना	11
2.2.4	₹ 6.12 करोड़ के लागत से प्राप्त की गई जमीन का प्रयोग न किया जाना	11
2.3	सीएसडी कीसूचीबद्ध वस्तुओं से एरिया डिपो का अनभिज्ञ होना	12
2.3.1	इन्कार का उच्च प्रतिशत	13
2.4	एकीकृत कैंटीन भंडार विभाग पद्धति को संपूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	14
III	**अध्याय III - मूल्य निर्धारण नीति तथा वस्तुओं की गुणवत्ता**	**16-29**
3	मूल्य निर्धारण नीति	16
3.1	अनुचित तरीके से वस्तुओं/चीजों की कीमतों का निर्धारण किया जाना	16
3.1.1	क्लियरिंग प्रभार	17
3.1.2	सीएसडी में शराब की कीमतों के निर्धारण में अनियमितता	18
3.2	कीमत के संशोधन में अनियमितता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ	21
3.2.1	कीमत में विभिन्नताओं को निगरानी करने के लिए तंत्र का अभाव	21
3.2.2	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों की गिरावट को कार्यवृत्त करने में विलंब	22

3.2.3	सीएसडी का मूल्यों में गिरावट/वस्तुओं को एक से एक प्रतिस्थापन की मंजूरी प्रदान करने में विलंब	23
3.3	गुणवत्ता नियंत्रण	24
3.3.1	निर्धारित समय-सीमा में खाद्य एवं शराब की वस्तुओं का परीक्षण न किया जाना	25
3.3.2	पुष्टिकारक परीक्षण के बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का ग्रहण किया जाना	26
3.3.3	तुलनात्मक परीक्षण किए बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का मंजूरीकरण	27
3.3.4	प्रायोजित आयु कि सत्यता को जाँचे बिना यूआरसी को वस्तुएँ जारी करना	28
IV	**अध्याय IV - वित्तीय संचालन**	**30-50**
4	वित्तीय रिपोर्टिंग	30
4.1	टर्नओवर व लाभप्रदता	30
4.2	कुछ मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण न किया जाना	31
4.3	बकाया विविध लेनदार एवं देनदार	31
4.3.1	विविध लेनदारों का गलत लेखांकन	31
4.3.2	खातों में विविध देनदारों का गलत चित्रण	33
4.4	आग/प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हानि को वार्षिक लेखों में लेखांकन न किया जाना	34
4.5	मात्रात्मक छूट (क्यूडी)	35
4.5.1	उपभोक्ताओं के लिए मात्रात्मक छूट के लाभ को नकारना	35
4.6	कैंटीन व्यापार अधिशेष (सीटीएस) से अनुदान सहायता की संवितरणी	36
4.6.1	लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किए बगैर सीटीएस की संवितरणी	39
4.7	सीएसडी द्वारा पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के लाभों का अप्राधिकृत भुगतान	41
4.8	वॅट का प्रबंधन	43
4.8.1	लंबे समय से बकाया वॅट वापसी दावे	44
4.8.2	राज्य सरकारों द्वारा ₹ 43.47 करोड़ के वॅट वापसी दावों को अस्वीकृत किया जाना	45
4.8.3	वॅट रिटर्न के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण दंड की उगाही	45
4.8.4	वॅट अधिसूचना के अकार्यान्वयन के कारण ₹ 36.05 करोड़ का नुकसान	46
4.8.5	वॅट की गैर वसूली के कारण हानि	47
4.8.6	अतिरिक्त वॅट प्रभार एवं अपने ही निधि में सांविधिक उगाही का समायोजन	48
V	**अध्याय V - आंतरिक नियंत्रण**	**51-57**
5	आंतरिक नियंत्रण	51
5.1	लेखा विधि तथा आंतरिक लेखापरीक्षा	51
5.1.1	सहायक वाऊचरों के बिना लेखों का संकलन	51
5.1.2	वार्षिक लेखों का प्रमाणन	52
5.1.3	हितों में विवाद के परिणामस्वरूप कमज़ोर सतर्कता नियंत्रण	53
5.2	स्मार्ट कार्ड को जारी करने पर नियंत्रण	53

5.3	स्थानीय बाज़ार के लिए सीएसडी भंडारों की चोरी	55
5.4	निम्न प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित सीमा से अधिक शक्तियों का उपयोग करना	56
VI	**अध्याय** VI - **यूनिट रन कैंटीन की लेखापरीक्षा**	**58-69**
6	यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) की लेखापरीक्षा	58
6.1	मूल्य निर्धारण के मुद्दे – अधिक लाभ मार्जिन को भारित करना	59
6.2	यूआरसी के द्वारा वॅट संबंधी मामलों में विसंगतियाँ	60
6.3	मात्रात्मक छूट के लेखाकरण में अनियमितताएँ	61
6.3.1	उच्चतर फार्मेशन को मात्रात्मक छूट का अनियमित हस्तांतरण तथा यूआरसी द्वारा गलत प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	62
6.3.2	विभिन्न अनाधिकृत कार्यों के लिए मात्रात्मक छूट से व्यय करना	63
6.4	अधिकृत मात्रा से अधिक शराब का आहरण किया जाना	64
6.5	यूआरसी में सेवा कार्मिकों की तैनाती	65
6.6	यूआरसी द्वारा आवासों के किरायों का भुगतान न करना	66

	अनुलग्नक	71-79
	अनुलग्नक "**ए**" इस रिपोर्ट के **पैरा 1.3** में संदर्भित	71
	अनुलग्नक "**बी**" इस रिपोर्ट के **पैरा 4.6.1** में संदर्भित	72
	अनुलग्नक "**सी**" इस रिपोर्ट के **पैरा 4.8** में संदर्भित	73
	अनुलग्नक "**डी**" इस रिपोर्ट के **पैरा 2.2 एवं 4.8.1** में संदर्भित	74
	अनुलग्नक "**ई**" इस रिपोर्ट के **पैरा 6.1** में संदर्भित	75
	अनुलग्नक "**एफ**" इस रिपोर्ट के **पैरा 6.3.1** में संदर्भित	76
	अनुलग्नक "**जी**" इस रिपोर्ट के **पैरा 6.3.1** में संदर्भित	77
	अनुलग्नक "**एच**" इस रिपोर्ट के **पैरा 6.3.1** में संदर्भित	78
	अनुलग्नक "**आई**" इस रिपोर्ट के **पैरा 6.5** में संदर्भित	79
	संक्षिप्तियाँ	80-84

प्रस्तावना

कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) सेवा कर्मियों तथा रक्षा असैनिकों को बाज़ार से कम दामों पर गुणवत्तायुक्त उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी है। छः दशक पहले हुई एक मामूली शुरूआत से, सीएसडी में वर्ष 2015-16 अवधि के दौरान ₹ 15000 करोड़ से ज़्यादा की वार्षिक टर्न-ओवर के साथ तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। आज की तारीख में सीएसडी के साथ पंजीकृत उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या 5500 से अधिक है। सीएसडी अपने एक बेस डिपो तथा 34 एरिया डिपो की श्रृंखला के ज़रिए एक थोक विक्रेता के रूप में कार्य करता है तथा खुदरा प्रचालन लगभग 4000 युनिट रन कैंटीन (यूआरसी) के माध्यम से चलाए जाते हैं। ये युनिट रन कैंटीन जिसमें कुछ बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, इन वस्तुओं को अंततः लाभार्थियों को बेच देती है।

विभाग के अधिदेश तथा दायित्व को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2015 से नवंबर 2015 तक "कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिससे कि यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि सीएसडी अपने इस आदर्श उद्देश्य को अधिकतम उपभोक्ता माँग संतुष्टि के साथ पूरा करने में समर्थ था। प्रणाली संबंधी कमियों को रेखांकित करते हुए तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिशें करते हुए, यह रिपोर्ट डिपो एवं यूआरसी के प्रचालनों में समग्र सुधार लाने का प्रयास करती है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए की गई है तथा यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार की गई है।

कार्यकारी सारांश

1. निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य

कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2008-09 अवधि के दौरान की गई थी एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 में प्रस्तुत की गई थी। इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित किया गया जिनमें व्यापारिक प्रचालन तथा वित्तीय प्रबंधन में विसंगतियाँ, अनुचित मूल्य निर्धारण नीतियाँ तथा अपर्याप्त भंडारण शामिल थे। लेखापरीक्षा में रिकार्डों को दिखाने की अस्वीकार्यता के कारण सीएसडी की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करने वाली यूनिट रन कैंटीन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। लोक लेखा समिति (पीएसी), ने अपनी सिफारिशें इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी 48वीं तथा 75वीं रिपोर्ट में दी।

मंत्रालय द्वारा पीएसी तथा कार्रवाई टिप्पणी में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए "कैंटीन भंडार विभाग" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। व्यापारिक प्रचालनों, वित्तीय प्रबंधन, सीएसडी द्वारा अधिप्राप्ति तथा भंडारों की कीमत निर्धारण के अलावा, हमने सीएसडी के प्रचालनों की तुलना में यूआरसी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसके कार्यचालन पर भी ध्यान दिया।

2. महत्वपूर्ण निष्कर्ष

वस्तुओं की प्रस्तावना

आपूर्तिकर्ताओं के निवेदन पर सामान्यत: सीएसडी वस्तुओं को प्रस्तावित किया जाता है। तथापि, वस्तुओं को प्रस्तावित करने से पहले सीएसडी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा रूचि को जानने में असफल रही। बाज़ार सर्वेक्षण तथा गुणवत्ता जाँचे बिना तथा आयातकर्ता और प्रधान उत्पादक के बीच हुए अनुबंध की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना आयातित वस्तुओं को प्रस्तावित किया गया। **(पैरा 2.1 तथा 2.1.1)**

बेस डिपो का अनार्थिक कार्यचालन

पीएसी ने सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए इच्छा व्यक्त की थी ताकि न तो सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव पड़े और न ही मूल्य वर्धित कर (वॅट) के भुगतान में भारी रूकावट या विलंब हो।

हमने देखा कि डिपो का वाणिज्यिक प्रचालन अनार्थिक रूप से किया जा रहा था। ₹ 485.47 करोड़ की वॅट वापसी पर रूकावट तथा उपभोक्ताओं पर ₹ 43.89 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बेस डिपो के ऊपर अत्यधिक निर्भरता के कारण हुआ। **(पैरा 2.2 से 2.2.3)**

इंकार का उच्च प्रतिशत

वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान 11 एरिया डिपो में की गई संवीक्षा यह निर्दिष्ट करती है कि यूआरसी द्वारा माँगी गई वस्तुओं के इन्कार 7.17 से 25.42 प्रतिशत के बीच थे जिन्होंने उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर प्रभाव डाला। **(पैरा 2.3.1)**

अनुचित तरीके से वस्तुओं/चीजों की कीमतों का निर्धारण करना

सीएसडी मूल्य संरचना में विभिन्न आकस्मिक प्रभारों के रूप में बीमा प्रभार, किराया प्रभार और क्लियरिंग प्रभारों को अपनी व्यय राशि से अधिक भारित कर रही थी जिससे उस हद तक दरों के लाभ में कम गिरावट आ गई। इसके अतिरिक्त, अपने मुनाफों का आकलन करते समय सीएसडी शराब के आबकारी शुल्क पर भी, जो एक स्थानीय लेवी है, लाभ को भारित कर रही थी जिसके कारण देश भर में स्थानीय लेवी को छोड़कर बिक्री की कीमतों की एकरूपता जैसा कि मूल्य निर्धारण नीति में परिकल्पित था को हासिल नहीं किया जा सका।
(पैरा 3.1 से 3.1.2)

कीमतों के संशोधन में अनियमितता के परिणामस्वरूप उपभोक्तोओं पर अतिरिक्त बोझ

सीएसडी इन्वैंट्री में रखी गई वस्तुओं की कीमत में आई भिन्नता की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र या प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया इसलिए आपूर्तिकर्ता कीमतों के गिरावट से प्राप्त होने वाले लाभ को सीएसडी को टालने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमत संशोधन पर अंतिम निर्णय/अनुमोदन मिलने में विलंब के कारण कीमत की गिरावट की ₹ 6.61 करोड़ राशि जिसे आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया, का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया जा सका। इसी प्रकार, निश्चित माँग (एएफडी-I) वस्तुओं की एक के प्रति एक प्रतिस्थापना की स्वीकृति में विलंब के कारण, नवीनतम/संशोधित उपकरणों के साथ कीमत में आई ₹ 2.63 करोड़ की राशि गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं था।
(पैरा 3.2.1 से 3.2.3)

गुणवत्ता नियंत्रण

समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं (सीएफएल) द्वारा ही परीक्षण को सीमित रखने के कारण एवं वस्तुओं की गुणवत्ता जाँच के लिए अतिरिक्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की गैर-पहचान के कारण सीएसडी निर्धारित नीति के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण कराने में असफल रहा। पीएसी को आश्वासन देने के बावजूद निर्धारित चक्र तहत सीएसडी को आपूर्ति की गए वस्तुओं का परीक्षण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, सीएसडी परीक्षण की रिपोर्टों की निगरानी तथा समयानुसार प्राप्ति को सुनिश्चित करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण का उद्देश्य ही विफल हो गया। सीएसडी द्वारा भारत के खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकारी (एफएसएसएआय) को दिए हुए आश्वासन की वचनबद्धता कि वो अपने नियंत्रण के तहत सभी यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) द्वारा एफएसएसए के नियमों तथा अधिनियमों के पालन को सुनिश्चित करा रहा है, अपने आप में संदिग्ध है क्योंकि डिपो स्वयं निर्धारित गुणवत्ता जाँच को बनाए रखने में असमर्थ रहे हैं। **(पैरा 3.3 से 3.3.4)**

कैंटीन व्यापार अधिशेष से प्राप्त अनुदान सहायता की संवितरणी

यद्यपि मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिक तौर पर सेवा कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुदान सहायता की संवितरणी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, फिर भी दिशा-निर्देशों/जीएफआर के पालन न करने संबंधी मामलों को जैसे कि सरकारी विभागों जैसे सीएसडी, कैंटीन सेवाओं का नियंत्रण बोर्ड (बीओसीसीएस) तथा रक्षा मंत्रालय के लिए अनुदान की मंजूरी, दिशा-निर्देशों में निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अनुदानों का प्रयोग, निधि का लाभ लेने हेतु लाभार्थियों द्वारा गलत प्रमाणपत्रों को जारी किया जाना, अनुप्रयुक्त अनुदान की गैर वापसी इत्यादि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखों में शुद्ध मुनाफ़ा के गलत चित्रण को महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ (डीजीएडीएस) द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र में इंगित किया गया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कैंटीन व्यापार अधिशेष (सीटीएस) डीजीएडीएस द्वारा प्रमाणित किए गए लेखों पर आधारित नहीं थे जिसके फलस्वरूप सेवाओं को अतिरंजित सीटीएस की संवितरणी की गई।

(पैरा 4.6 तथा 4.6.1)

सीएसडी द्वारा पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के लाभों का अप्राधिकृत भुगतान

1989 के संस्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया का उल्लघंन करते हुए सीएसडी ने अपने कर्मचारियों को पेंशन तथा सेवा निवृत्ति की सुविधाओं का भुगतान किया तथा इन्हें 'सरकार से देय' के रूप में प्रतिबिंबित किया। इसके अतिरिक्त, सीएसडी ने कर्मचारियों से वसूल की गई जीपीएफ के अंशदान को सरकार के साथ जमा नहीं कराया बल्कि जीपीएफ के अंशदान पर ब्याज़ को 'सरकार से देय' के रूप में प्रतिबिंबित किया। **(पैरा 4.7)**

वॅट का प्रबंधन

विभिन्न राज्य सरकारों की वॅट अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में विसंगतियों के परिणामस्वरूप वॅट वापसी दावों के लंबे बकाए (₹ 1001.97 करोड़) के कारण सरकारी निधि में रूकावट, राज्य सरकारों द्वारा वॅट की अस्वीकृति (₹ 43.47 करोड़), गलत वॅट रिटर्न के जमा होने पर दंड तथा उचित रूप से वॅट अधिसूचना का अक्रियान्वयन (₹ 23.77 करोड़) देखा गया। इसके अतिरिक्त, सीएसडी थोक विक्रय मूल्य को आकलन करते समय वॅट राशि को शामिल करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.78 करोड़ का नुकसान हुआ।

(पैरा 4.8)

हितों में विवाद के परिणामस्वरूप कमज़ोर सतर्कता नियंत्रण

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, सीएसडी मुख्यालय में खरीद अधिकारी, सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। डिपो द्वारा जारी भंडारो की मात्रा को यूआरसी के लेखों के साथ मिलान करने के बावजूद सीएसडी यूआरसी से भंडारों के लीकेज का पता लगाने में असफल रहा।

(पैरा 5.1.3 तथा 5.3)

यूआरसी के द्वारा वॅट संबंधी मामलों में विसंगतियाँ

वॅट के क्रियान्वयन में आई कई विसंगतियाँ जैसे कि राज्य वाणिज्य कर विभाग के साथ अपंजीकरण तथा वॅट का अक्रियान्वयन, रियायती वस्तुओं पर वॅट के एकत्रीकरण को देखा गया।

(पैरा 6.2)

मात्रात्मक छूट (क्यूडी) के लेखाकरण में अनियमितताएँ

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों का पालन किए बिना क्यूडी राशि को संस्वीकृत किया जा रहा था तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था जैसा कि उच्चतर फार्मेशन के लिए ₹ 29.49 करोड़ का हस्तांतरण, निधि का पूर्ण प्रयोग किए बिना प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (यूसी) को प्रस्तुत करना तथा उनके खातों में (₹ 10.11 करोड़) अव्ययित राशि को बनाए रखना। **(पैरा 6.3 तथा 6.3.1)**

शराब के आहरण में अनियमितताएँ

20 यूआरसी में पात्रता की तुलना में शराब का अधिक आहरण जो कि 5,14,369 यूनिट तक था और ₹ 100 प्रति रम बोतल की न्यूनतम दर पर ₹ 5.14 करोड़ के मूल्य का था, को देखा गया जिसका खुले बाज़ार में अवैध रूप से विक्रय हो सकता है। **(पैरा 6.4)**

महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. चूँकि सीएसडी 5548 वस्तुओं को धारित कर रहा है जिसमें पिछले छः वर्षों में 3035 वस्तुएँ प्रस्तावित की गई, उपभोक्ताओं की जरूरत एवं सामान की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए, नई वस्तुओं को प्रस्तावित करने के लिए एक व्यापक नीति की तत्काल आवश्यकता है।

2. अपने अनार्थिक कार्यचालन एवं संभार तंत्र तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रियकृत बेस डिपो की उपयोगिता का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

3. मंत्रालय द्वारा सीएसडी एवं यूनिट रन कैंटीनों (यूआरसी) में आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी यंत्रणा बनायी जाए ताकि भारत के खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकारी तथा अंततः उपभोक्ताओं के साथ वचनबद्धता को पूरा किया जा सके।

4. एक वाणिज्यिक संगठन होने के कारण सीएसडी को वाणिज्यिक प्रचालन करने वाले संगठनों के सदृश्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं सहित लेखांकन नीतियों के एक समूह को अपनाना चाहिए। मंत्रालय को सीटीएस की संवितरणी की मंजूरी देने से पहले सीएसडी के वार्षिक लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को विचार में लेना चाहिए।

5. क्यूडी के रूप में मुनाफे की हिस्सेदारी करने के बजाय मंत्रालय को सीएसडी (मुख्यालय) को मुनाफे की मार्जिन को कम करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए जिससे उसका लाभ अंततः उपभोक्ताओं को मिल सके।

6. नियमित एवं तदर्थ अनुदान सहायता की स्वीकृति को पारदर्शी करना चाहिए तथा जीएफआर में परिकल्पित ब्योरेवार प्रस्तावों के आधार पर मंज़ूरी दी जानी चाहिए। इन अनुदानों को सिर्फ लाभार्थियों के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए एवं इन अनुदानों का विचलन या दुरुपयोग करने पर मंत्रालय से पुनः मिलने वाले अनुदान के लिए उसे पाने वाले को अपात्र ठहराया जाना चाहिए।

7. रक्षा लेखा नियंत्रक, (सीएसडी) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन योगदान, जीपीएफ अंशदान एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों का समूह बीमा योजना को सरकार को जमा करना चाहिए। मंज़ूरीकृत लेखा प्रक्रियाओं के अनुसार पेंशन एवं दूसरे सेवा निवृत्ति लाभों को कोषागारों/रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय या बैंकों के द्वारा संवितरित किया जाना चाहिए।

8. सीएसडी जो कि वाणिज्यिक सिद्धांतो पर चल रहा एक पैन इंडिया संगठन है, मंत्रालय को केंद्र सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार सीएसडी (मुख्यालय) में एक निष्ठावान सतर्कता अधिकारी सहित सतर्कता विभाग शीघ्र तैयार करने की आवश्यकता है।

9. स्मार्ट कार्डों के जारी/रद्द करने का कार्य सीएसडी निदेशालय द्वारा केंद्रीय रूप से मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस सुविधा के संभाव्य दुरूपयोग से बचा जा सके। साथ ही कार्ड के दुरूपयोग के मामले का शीघ्र ही निपटान किया जाए ताकि यह दूसरे के लिए एक उदाहरण बन जाए। सीएसडी स्मार्ट कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेनदेन की उनके लाभार्थी को सूचना देने के लिए एक तंत्र को तैयार करे ताकि जालसाज़ खरीदी के दुरूपयोग के खतरे को कम कर सके।

10. चूँकि मात्रात्मक छूट के रूप में वित्तीय सहायता, रक्षा सेवाओं द्वारा समर्थित सेवा कर्मियों की तैनाती तथा यूआरसी को नाममात्र किराया/किराया मुक्त आवास उपलब्ध करवाया जाता है, पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में दी गई, यूआरसी को संसद की जवाबदेही व्यवस्था में लाने की सिफारिश दोहराई जाती है।

11. मंत्रालय/सीएसडी को उस यंत्रणा को मजबूत बनाना चाहिए जिसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकृत तैनाती के अनुसार ही शराब को यूआरसी को विक्रय किया गया है जिससे कि सिविल मार्केट में इसके लीकेज को रोका जा सके तथा आबकारी शुल्क विभाग द्वारा स्वीकृत की गई सीमा के साथ माँग का मिलान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत तैनाती पर नहीं बल्कि वास्तविक तैनाती के आधार पर शराब से संबंधित लायसेंस लिए जाने चाहिए।

अध्याय – I
परिचय

1 परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत के साथ, सरकार ने कैंटीन सेवाओं को अपने अधीन करते हुए 1 जुलाई 1942 में उसकी स्थापना की जिसे 1948 में कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) के रूप में पुनर्नामित किया गया। चूंकि ठेकेदारों द्वारा खुदरा व्यापार चलाया जा रहा था, यूनिट या फार्मेशन द्वारा ठेकेदारों से कैंटीन के दायित्वों को अपने अधीन लेने के लिए तीनों सेवाओं द्वारा संयुक्त रूप से इस मुद्दे को लिया गया जिससे कि, सैनिकों के कल्याण के लिए यूनिट/फार्मेशन के अंदर ही कैंटीन भंडारो के विक्रय से मिलने वाले मुनाफे को बरकरार रखा जा सके। सरकार द्वारा प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई और इस तरह यूनिट द्वारा संचालित कैंटीन (यूआरसी) की संकल्पना अस्तित्व में आई। सीएसडी से प्राप्त होने वाली निधि को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) के साथ विलय के पश्चात सीएसडी 1 अप्रैल 1977 से रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अधीन एक सुसज्जित संगठन बन गया।

अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, सीएसडी रक्षा मंत्रालय से विभिन्न 'शीर्षों' के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आबंटन प्राप्त करती है तथा साप्ताहिक आधार पर रक्षा लेखा नियंत्रक (सीडीए), सीएसडी के द्वारा निधि को निर्गमित किया जाता है। दैनिक आधार पर एरिया डिपो द्वारा सीएसडी की विक्रय प्राप्ति को सीएफआई में जमा किया जाता है। व्यवसायिक कार्यों एवं प्रशासन के लिए व्यय करने हेतु डिपो को समर्थ बनाने के लिए सीडीए (सीएसडी) द्वारा मुहैया करवाई गई निधि में से डिपो प्रबंधक को आवश्यकता अनुसार पेशगी प्रदान की जाती है। पिछले छः वर्षों के दौरान आबंटित तथा व्यय हुई राशि का सारांश नीचे तालिका 1 में ब्योरेवार दिया गया है:

तालिका 1: पिछले छः वर्षों के दौरान सीएसडी को आबंटित एवं व्यय की गई राशि का ब्योरा **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	बजट आकलन (बी ई)	संशोधित आकलन (आर ई)	संशोधित विनियोजन (एम ए)	वास्तविक व्यय (ए ई)	अव्यय प्रावधान (एमए-एई)
2010-11	8568.85	8570.03	8581.03	8198.51	382.52
2011-12	8573.92	10466.18	10366.81	10327.55	39.26
2012-13	11509.41	10795.23	10791.01	10769.65	21.36
2013-14	11910.88	12336.07	12336.07	12291.54	44.53
2014-15	11256.49	14255.92	14252.55	14203.83	48.72
2015-16	14306.06	17386.28	14232.90	14215.87	17.03

"सशस्त्र सेवा सेवार्थ" के सिद्धांत अनुसार सेवा कार्मिकों, रक्षा सिविलियनों तथा अन्य लाभार्थियों[1] को बाज़ार दर की तुलना में सस्ते दर पर गुणवत्ता युक्त उपभोक्ता वस्तुओं को मुहैया करवाना ही

[1] **अन्य लाभार्थी:** तटरक्षक बल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बार्डर रोड संगठन एवं असम राइफल्स।

सीएसडी का कार्य है। 4167 यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी), जिसमें कुछ बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, के नेटवर्क के द्वारा सीएसडी अपने सभी लाभार्थियों की माँग को पूरा करता है। मार्च 2016 तक सीएसडी में सूचीबद्ध उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या 5548 थीं। वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसडी का विक्रय ₹ 15781.37 करोड़ हुआ था।

1.1 संगठनात्मक संरचना

संगठन के शीर्ष में एक नियंत्रण बोर्ड, कैन्टीन सेवाएँ (बीओसीसीएस) है, जिसके सभापति रक्षा मंत्री होते हैं। बीओसीसीएस सीएसडी के लिए समग्र नीतियों को बनाती है और मुनाफों के संवितरण के लिए सरकार को सलाह देती है। बोर्ड को एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो हर तिमाही में सीएसडी के प्रकार्य की समीक्षा करती है।

सीएसडी का प्रबंधन प्रशासन बोर्ड (बीओए) के हाथों में निहित होता है, जिसमें सभापति के रूप में महाप्रबंधक (जीएम) एवं रक्षा मंत्रालय (वित्तीय), सेना मुख्यालय (क्वार्टर मास्टर जनरल (क्यूएमजी) शाखा), वायु सेना एवं नौसेना के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।

महाप्रबंधक सीएसडी के दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होते हैं एवं क्यूएमजी के जरिए बीओसीसीएस को वे रिपोर्ट करते हैं। सीएसडी का संचालन मुंबई स्थित उसके मुख्य कार्यालय, पाँच मंडलीय (आंचलिक) कार्यालयों एवं पूरे देश में फैले हुए 34 एरिया डिपो तथा मुंबई स्थित बेस डिपो द्वारा होता है जिन्हें चार्ट-1 में दिखाया गया है:

चार्ट 1: सीएसडी की संगठनात्मक संरचना

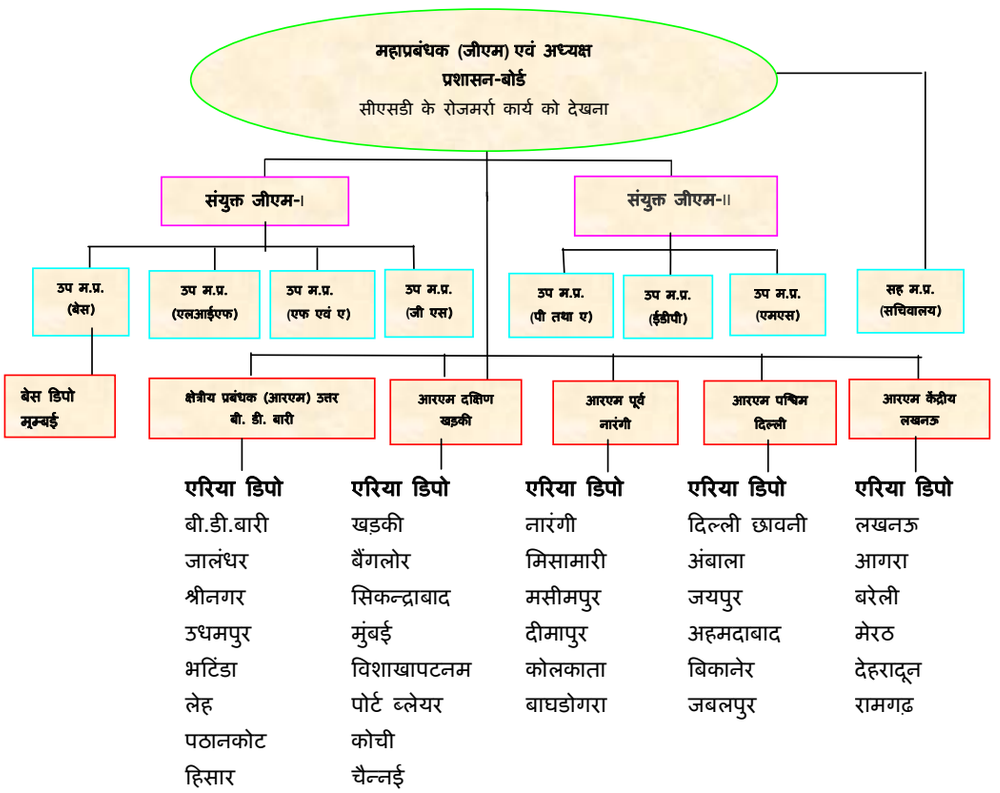

सीएसडी द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों तथा उसकी कार्यपद्धति के पुनरीक्षण को तीन स्तरीय समितियों की संरचना के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इन समितियों के कार्य, दायित्व एवं बनावट को नीचे चार्ट 2 के द्वारा सार रूप में दर्शाया गया है:

चार्ट 2: समितियों के कार्य, दायित्व तथा बनावट

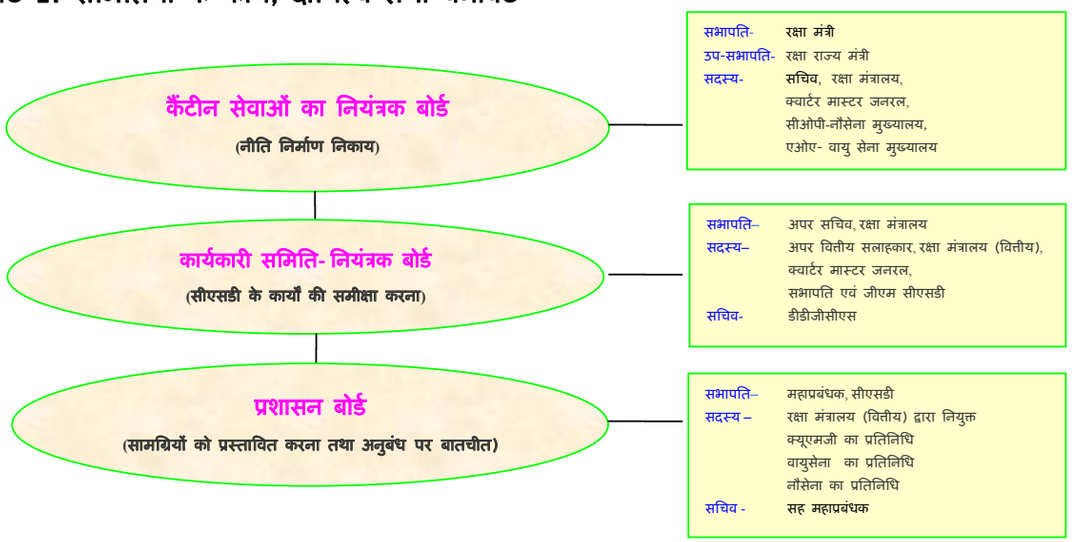

1.2 सीएसडी का व्यापार संचालन एवं नेटवर्क

उपभोक्ता वस्तुओं जिन्हें सामान्य भंडार (जीएस) सामग्री, शराब, खाद्यान्न व निश्चित माँग[2] (एएफडी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बाजार के सर्वेक्षण के बाद तथा बीओए द्वारा अनुमोदन के पश्चात सीएसडी की इन्वैंट्री सूची में शामिल किया जाता है। सीएसडी संबंधित विक्रेताओं से अनुमोदित की गई वस्तुओं की खरीद करता है। भंडारों को बेस डिपो, मुबंई एवं 34 एरिया डिपो में ग्रहण किया जाता है। यूआरसी के नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को वस्तु बेची जाती है, जो माँगप्रत्र के द्वारा अपने संलग्न एरिया डिपो से वस्तुओं को प्राप्त करता है। मंत्रालय/सेना फार्मेशन द्वारा निर्धारित की गई नीतियों पर यूआरसी की कार्यविधि चलती है।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

जुलाई 2015 से नवंबर 2015 के बीच रक्षा मंत्रालय, बीओसीसीएस, नई दिल्ली, सीएसडी (मुख्यालय), मुंबई, बेस डिपो मुंबई, तीन क्षेत्रीय प्रबंधकों (आरएम) के कार्यालय जो बी डी बारी, लखनऊ एवं दिल्ली में स्थित है एवं 34 एरिया डिपो में से 11[3] चयनित डिपो में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान होने वाले लेनदेन को आवरित करते हुए लेखापरीक्षा निष्पादन किया गया। विक्रय की मात्रा एवं भौगोलिक अवस्था के आधार पर एरिया डिपो का चयन किया गया जिससे

[2]उन सामग्रियों की खरीदी जिसकी उपभोक्ताओं से प्राप्त निश्चित माँग के बाद की जाती है।

[3]बाघडोगरा, बैंगलोर, बिकानेर, बी डी बारी, दिल्ली, हिसार, जबलपुर, जलंधर, खड़की, लखनऊ एवं मसीमपुर।

प्रतिनिधि रूपीय नमूने को आवरित किया जा सके। 7 अत्यधिक बड़े, 1 बड़े, 2 मध्य एवं 1 छोटे डिपो का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। मात्रात्मक छूट[4] (क्यू डी) प्राप्ति[5] के आधार पर उपर्युक्त डिपो पर आश्रित 1354 यूआरसी में से 37 यूआरसी **(अनुलग्नक 'ए')** की भी लेखापरीक्षा की गई। वर्ष 2015-16 के आकड़ों को शामिल किया गया एवं मार्च 2016 तक रिपोर्ट को अद्यतन किया गया। यद्यपि 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लेनदेन को लेखापरीक्षा के तहत आवरित किया गया, लेखापरीक्षा के अधीन आवरित अवधि के दौरान पिछली अवधि से संबंधित वॅट मामले जिनमें दण्डात्मक प्रभारों का भुगतान तथा प्रतिदाय प्राप्त हुआ था, को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

1.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इस बात का आकलन करना था कि क्या:

- व्यवसाय प्रचालनों को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीकों से प्रबंधित किया गया था;
- बाजार दरों की तुलना में कम मूल्य से उपभोक्ताओं की पर्याप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तुएँ सेवा कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही थीं;
- वित्तीय एवं लेखाकरण नियमों, मानकों एवं पद्धतियों के अनुसार सीएसडी का वित्तीय प्रचालन कार्य किया जा रहा था;
- आंतरिक नियंत्रण की विद्यमान पद्धति प्रभावी थी;
- सीएसडी के विस्तारित रूप में मौजूद यूनिट रन कैंटीन सीएसडी के सिद्धांत को हासिल करने में मददगार थीं;

इसके अलावा, पीएसी की स्वीकृत सिफ़ारिशों के अनुपालन की जाँच करने के उद्देश्य से भी यह निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी और यह सिफ़ारिशें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2010-11 के प्रतिवेदन संख्या-14 के आधार पर की गई थीं तथा जिसे मार्च 2013 में पीएसी ने स्वीकार किया था।

1.5 लेखापरीक्षा के मापदंड

निष्पादन के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा के मापदंड, सीएसडी भंडार नियमपुस्तिका, सीएसडी खरीद प्रक्रिया, सीएसडी मूल्य नीति एवं यूआरसी नियम पुस्तिका से लिए गए थे। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के तहत सहायता अनुदानों के रूप में कैंटीन व्यापार अधिशेष एवं मात्रात्मक छूट के संवितरण की जाँच की गई।

---

[4] मात्रात्मक छूट (क्यू डी) सीएसडी द्वारा मुक्त भंडारों के रूप में यूआरसी को उपलब्ध करवाई गई व्यापार से संबंधित प्रोत्साहन है तथा इसे पिछले वर्ष में यूआरसी द्वारा खरीदी गई कुल भंडारों की प्रतिशतता के रूप में परिकलित किया जाता है।

[5] >₹ 100 लाख (75 प्रतिशत*), ₹ 50-100 लाख (25 प्रतिशत*), ₹ 25-50 लाख (10 प्रतिशत*) एवं <₹ 25 लाख (1 प्रतिशत*)
* लेखापरीक्षा किया गया।

1.6 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

24 अगस्त 2015 को एण्ट्री सम्मेलन के साथ लेखापरीक्षा निष्पादन की शुरूआत की गई जिसे क्यूएमजी (एएचक्यू) के सभापतित्व के अधीन रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ किया गया, जहाँ लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की चर्चा की गई एवं मापदंडों पर सम्मति प्रदान की गई। लेखापरीक्षा मापदंडों के अनुसार निष्पादन का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत चयनित किए गए यूनिटों में विस्तृत लेखापरीक्षा को संचालित किया गया। फील्ड लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जाँच, प्रोफार्मा के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण, लेखापरीक्षा टिप्पणियों को जारी करना एवं इसके उत्तर शामिल थे। क्यूएमजी, सेना मुख्यालय की अध्यक्षता में 27 जून 2016 को एक्झिट सम्मेलन हुआ जिसमें इस रिपोर्ट में लाए गए महत्वपूर्ण पहलूओं/मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तत्पश्चात्, इस रिपोर्ट को 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली अवधि तक अद्यतन किया गया था।

सीएसडी प्रबंधन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दिए गए उत्तर को रिपोर्ट तैयार करते समय विचार में लिया गया। तथापि, मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।

1.7 आभार

लेखापरीक्षा निष्पादन के दौरान रक्षा मंत्रालय, बीओसीसीएस, सीएसडी के साथ-साथ चयनित यूआरसी के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

अध्याय-II
व्यापारिक प्रचालन

लेखापरीक्षा उद्देश्य: व्यवसाय प्रचालनों को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीकों से प्रबंधित किए जाने का आकलन करना।

2 व्यापारिक गतिविधियाँ

सीएसडी के व्यापारिक प्रचालन को जिसमें वस्तुओं की प्रस्तावना, बेस डिपो एवं एरिया डिपो की कार्यपद्धति भी सम्मिलित है, इस अध्याय में आवरित किया गया है।

2.1 वस्तुओं की प्रस्तावना

सीएसडी में नई वस्तु को प्रस्तावित करने के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था है। वांछनीयता की दृष्टि से सभी प्रस्तावों को बीओए की प्रारंभिक जांच समिति (पीएससी) द्वारा परखा जाता है। यदि निर्णय सकारात्मक हो, तो इसे मूल्य समझौता वार्ता समिति (पीएनसी) के पास भेजा जाता है। बाजार का सर्वेक्षण करने के पश्चात, पीएनसी उत्पादक के साथ अधिकतम मूल्य लाभ एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए मोलभाव करती है। इसके उपरांत, मामले को बीओए के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक बार किसी वस्तु को प्रस्तावित किया गया तो इसे खरीद, भंडारण, वितरण एवं विक्रय के लिए अनुक्रमित एवं संहिताबद्ध किया जाता है। एक सदृश दिखने वाले वस्तुओं को एक जेनेरिक कोड दिया जाता है और शामिल की गई वस्तुओं को जेनेरिक कोड के अंतर्गत रखा जाता है।

सीएसडी में प्रस्तावित किए गए वस्तुओं की प्रक्रिया को नीचे दर्शाए गए चार्ट 3 द्वारा संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है:

चार्ट 3: सीएसडी में वस्तु की प्रवेश प्रक्रिया

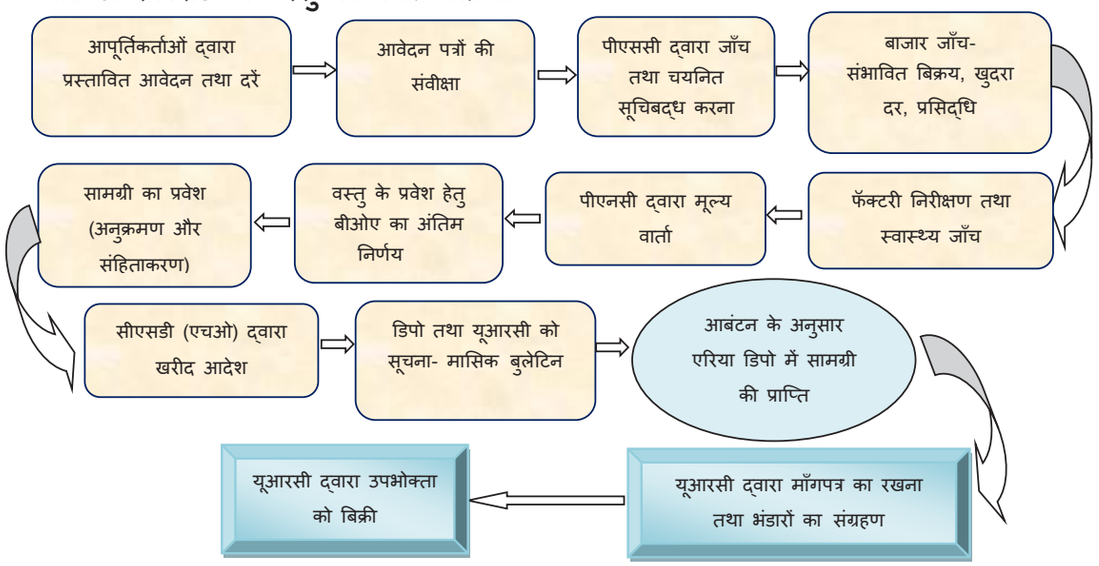

प्रचलित प्रथा के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं के निवेदन पर ही नई वस्तुओं को प्रस्तावित करने के लिए विचार किया जाता है। पुनरीक्षण अवधि दौरान, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 9134 वस्तुओं को प्रस्तावित किया गया जिसमें से 3234 वस्तुओं अर्थात 35.40 प्रतिशत वस्तुओं को शामिल करने के लिए पीएससी द्वारा सिफारिश दी गई एवं अंततः 3035 वस्तुओं अर्थात 33.23 प्रतिशत वस्तुओं को सीएसडी में प्रस्तावित किया गया। इन 3035 वस्तुओं में से 1733 वस्तुओं अर्थात 57.10 प्रतिशत वस्तुओं को पिछले दो वर्षों के दौरान प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित की गई वस्तुएँ पहले से ही मौजूदा उसी प्रकार की वस्तुओं में वृद्धि करते है। तथापि, नई वस्तु को प्रस्तावित करने से पहले प्रयोक्ता माँग (उपभोक्ता की माँग) को विचारने व स्वीकृत करने के किसी भी तरह के दस्तावेज मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि यूआरसी के नियम पुस्तिका के अनुसार नई वस्तुओं को महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं वांछित (वीईडी) रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

2.1.1 आयातित वस्तुओं की प्रस्तावना

खरीद नीति के अनुसार, सीएसडी को केवल उत्पादकों से ही खरीदारी करनी होती है ताकि अधिकतम छूट प्राप्त हो सके तथा बिचौलियों के लाभ को समाप्त कर वस्तुओं की प्रमाणिकता को सुनिश्चित किया जा सके। यदि उत्पादक स्वयं मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उत्पादक द्वारा नियुक्त किए गए भारत के एकमात्र विक्रय करने वाले एजेन्ट/वितरक का विकल्प लिया जा सकता है। बीओए ने सितंबर 2012 में यह प्रकाशित किया कि, पहले ही वस्तुओं को सूची बद्ध करने के लिए उत्पादकों, अखिल भारतीय एकमात्र विक्रय एजेन्ट/वितरक, अखिल भारतीय मूल आयातकर्ता के अलावा ब्रांड मालिकों एवं आयातकर्ताओं का भी, जो स्थानीय उत्पादों की तुलना में ऐसे उत्पाद जो प्रसिद्ध तथा प्रतिस्पर्धात्मक हो, सीएसडी में आपूर्ति करने के लिए विचार किया गया था।

हमने देखा (दिसंबर 2015) कि, दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएँ जैसे कि, चप्पलें[6], रजाईयाँ[7], डोर मैट, रेन सूट[8], फैबरीक कॅनडिशनर[9], हैंडबैग[10] इत्यादि जो कि स्थानीय बाजारों में उपलब्ध थी, को सीएसडी में शामिल किया गया जिन्हें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चीन से आयात किया जाता था (पाद टिप्पणी में इसके उद्धरण दिए गए हैं)। रिकार्डों की समीक्षा यह उदघाटित करती है कि, आपूर्तिकर्ताओं/आयातकर्ताओं द्वारा दी गई दरों के सत्यापन के लिए किए गए मार्केट सर्वे के अलावा सीएसडी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था जिससे कि यह पुष्टि हो सके कि उक्त वस्तुओं का स्थानीय रूप में निर्माण हो रहा था एवं वे प्रसिद्ध और समान उत्पादों से प्रतिस्पर्धा

[6] मेसर्स मयूरी कुमकुम द्वारा आयातित इवेरा ब्रांड चप्पलें

[7] मेसर्स हस्तिमल टेक्सटाइलस द्वारा आयातित रजाइयाँ तथा डोर मैट

[8] एसके ग्लोबल द्वारा आयातित रेन सूट

[9] यूनिवर्सल द्वारा आयातित डाउनी फॅबरिक कन्डिशनर

[10] मेसर्स बॅगज़ोन लाइफ स्टाइल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आयातित 'लेवीब्रांड लेडीज़ हैंडबैग'

करने लायक थे या नहीं। कुछ मामलों में, उक्त उत्पादों के बाजार में प्रतिशत भागीदारी का रिकार्ड मौजूद नहीं था।

उदाहरण के तौर पर, इत्र के एक उत्पादनकर्ता जो सीएसडी में पंजीकृत थे को चीन से आयातित की गई चप्पलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तावित किया गया था। व्यापार कीमतों का समर्थन देने वाले टैक्स इनवॉइस में फैबरिक परफ्यूम को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के रूप में इंगित किया था। प्रस्तावना की शर्तों के अनुसार, यद्यपि प्रधान उत्पादक एवं आयातकर्ता के बीच में हुए करार की प्रति को प्रस्तावना फार्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है जिसमें व्यापार की शर्तें, वैध्यता इत्यादि इंगित रहती है, फरवरी 2015 में प्राप्त हुए स्टॉम्प पेपर पर अहस्ताक्षरित करार को स्वीकार कर लिया गया जिसमें फर्म ने दलील दी कि इन वस्तुओं को मई 2011 में सिविल बाजार में प्रस्तावित किया गया। यह सीएसडी द्वारा आयातित वस्तुओं से संबंधित दस्तावेजों की उचित जाँच में त्रुटि को इंगित करता है।

चूंकि सरकार घरेलू लघु उघोगों को बढ़ावा दे रही है, चीन से आयातित दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को शामिल करना न्यायोचित नहीं है और यह सरकार के प्रयास को विफल करता है।

इसके अतिरिक्त, सीएसडी द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं की तुलना में शामिल आयातित वस्तुओं के गुणवत्ता मानक को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता की स्वतंत्र जाँच नहीं की गई।

जवाब में, सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि, चीन से आयातित वस्तुओं पर कोई पाबंदी नहीं होने के कारण आयातित वस्तुओं को प्रस्तावित किया गया था एवं मिडियम एंटरप्राइसेज द्वारा आयातित वस्तुओं से अर्थव्यवस्था में योगदान तथा भारतीय जनमानस को रोज़गार प्रदान होगा। प्रस्तुत किए गए जवाब में लेखापरीक्षा जाँच में वस्तुओं की प्रसिद्धि, मार्केट शेयर, नए वस्तुओं को प्रस्तावित करने से पूर्व आवश्यक प्रधान उत्पादनकर्ता तथा आयातकर्ता के बीच होने वाले करार को सुनिश्चित करने में सीएसडी द्वारा हुई विफलता पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

निष्कर्ष 1:
सामान्य तौर पर आपूर्तिकर्ताओं के निवेदन पर सीएसडी में वस्तुओं को प्रस्तावित किया जाता है। तथापि, नई वस्तुओं को प्रस्तावित करने से पहले उपभोक्ताओं की आवश्यकता तथा रूचि या स्थानीय मार्केट में उपलब्ध वस्तु की प्रसिद्धि को सुनिश्चित करने वाला कोई भी रिकार्ड मौजूद नहीं था। बाजार सर्वेक्षण तथा गुणवत्ता जाँच किए बगैर और आयातकर्ता तथा प्रधान उत्पादनकर्ता के बीच करार के दस्तावेजों की मौजूदगी को सुनिश्चित किए बगैर आयातित वस्तुओं को प्रस्तावित किया गया।

2.2 बेस डिपो मुम्बई का अनार्थिक कार्यचालन

उन भंडारों को छोड़कर जिन्हें कि, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधे एरिया डिपो को आपूर्ति की जाती है; बाकी सभी भंडारों के लिए बेस डिपो सभी एरिया सीएसडी डिपो के लिए फीडर डिपो की तरह कार्य

करता है। बेस डिपो द्वारा भंडारों को थोक में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात इन्हें, सीएसडी मुख्य कार्यालय मुम्बई द्वारा आबंटन के अनुसार, सड़क मार्ग से सभी एरिया डिपो में भिजवाया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त न्यूनतम रियायत की प्राप्ति तथा बेस डिपो के मार्ग से आई वस्तुओं के लिए वॅट वापसी से संबंधित दावों के चलते निधि की रुकावटों के कारण, बेस डिपो के अनार्थिक संचालन के बारे में 2010-11 की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 14 में टिप्पणी की गई थी। लेखापरीक्षा के सुझावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्रालय ने कहा था कि वे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पीएसी ने भी अपने 48वीं प्रतिवेदन में सौहार्दयपूर्ण समाधान की इच्छा व्यक्त की जिससे कि न तो सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विपरित प्रभाव पड़े और न ही वॅट के भुगतान में रूकावट या विलंब हो।

मार्च 2009 में ₹ 66.86 करोड़ से मार्च 2016 में ₹ 485.47 करोड़ **(अनुलग्नक 'डी')** की वॅट वापसी दावों की वृद्धि के अतिरिक्त, हमने बेस डिपो की कार्यपद्धति की जाँच की एवं पाया कि बेस डिपो का व्यापारिक प्रचालन अभी भी अनार्थिक है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

2.2.1 बेस डिपो के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन के कारण सीएसडी उपभोक्ताओं पर कर का अतिरिक्त बोझ

बाहरी राज्य से अधिप्राप्त की गई वस्तुओं पर केंद्रीय विक्रय कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भारित किए गए 2 प्रतिशत केंद्रीय विक्रय कर को एरिया डिपो द्वारा यूआरसी से वसूला जाता है।

महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय विभाग द्वारा अगस्त 2006 में जारी पत्र के अनुसार जब भी महाराष्ट्र में सीएसडी कर का भुगतान किए हुए सामान को अन्य प्रदेशों में स्थित सीएसडी डिपो में भेजा जाता है, महाराष्ट्र के वॅट एक्ट के नियम 53(3) अनुसार खरीद पर केवल 4 प्रतिशत से अधिक कर का वापसी भुगतान सीएसडी को प्राप्त होगा। चूंकि महाराष्ट्र में स्थित, बेस डिपो, मुम्बई ट्रांसफर इनवॉइसेस के तहत विभिन्न एरिया डिपो में वस्तुओं को हस्तांतरित करता है, यह महाराष्ट्र सरकार से 4 प्रतिशत से अधिक कर का वॅट वापसी भुगतान की माँग कर सकता है। बेस डिपो, तदनुसार 4 प्रतिशत कर को ट्रांसफर इनवॉइसेस में महाराष्ट्र के बाहर स्थित विभिन्न एरिया डिपो में इंगित करता है जो यूआरसी को वस्तुएँ बेचते समय थोक मूल्य पर भारित कर देते हैं।

यदि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित एरिया डिपो तक वस्तुओं को सीधे भेजा जाता तो वर्तमान में भारित 4 प्रतिशत के स्थान पर सिर्फ 2 प्रतिशत सीएसटी कर आपूर्तियों के ऊपर भारित होता। अत: बेस डिपो के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने के कारण उपभोक्ताओं को वस्तुओं के मूल्यों पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत कर को वहन करना पड़ता है। छ: वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं को ₹ 43.89 करोड़ के अतिरिक्त कर का बोझ झेलना पड़ा जैसा कि नीचे तालिका 2 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 2: 4 प्रतिशत तथा इससे ज्यादा वॅट की दर से प्राप्त वस्तुओं का मूल्य (₹ करोड़ में)

वर्ष	महाराष्ट्र के भीतर खरीदी की गई वस्तुएं	अन्य राज्यों में स्थापित डिपो में हस्तांतरित वस्तुएँ	अन्य डिपो में हस्तांतरित की गई वस्तुओं पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर
2010-11	437.14	387.63	7.75
2011-12	452.31	428.70	8.57
2012-13	486.36	365.95	7.32
2013-14	386.55	266.99	5.34
2014-15	440.63	374.43	7.49
2015-16	397.95	370.99	7.42
कुल			**43.89**

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इंटर डिपो हस्तांतरण में सीएसटी तत्व को 1 अप्रैल 2012 से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया था, अत: लेखापरीक्षा का यह कहना कि 2 प्रतिशत का अतिरिक्त भार 2010-11 से लागू था, सही नहीं हैं। इस बात का आश्वासन दिया गया कि ठोस उपाय शुरू कर दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक कम्पनियाँ बेस डिपो के बजाय सीधे आपूर्ति करें।

तथ्यपूर्ण दृष्टि से उत्तर गलत है चूंकि बेस डिपो की ट्रांसफर इनवॉइसेस स्वयं सूचित करती है कि, महाराष्ट्र में आधारित आपूर्ति पर अप्रैल 2010 से 4 प्रतिशत सीएसटी कर को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत उगाही कम कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है।

2.2.2 इन्टर डिपो हस्तांतरण (आईडीटी) के फार्म 'एफ' के विलंब से प्राप्ति के परिणामस्वरूप वॅट वापसी दावों में रूकावट आना

बेस डिपो द्वारा दूसरे एरिया डिपो में हस्तांतरित वस्तुओं की प्राप्ति से संबंधित पावती के लिए प्राप्तिकर्ता डिपो को फॉर्म 'एफ' बेस डिपो को अग्रेषित करना आवश्यक होता है, जो कि बेस डिपो की वॅट वापसी माँग का आधार होता है। तथापि, हमने देखा कि एरिया डिपो वास्तविक फॉर्म 'एफ' को अग्रेषित करने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते है। इस तरह के बकाया फॉर्म 'एफ' का मूल्य 31 मार्च 2016 तक ₹ 983.07 करोड़ था जो वर्ष 2007-08 से 2015-16 की अवधि से संबंधित थे। बेस डिपो में अनुरक्षित आकड़ों के आधार पर देखा गया कि फॉर्म 'एफ' के न मिलने के फलस्वरूप ₹ 64.26 करोड़ के वॅट वापसी दावो को नकारा गया जो कि वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि से संबंधित थे। वर्ष 2011-12 अवधि से आगे की वॅट वापसी माँग का निर्धारण अभी भी प्रगति पर है जिसके फलस्वरूप, नामंजूर की गई वॅट वापसी माँग की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ सकती है।

2.2.3 आपूर्तिकर्ताओं से बकाया किराया रियायत की वसूली न हो पाना

सीएसडी के नवंबर 2011 के नियम परिपत्र अनुसार, किराया रियायत के वार्षिक पुनरीक्षण को 30 जून या उससे पहले किया जाएगा जो कि, उसी वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। हालाँकि, हमने देखा कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले लागू किराया रियायत के पुनरीक्षण को अक्तूबर-दिसंबर में किया गया। यद्यपि 1 अप्रैल से किराया रियायत को लागू किया गया, 1 अप्रैल से पुनरीक्षण की तिथि तक बकाया किराया रियायत को जनवरी 2012 से मई 2013 तक संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से वसूल नहीं किया गया। इस संदर्भ में यह बकाया राशि 2 वर्षों के लिए ₹ 2.11 करोड़ बनती है।
किराया रियायत के पुनरीक्षण में हुई विलंब के कारणों के उत्तर में, सेना मुख्यालय (क्यूएमजी शाखा) ने बताया (जुलाई 2016) कि किराया रियायत से कम वसूली गई रकम को बेस डिपो पर आधारित फर्म से वसूला जाएगा।

निष्कर्ष 2:
पीएसी ने सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए इच्छा जाहिर की थी ताकि न तो सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव पड़े और न ही मूल्य वर्धित कर (वॅट) में रूकावट या विलंब हो। हमने देखा कि बेस डिपो के व्यापारिक प्रचालन का अनार्थिक कार्यचालन जारी था। बेस डिपो के ऊपर निर्भरता के चलते ₹ 485.47 करोड़ की वॅट वापसी पर रूकावट आई तथा उपभोक्ताओं पर ₹43.89 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

2.2.4 ₹ 6.12 करोड़ की लागत से प्राप्त की गई जमीन का प्रयोग न किया जाना

जुलाई 1992 में ₹ 6.12 करोड़ की कुल लागत से पट्टे पर प्राप्त जमीन के बावजूद भी, सिवरी, मुम्बई में स्थित बेस डिपो को नए स्थान पर हस्तांतरित में हुए विलंब से संबंधित रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2010-11 (एआर) के प्रतिवेदन संख्या 14 में वर्णित किया गया था। सीएसडी द्वारा निर्माण में हुए विलंब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त पट्टा की किश्त के रूप में ₹ 99.53 करोड़ का बोझा आया। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रभारों के रूप में मार्च 2005 तक ₹ 52.31 लाख का भुगतान भी किया गया एवं 2014-15 के वार्षिक लेखों में मार्च 2015 तक भुगतान के लिए प्रभारों को देखते हुए ₹ 4.47 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

मंत्रालय द्वारा एआर पर कार्रवाई की गई टिप्पणी (मई 2015) में आश्वस्त किया गया कि, दण्ड के अधित्याग एवं सिडको से निर्माण अवधि में बढ़ोतरी की मंजूरी मिलने के पश्चात निर्माण कार्य किया जाएगा। हमने, परंतु, देखा कि मंत्रालय द्वारा आश्वासन मिलने के बावजूद भी, ज़मीन प्राप्ति के 23 वर्षों बाद भी सीएसडी बेस डिपो के लिए नए आवास का निर्माण करने में असफल रहा। तथापि, यहाँ पहले ही दर्शाए गए बेस डिपो के अनार्थिक कार्यचालन एवं अधिक से अधिक कम्पनियों का बेस डिपो के बजाय सीधे आपूर्ति के प्रयासों के कारण सीएसडी को बेस डिपो के निर्माण की अपनी परियोजना की समीक्षा करनी चाहिए।

2.3 सीएसडी की सूचीबद्ध वस्तुओं से एरिया डिपो का अनभिज्ञ होना

एरिया डिपो अपनी मासिक सूचना रिपोर्ट (एमआयआर) में उनके पास सूचीबद्ध तथा धारित वस्तुओं की कुल संख्या को इंगित करता है। सीएसडी में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या सभी एरिया डिपों में एक समान होनी चाहिए। तथापि, प्राप्त एमआईआर से संकलित आकड़ों जिन्हें डिपो एवं सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा प्रस्तुत किया गया, की तुलना यह सूचित करती है कि सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या सभी डिपो में भिन्न है जैसा कि नीचे तालिका 3 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 3:- सूचीबद्ध वस्तुओं की तुलना में धारित वस्तुओं की कुल संख्या

सीएसडी डिपो	31 मार्च तक सूचीबद्ध के सम्मुख धारित वस्तुओं की कुल संख्या											
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	सूचीबद्ध	धारित	सूचीबद्ध	धारित	सूचीबद्ध	धारित	सूचीबद्ध	धारित	सूचीबद्ध	धारित	सूचीबद्ध	धारित
सीएसडी (मुख्यालय)	4314	-	4423	-	4413	-	4444	-	4604	-	5548	-
बीडी बारी	3509	2714	3386	2202	3386	2162	3387	2428	3513	2807	4208	3177
जबलपुर	4230	3629	4651	2308	4173	2944	4242	3129	4314	3255	4858	4521
बिकानेर	3811	2253	4152	1711	4252	2001	4211	1894	4347	2125	5184	2775
हिसार	3298	2007	3687	1964	3737	2247	3737	2157	3737	2239	3739	3131
जालंधर	4567	1926	5011	1904	5087	2147	5106	1830	5469	2512	6083	2965
बैंगलोर	4215	2151	3715	2040	4123	2441	3678	1901	4374	1956	5316	2626
खड़की	2641	1965	4440	1986	3715	2192	3715	2192	3543	2438	4314	2815
दिल्ली	3094	1961	4315	2099	4553	2597	4577	2360	4577	2676	5069	4253
मसीमपुर	2480	2073	2357	2032	2204	1795	2046	1722	2969	2171	3474	2456
लखनऊ	4176	2015	4667	1565	4685	2432	4799	2108	4961	2355	4603	2433
बाघडोगरा	*	*	*	*	*	*	3107	2281	2926	2459	3525	2854

***आकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए**

उपरोक्त विवरणों से यह देखा जा सकता है कि एरिया डिपो द्वारा सूचीबद्ध के रूप में प्रतिवेदित की गई वस्तुएँ सीएसडी मुख्यालय द्वारा सूचीबद्ध की गई वस्तुओं से बहुत अधिक मात्रा में भिन्न थी। डिपो की सूची या तो 54 प्रतिशत से कम या 19 प्रतिशत से ज्यादा है। यह डिपो में सूचीबद्ध वस्तुओं की रेंज में त्रुटि को दर्शाता है। डिपो के आकड़ों के अनुसार सूचीबद्ध वस्तुओं से धारित की गई वस्तुओं की संख्या भी कम होने के कारण यूआरसी के लिए वस्तुएँ मौजूद नहीं रही। वस्तुओं की अनुपलब्धता के साथ-साथ सूचीबद्ध वस्तुओं में त्रुटि के परिणामस्वरूप यूआरसी के लिए इन वस्तुओं का नकारा जाना है जिसे आगामी अनुच्छेद में दर्शाया जाता है।

हमने देखा कि, यद्यपि डिपो द्वारा सूचीबद्ध वस्तुओं की सूचना सीएसडी (मुख्यालय) को मासिक विवरणी में प्रस्तुत की गई, फिर भी सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा सूचीबद्ध वस्तुओं में इन भिन्नताओं के कारण नहीं जाने गए जो सीएसडी (मुख्यालय) की उचित मॉनिटरिंग में कमी को दर्शाता है।

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि एरिया डिपो को मुख्य कार्यालय की ईडीपी शाखा से इनवैन्ट्री में सूचीबद्ध वस्तुओं की प्राप्ति हेतु सलाह दी गई है एवं सम्पूर्ण स्वचालन इस समस्या को निष्फल कर देगा जब सभी जगहों पर डेटाबेस एक समान होगा। यद्यपि सीएसडी ने संपूर्ण स्वचालन के लिए किसी भी समय-सीमा को प्रदान नहीं किया।

2.3.1 इन्कार का उच्च प्रतिशत

सीएसडी का एक उद्देश्य उपभोक्ता की माँग संतुष्टि को अधिकतम सुनिश्चित करना है । यूआरसी द्वारा किसी वस्तु की माँग किए जाने पर उसे प्रदान करने में एरिया डिपो की अक्षमता को 'इन्कार' कहते हैं। पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई इन्कार की काफी संख्या के पश्चात, पीएसी ने मंत्रालय को जवानों के लिए आशायित भंडारों की आपूर्ति में आई असुविधाओं को हल करने के लिए, लिए गए अन्य समुचित उपायों के साथ-साथ पहले से ही विद्यमान उपायों को मजबूती देने पर जोर दिया था। तथापि, वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान 11 एरिया डिपो के लेखापरीक्षा विश्लेषण में इन्कार का प्रतिशत 7.17 से 25.42 के बीच पाया गया एवं इन्कार का कुल मूल्य ₹ 3866.34 करोड़ था जैसा कि नीचे तालिका 4 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 4: इन्कार की औसत प्रतिशतता

क्रमांक संख्या	सीएसडी एरिया डिपो	इन्कार की औसत प्रतिशतता						इन्कार का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	बाघडोगरा	डीएनएफ	डीएनएफ	डीएनएफ	11.83	10.90	7.82	73.15
2	लखनऊ	11.06	14.48	14.82	16.42	16.70	14.86	544.32
3	दिल्ली	9.35	10.67	14.99	11.75	9.24	13.13	575.27
4	मसीमपुर	7.92	8.25	9.17	8.50	8.00	7.17	343.77
5	बीडी बारी	14.21	16.50	23.93	19.21	16.11	13.25	258.25
6	जबलपुर	15.06	10.16	15.37	13.25	10.40	9.49	266.67
7	बिकानेर	15.60	14.67	18.06	16.59	16.11	15.41	155.12
8	हिसार	8.51	15.13	9.48	10.66	11.64	14.90	107.18
9	जालंधर	24.83	23.08	25.42	20.00	19.50	9.79	567.79
10	बैंगलोर	14.17	14.67	13.42	11.63	14.38	12.35	464.45
11	खड़की	डीएनएफ	11.58	11.25	10.00	7.83	16.04	510.37
पिछले छः वर्षों के दौरान हुए इन्कार के कुल मूल्य								3866.34

डीएनएफ-आकड़ो को प्रस्तुत नहीं किया गया।

जालंधर और बिकानेर में इन्कार की उच्चतम संख्या पायी गई एवं एरिया डिपो लखनऊ एवं हिसार में इन्कार की प्रतिशतता की बढ़ोतरी यह सूचित करती है कि इन्कार को कम करने के लिए सीएसडी द्वारा पर्याप्त उपायों को नहीं अपनाया गया।

इतनी अधिक मात्रा में इन्कार का एक कारण डिपो द्वारा सभी वस्तुओं को धारित न करना है जो कि, इस तथ्य का प्रमाण देता है कि, चयनित 11 डिपो वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान सूचीबद्ध वस्तुओं के सम्मुख 33.53 प्रतिशत से 93.06 प्रतिशत रेंज तक की वस्तुओं को धारण

किए हुए थे। डिपो की सूचीबद्धता का स्वयं असम्पूर्ण तथा अपर्याप्त होना, इन्कार की आगे बढ़ोतरी का कारण हुई जैसा कि उपरोक्त तालिका 3 में दर्शाया गया है।

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि वेयरहाउसिंग बाधाएँ, फर्म द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति न होना/कम आपूर्ति होना, वस्तुओं को भेजने में विलंब होना इत्यादि इन्कार के कारण थे। डिलिवरी में लगने वाली समय सीमा में कमी लाना और वेयरहाऊसों में रिक्त स्थानों की कमी का समाधान करने जैसे उपायों को इन्कार की प्रतिशतता को दूर करने के लिए लिया गया।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूँकि सीएसडी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भंडारों में इन्कार को दर्शाया गया था तथा जवानों के लिए सभी आशयित भंडारों की आपूर्ति में हुई बाधाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से दूर करने के लिए पीएसी ने मंत्रालय को उपायों को और सख्त करने पर जोर दिया था। इसके बावजूद 25 प्रतिशत तक का इन्कार उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष 3:

सीएसडी मुख्यालय की सूचीबद्ध वस्तुओं से डिपो में सूचीबद्ध वस्तुओं में भिन्नता थी। यूआरसी में वस्तुओं की इन्कार की रेंज 7.17 से 25.42 प्रतिशतता की थी जिससे उपभोक्ताओं की संतुष्टी पर प्रभाव पड़ा।

2.4 एकीकृत कैंटीन भंडार विभाग पद्धति को संपूर्ण होने में अत्यधिक विलंब

टर्नकी पर आधारित सीएसडी के इन्वैंट्री प्रबंधन पद्धति के क्रियान्वयन में अधिक समय एवं लागत पर एआर में टिप्पणी की गई थी। इससे संबंधित कार्रवाई पर लोक लेखा समिति को अवगत कराते हुए मंत्रालय ने बताया कि पद्धति को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाएगा। तथापि, हमने देखा कि सीएसडी द्वारा इस पद्धति का पूरी तरह से क्रियान्वयन किया जाना (मार्च 2016) बाकी है। इस मुद्दे को नीचे ब्योरेवार दर्शाया गया है:

अप्रैल 1993 में मंत्रालय द्वारा ₹ 7.11 करोड़ की कुल लागत से दो स्तरों में सीएसडी को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए संस्वीकृति दी गई थी। स्तर 1 को जून 2001 में ₹ 2.12 करोड़ की लागत से मेसर्स टाटा इनफोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण किया गया। स्तर 2 का अनुबंध अगस्त 2006 में ₹ 4.99 करोड़ की मंजूरीकृत राशि के प्रतिकूल ₹ 7.00 करोड़ की लागत से मेसर्स विप्रो, बैंगलोर को दिया गया जिसे अनुबंध दिए जाने की प्रारंभिक तिथि से 52 सप्ताहों के भीतर पूरा करना था। मेसर्स विप्रो ने निर्धारित समय सीमा के भीतर (सितम्बर 2007) कार्य को संपूर्ण नहीं किया तथा पद्धति को जुलाई/सितम्बर 2009 में सीएसडी को सौंप दिया। अक्तूबर 2009 में सीएसडी में हालाँकि यह प्रोजेक्ट "लाइव" हो गया था अपितु इसके उपयोग के दौरान प्रयोक्ता द्वारा नियमित रूप से आने वाली विभिन्न अड़चनों/बग्स् के बारे में बताया गया तथा साथ-साथ सभी डिपो में कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या को भी बताया गया। यह भी देखा गया कि स्तर 2 के

क्रियान्वित न होने से विद्यमान फॉक्स प्रो कार्यक्रम पर लगातार आधारित रहने से वित्तीय एवं लेखा शाखा के कार्य पर प्रभाव पड़ा जिससे लेखापरीक्षा में गलत आकड़े एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट मिली। परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति को सूचित करते हुए, सीएसडी (जुलाई 2016) ने बताया कि आईसीएसडीएस स्तर 2 सात डिपो में (जुलाई 2016) एवं मुख्यालय के सभी अनुभागों में चलाया जा रहा है। यह भी बताया गया कि हार्डवेयर के पुराने हो जाने के कारण उनका उन्नयन करने की आवश्यकता है एवं एक बार उन्नयन के लिए मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने पर परियोजना अक्तूबर 2016 तक पूरी हो जाएगी।

यह उत्तर आंशिक तौर पर सही है क्योंकि सीएसडी की एफ एंड ए शाखा अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए विद्यमान फॉक्स प्रो सिस्टम का ही प्रयोग कर रही है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक संस्वीकृति के 22 वर्षों के बाद भी एवं ₹ 2.12 करोड़ (स्तर-I) के व्यय तथा ₹ 7.00 करोड़ (स्तर II) के प्रतिबद्ध व्यय के उपरांत भी परियोजना को सम्पूर्ण (जनवरी 2016) करना एवं पूरी तरीके से प्रचालन किया जाना बाकी था।

निष्कर्ष 4:

आईसीएसडीएस स्तर 2 के सम्पूर्ण होने में असामान्य विलंब के कारण सीएसडी में इन्वैंट्री प्रबंधन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति पर प्रभाव पड़ा।

सिफारिशें:

1. क्योंकि सीएसडी 5548 इन्वैंट्री को धारित करता है जिसमें पिछले छः वर्षों में 3035 वस्तुएँ शामिल की गई, उपभोक्ताओं की आवश्यकता एवं सामान की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए नई वस्तुओं को प्रस्तावित करने के लिए एक व्यापक नीति की तत्काल आवश्यकता है।

2. केंद्रीकृत बेस डिपो को इसके अनार्थिक कार्य संचालन एवं संभार तंत्र व संचार और सूचना प्रोद्योगिकी में प्रगति के कारण इसकी उपयोगिता के पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

3. उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ाने के लिए इन्कार का विश्लेषण करने की एवं यूआरसी/क्षेत्र गत वस्तुओं जिनकी उपलब्धि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, को पहचानने की जरूरत है। कम-खपत या बिना-खपत वाली वस्तुएँ, यदि हो, को भी पहचाना जाना आवश्यक है एवं उनकी अधिप्राप्ति को कम किया जाना चाहिए।

4. इन्वैंट्री, लेखों, एवं वित्तीय प्रबंधन की बेहतरी के लिए मंत्रालय एवं सीएसडी को आईसीएसडीएस स्तर 2 को शीघ्र ही क्रियान्वित करना चाहिए।

अध्याय III
मूल्य निर्धारण नीति तथा वस्तुओं की गुणवत्ता

लेखापरीक्षा के उद्देश्य - बाजार दरों की तुलना में कम मूल्य से उपभोक्ताओं की पर्याप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तुएं सेवा कार्मिकों को उपलब्ध करवाए जाने का मूल्यांकन करना।

3 मूल्य निर्धारण नीति

सीएसडी का मुख्य उद्देश्य बाजार दरों की तुलना में सस्ते दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त वस्तुओं को सैनिकों तक मुहैया करवाना है। मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1977 में जारी मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, विक्रय मूल्य "इन्टो वेअरहाऊस कॉस्ट" पर निर्भर करता है जिसमें लगभग एक से बारह प्रतिशत के मुनाफों के अलावा आवक किराया, ढुलाई शुल्क, बीमा एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। सीएसडी द्वारा चित्रात्मक रूप में कीमत-सूची, जिसमें वस्तुओं के फोटोग्राफ एवं मूल्य शामिल होते है, को वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है। मूल्य सूची की पुनरीक्षण दर्शाती है कि उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य के मुकाबले सस्ती कीमतों पर उपभोक्ता सामान उपलब्ध कराने में सीएसडी काफी सक्षम रहा है। तथापि, कई मामलों में मूल्य नीति का गलत लागू करना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

3.1 अनुचित तरीके से वस्तुओं/चीजों की कीमतों का निर्धारण किया जाना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मूल्य नीतियों के गलत उपयोग के कई मामले देखे गए। लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई कमियों/दोष को ध्यान में लेते हुए, पीएसी ने अपने 48वीं प्रतिवेदन में सिफारिश की कि वास्तविक लागत खर्च तथा मौजूदा कर प्रावधानों को विचार में लेते हुए सही एवं पारदर्शी तरीके से वस्तुओं/चीजों के मूल्य को निर्धारण करने के लिए मंत्रालय को सीएसडी पर दबाव डालना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं तक आशयित लाभ पहुँचाया जा सके।

तदनुसार, जनवरी 2013 में सीएसडी ने कीमतों की संरचना में किराए एवं पैकेजिंग तत्व में कमी का प्रस्ताव दिया जिसे जनवरी 2014 में सीडीए (सीएसडी) द्वारा सहमति मिली जैसा कि तालिका 5 में ब्योरेवार दिया गया है:

तालिका 5:- मूल्य नीति के घटकों में कमी की स्टेटमेंट

क्रमांक सं.	घटक	विद्यमान	सीएसडी द्वारा दिया गया सुझाव	सीडीए (सीएसडी) द्वारा सहमति
1	किराया			
अ)	समान्य भंडार	1%	0.50%	0.50%
ब)	शराब	₹ 25.10 प्रति केस	₹ 10.00 प्रति केस	₹ 11.00 प्रति केस
2	पैकेजिंग (शराब सामग्री)	₹ 1.50 प्रति केस	शून्य	वर्णित नहीं किया

तथापि, हमने देखा कि उपरोक्त कमी के प्रस्ताव को बीओसीसीएस द्वारा अभी मंजूरी मिलना बाकी (मार्च 2016) था, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभार लेना जारी रहा। इसके अतिरिक्त, सीएसडी ने मूल्य निर्धारण ढाँचे में @ 0.10 प्रतिशत बीमा के घटक को किसी भी प्रकार की राशि खर्च किए बिना शामिल किया। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस तरह अतिरिक्त भारित राशि ₹ 419.00 करोड़ बनती है, जिसे नीचे तालिका 6 में ब्योरेवार दिया गया है:

तालिका 6:- संशोधित दरों की मंजूरी में विलंब के कारण एकत्रित की गई अतिरिक्त राशि के ब्यौरे (2010-11 से 2015-16) **(₹ करोड़ में)**

क्र .सं	मूल्य घटक	एकत्रित की गई राशि	प्रभारित की जाने के लिए सीडीए द्वारा सहमति की गई राशि	एकत्रित की गई अतिरिक्त राशि
1	बीमा	54.28	0	54.28
2	सामान्य भंडारों पर किराया प्रभार	464.92	232.46	232.46
3	शराब पर किराया प्रभार	214.01	93.79	120.22
4	बियर पर पैकेजिंग प्रभार	0.50	0	0.50
5	अन्य प्रकार की शराब पर पैकेजिंग प्रभार	11.54	0	11.54
	कुल			419.00

इसके उत्तर में (जुलाई 2016) सेना मुख्यालय में क्यूएमजी शाखा ने बताया कि बीओसीसीएस/ एमओडी से मंजूरी मिलने के पश्चात उपरोक्त अतिरिक्त घटकों को मूल्य की संरचना से निकाल दिया जाएगा। मंजूरी में हुए विलंब के फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर अधिक भार जारी रहा।

3.1.1 क्लियरिंग प्रभार

सीएसडी को वस्तुओं की आपूर्ति 'गंतव्य के लिए' शर्त के अनुसार है जिससे यह सूचित होता है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यातायात एवं सामग्रियों को उतारने के प्रभारों को वहन किया जाएगा। यद्यपि, यह देखा गया कि वितरणी की उपरोक्त शर्तों के बावजूद, सीएसडी को वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त भंडारों को उतारने के लिए ₹ 8.64 करोड़ की राशि को खर्च करना पड़ा। हालाँकि, इस तरह के व्यय का उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ताओं का था, सीएसडी ने ₹ 0.30 प्रति

केस की दर से उपभोक्ताओं पर इसके एक हिस्से को भारित किया जिसके फलस्वरूप 2014-15 वर्ष के अंत होने तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 2.13 करोड़ रुपए प्राप्त किए।

उत्तर में, सीएसडी ने बताया (दिसंबर 2015) कि डिपो में मजदूरी उपबंध 1 अप्रैल 2015 से खत्म हो चुकी थी एवं डिपो में अभारित करने की लागत को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किया जा रहा था। तथापि, हमने देखा कि क्लियरिंग प्रभार के रूप में सीएसडी ने ₹ 0.30 प्रति केस की दर से प्रभारों को जारी रखा एवं वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 42.51 लाख राशि को जमा किया। इस प्रकार बिना किसी खर्च के, जो कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किया गया, उपभोक्ताओं पर किल्यरिंग का प्रभार अवांछित बोझ के रूप में पड़ा।

डीडीजीसीएस ने (जुलाई 2016) बताया कि किल्यरिंग प्रभारों की समाप्ति से संबंधित मामले को लिया गया है एवं यह बीओसीसीएस/एमओडी के अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित है। अनुमोदन में विलंब के फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर अति भार जारी रहा।

निष्कर्ष 5:-

मूल्य संरचना में बीमा प्रभार, किराया प्रभार, किल्यरिंग प्रभार को खर्च से अधिक भारित करने के कारण सस्ते दरों पर वस्तुओं को मुहैया करवाने के लाभ में कमी आई है।

3.1.2 सीएसडी में शराब की कीमतों के निर्धारण में अनियमितता

कई राज्य सरकारों ने सीएसडी को शराब आपूर्ति के लिए आबकारी शुल्क की रियायती दरों पर अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकारों की अधिसूचना के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं, सीएसडी या यूआरसी द्वारा आबकारी शुल्क का भुगतान किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जिन राज्यों में आबकारी शुल्क का भुगतान किया जाता है, को ब्योरेवार नीचे दर्शाया गया है:

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आबकारी शुल्क	-	उत्तर प्रदेश
यूआरसी द्वारा आबकारी शुल्क	-	हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम एवं मध्य प्रदेश
सीएसडी डिपो द्वारा आबकारी शुल्क	-	शेष सभी राज्य

अक्तूबर 1977 में एमओडी द्वारा जारी की गई मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, शराब सहित सभी वस्तुओं का आधारभूत मूल्य पूरे भारतवर्ष में एक समान होना चाहिए एवं स्थानीय कर जैसे कि आबकारी, बिक्री कर एवं चुंगी कर सूचीबद्ध मूल्य के अतिरिक्त होंगे। हमने विभिन्न डिपो में शराब की कीमतों में भारी असमानता देखी। पाँच चयनित वस्तुओं में मार्च 2016 की कीमतों में असमानता 2.35 एवं 212.87 प्रतिशत के बीच रही, जिसे नीचे तालिका 7 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 7:- सीएसडी द्वारा निर्धारित शराब संबंधी वस्तुओं की थोक एवं खुदरा कीमतें

सूचकांक सं. तथा नाम	राज्य[11]	थोक दर प्रति बोतल					खुदरा दर प्रति बोतल				
		जम्मू कश्मीर	महा राष्ट्र	तामिल नाडु	उत्तर प्रदेश	केरल	जम्मू कश्मीर	महा राष्ट्र	तामिल नाडु	उत्तर प्रदेश	केरल
79194**विस्की रायल चैलेंज**	दर	262.53	335.25	205.06	393.60	167.85	288.80	368.80	225.60	433.00	184.60
	% भिन्नता	56.41	99.73	22.17	134.50	एल	56.45	99.78	22.21	134.56	एल
78172 **रम मैक डॉवल** XXX	दर	123.61	63.50	60.77	189.98	62.23	136.00	69.90	66.80	209.00	68.50
	% भिन्नता	103.41	4.49	एल	212.62	2.35	103.59	4.64	एल	212.87	2.54
79230 **विस्की ब्लेंडरर्स प्राईड**	दर	287.73	371.73	230.08	541.94	193.13	316.60	408.90	253.10	596.10	212.40
	% भिन्नता	49.03	92.48	19.13	180.61	एल	49.06	92.51	19.16	180.65	एल
76010 **एस/विस्की टीचर्स एच**	दर	550.85	743.55	492.63	910.26	458.33	605.90	817.90	541.90	1001.30	504.20
	% भिन्नता	20.19	62.23	7.48	98.60	एल	20.17	62.22	7.48	98.59	एल
79061**ब्रांडी हॉनी बी**	दर	129.82	115.79	91.86	197.70	66.25	142.80	127.40	101.00	217.50	72.90
	% भिन्नता	74.78	49.54	38.66	198.42	एल	95.88	74.76	38.55	198.35	एल

एल- न्यूनतम मूल्य जिसके उपर अंतर को परिकलित किया गया

जबकि एक कारण में राज्य सरकारों द्वारा आबकारी शुल्क की विभिन्न दरों को उत्तरदायी ठहराया गया, यह भिन्नता आबकारी शुल्क पर सीएसडी लाभ (12 प्रतिशत) और यूआरसी लाभ (11.2 प्रतिशत का प्रभावी मुनाफ़ा) के कारण और बढ़ गई। शुल्क एवं करों पर इस मुनाफ़े को जोड़ने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। यदि आबकारी शुल्क पर मुनाफ़े को न जोड़ा जाता तो उपभोक्ताओं को 0.55 से 14.46 प्रतिशत तक का कम भुगतान करना पड़ता जैसा कि नीचे तालिका 8 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 8: आबकारी शुल्क पर मुनाफे को प्रभार के कारण शराब पर अति भार

सूचकांक	सीएसडी द्वारा निर्धारित की गई खुदरा दर	लेखापरीक्षा में निकाला गया खुदरा दर	प्रभारित की गई अतिरिक्त राशि	अति भार प्रभार (प्रतिशत)	गंतव्य राज्य
79194 **विस्की रायल चैलेंज**	288.80	267.90	20.90	7.24	जम्मू कश्मीर
	368.80	329.94	38.86	10.54	महाराष्ट्र
	225.60	214.47	11.13	4.93	तमिलनाडु
	433.00	381.94	51.06	11.79	उत्तरप्रदेश
	184.60	181.89	2.71	1.47	केरल
78172 **रम मैक डॉवल** XXX	136.00	121.61	14.39	10.58	जम्मू कश्मीर
	69.90	65.94	3.96	5.67	महाराष्ट्र
	66.80	63.97	2.83	4.24	तमिलनाडु
	209.00	178.77	30.23	**14.46**	उत्तरप्रदेश
	68.50	65.71	2.79	4.07	केरल
79230 **विस्की ब्लेंडरर्स प्राईड**	316.60	295.74	20.86	6.59	जम्मू कश्मीर
	408.90	367.65	41.25	10.09	महाराष्ट्र
	253.10	242.00	13.10	5.18	तमिलनाडु
	596.10	519.62	76.48	12.83	उत्तरप्रदेश
	212.40	209.70	2.70	1.27	केरल

[11]राज्य जहाँ आबकारी शुल्क का भुगतान यूआरसी द्वारा की जाती है, पर विचार नहीं किया गया।

76010 **एस/विस्की टीचर्स एच**	605.90	585.06	20.84	3.44	जम्मू कश्मीर
	817.90	756.10	61.80	7.56	महाराष्ट्र
	541.90	530.79	11.11	2.05	तमिलनाडु
	1001.30	904.11	97.19	9.71	उत्तरप्रदेश
	504.20	501.42	2.78	**0.55**	केरल
79061**ब्रांडी हॉनी बी**	142.80	128.44	14.36	10.06	जम्मू कश्मीर
	127.40	113.42	13.98	10.97	महाराष्ट्र
	101.00	92.56	8.44	8.36	तमिलनाडु
	217.50	186.45	31.05	14.28	उत्तरप्रदेश
	72.90	70.13	2.77	3.80	केरल

***प्रति बोतल**

स्थानीय उगाही (आबकारी शुल्क) पर इस तरह मुनाफों के भार के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 680.31 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसमें से, ₹ 351.89 करोड़ की राशि को व्यापार अधिशेष के रूप में सीएसडी लेखों में लिया गया एवं यूआरसी को ₹328.42 करोड़ की शेष राशि का मुनाफ़ा हुआ जिसे रेजिमेंटल निधि में हस्तांतरित किया गया जैसा कि नीचे तालिका 9 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 9: आबकारी शुल्क पर सीएसडी एवं यूआरसी द्वारा प्रभार किए गए मुनाफ़ों के ब्योरे

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	आबकारी शुल्क का भुगतान	सीएसडी द्वारा आबकारी शुल्क पर भारित 12 प्रतिशत की दर से मुनाफ़ा	यूआरसी द्वारा शुल्क पर भारित प्रभावी 11.2 प्रतिशत मुनाफ़ा
2010-11	347.87	41.74	38.96
2011-12	430.86	51.70	48.26
2012-13	462.54	55.50	51.80
2013-14	521.98	62.64	58.46
2014-15	548.97	65.88	61.48
2015-16	620.22	74.43	69.46
Total	2932.44	351.89	328.42

संयोगवश, जिन राज्यों में आबकारी शुल्क को यूआरसी द्वारा भुगतान किया गया था, वहाँ यह देखा गया कि यूआरसी द्वारा भुगतान की गई आबकारी शुल्क पर मुनाफों को भारित किए बिना विक्रय की कीमत को निर्धारित किया गया जिससे कि, कीमत की निर्धारण में भिन्नता दिखाई दी। सीएसडी ने अपने उत्तर में मुनाफे के आबकारी शुल्क पर भारित होने के लेखापरीक्षा तर्क को दर्ज किया, तथापि, यह बताया कि सभी ब्रॅण्डों के लिए विक्रय कीमतों को नए सिरे से बनाना, कीमत संशोधन परिपत्रों को संकलन करना तथा उसे जारी करने के लिए अत्यधिक समय लगता है क्योंकि प्रत्येक ब्रॅण्ड की शराब की कीमत राज्यवार परिकलित की जाती है। चूँकि यह मामला लाभार्थियों को सस्ती कीमतों पर वस्तुओं के प्रदान करने से जुड़ा हुआ है, सीएसडी को शराब की मूल्य संरचना में परिवर्तन करने की शीघ्र आवश्यकता है।

निष्कर्ष 6:

सीएसडी द्वारा आबकारी शुल्क जो कि एक स्थानीय कर है और प्रत्येक राज्य के अनुसार भिन्न है पर मुनाफ़ों को भारित करने से, मूल्य निर्धारण नीति में परिकल्पित स्थानीय लेवी को छोड़कर देश

भर में कीमतों की बिक्री की एकरूपता को हासिल नहीं किया जा सका। इसलिए कीमत में आई भारी असमानता में कमी लाने के लिए आबकारी शुल्क पर मुनाफ़ों के भारित को पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

3.2 कीमतों के संशोधन में अनियमितता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ

लेखापरीक्षा के दौरान कीमतों के संशोधन में विसंगतियों के मामले एवं उसका उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:

3.2.1 कीमत में भिन्नताओं को निगरानी करने के लिए तंत्र का अभाव

सीएसडी की कीमत निर्धारण की नीतियों के अनुसार, यदि स्थानीय मार्केट में सामग्री की कीमत घटती है स्थानीय मार्केट में सामग्री की घटाई गई कीमत की तिथि के प्रभाव से सीएसडी के लिए की गई आपूर्तिओं में भी इस तरह का घटाव अपने आप लागू हो जाएगा तथा राशि में आई भिन्नता आपूर्तिकर्ताओं के लिए डेबिट हो जाएगी। कीमत में बढ़ोतरी के मामले में, सामग्री को प्रस्तावित होने के एक वर्ष पश्चात ही इसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। स्थानीय मार्केट में कीमतों पर नजर रखने की जिम्मेवारी मंडलीय प्रबंधकों एवं डिपो के प्रबंधकों पर होती है एवं किसी प्रतिकूल अंतर को सुधार के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट की जाती है।

यद्यपि, हमने देखा कि, सीएसडी इन्वैनट्री में धारित उत्पादों की कीमतों में आई भिन्नता की निगरानी के लिए न तो कोई विशिष्ट तंत्र को स्थापित किया गया है और न ही इसकी निगरानी के लिए किसी प्रक्रिया को विकसित किया गया है। हमने पाया कि स्थानीय मार्केट में प्रचलित कीमतों की सामयिक जाँच नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वेच्छापूर्वक प्रस्ताव के आधार पर ही कीमतों में आई गिरावट की जानकारी हुई। चार मामले जहां शिकायतों को प्राप्त किया गया एवं कीमतों में आई गिरावट को सीएसडी समय रहते पता लगाने में असफल रहा, को नीचे दर्शाया गया है:

- मार्च 2012 के प्रभाव से स्थानीय मार्केट में स्कॉच विस्की टीचर्स हाईलैंड क्रीम एवं टीचर्स 50 (सूचकांक संख्या 76010 एवं 76012) की कीमतों में गिरावट आई थी। तथापि, फर्म ने सीएसडी से उच्चतर दरों पर प्रभार लेना जारी रखा एवं सीएसडी भी मूल्य में आई गिरावट को नहीं देख सका। यह सिर्फ नवंबर 2013 में शिकायत प्राप्ति के आधार पर ज्ञात हुआ जिसमें कीमत को पुन: निर्धारित किया गया तथा मार्च 2012 से जून 2014 के दौरान ₹ 4.50 करोड़ की राशि को आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया। इस अवधि दौरान उपभोक्ता उच्चतर कीमतों का भुगतान करते रहे।

इस मामले की जाँच करने पर पाया गया कि 2005/2008 में मंजूरी मिली दरों के पिछले संशोधन भी गलत थे चूँकि वे फर्म द्वारा प्रस्तुत स्फीति व्यापार दरों पर आधारित थे। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी 2005 एवं जुलाई 2008 से फरवरी 2012 के बीच सांकेतिक संख्या क्रमश: 76010 एवं 76012 की आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई मात्राओं पर अतिरिक्त ₹ 8.82 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे वसूल किया जाना शेष है।

- सीएसडी उपभोक्ताओं से नवंबर 2012 में प्राप्त शिकायत के आधार पर स्थानीय मार्केट में क्रमश: अगस्त 2011 एवं अगस्त 2009 के प्रभाव से गोवर्धन प्रिमियम घी (पेट जार 1 लिटर एवं राउंड टिन 1 लिटर) एवं गुलाब जामुन मिक्स 200 ग्राम जैसी वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट को देखा गया। इसके अनुवर्ती आपूर्तियों के लिए ₹ 76.72 लाख की राशि को मार्च 2015 में फर्म से वसूल किया गया।

- सितंबर 2014 में प्राप्त शिकायत में मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टॉकिस्ट की तुलना में 1 किलो के डाबर च्यवनप्राश सामग्री को सीएसडी को उच्चतर दर पर बेचने की बात सामने आई। शिकायत की जाँच करने पर यह पाया गया कि स्फीति व्यापार इन्वॉइसेस के आधार पर फर्म ने कीमत के संशोधन के लिए आवेदन किया था जिसके परिणामस्वरूप 31/12/2014 तक फर्म से ₹ 1.15 करोड़ के अनुचित लाभ की आपूर्ति की गई जिसको ₹ 11.55 लाख के दंडीय प्रभार के साथ वसूल किया गया।

- अप्रैल 2010 के प्रभाव से स्कॉच विस्की जॉनी वॉकर ब्लैक लेबेल एवं रेड लेबेल (सूचकांक सं. 76025 एवं 76026) की कीमतों में गिरावट को फरवरी 2011 में आगामी संशोधन में मंजूरी के दौरान सीएसडी द्वारा देखा गया। अप्रैल 2010 से अप्रैल 2011 तक आपूर्तियों से प्राप्त की गई ₹ 16.14 लाख की राशि को तदनुसार मार्च 2014 में वसूला गया।

डीडीजीसीएस ने बताया (जुलाई 2016) कि, स्वतंत्र रूप से कंपनी द्वारा की गई घोषणा के अलावा मार्केट दरों की पहचान के लिए एक संशोधित पद्धति की खोज जारी है।
इस प्रकार, कीमत में हुई भिन्नता की निगरानी के लिए एक निश्चित तंत्र की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता कीमत में आई गिरावट से मिलने वाले लाभ को सीएसडी को देने से टालने में सफल रहे। चाहे सीएसडी ने आपूर्तिकर्ताओं से इसका कुछ अंश वसूल लिया परंतु सीएसडी के उपभोक्ता इससे वंचित रहे।

3.2.2 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों की गिरावट को कार्यवृत्त करने में विलंब

मई 2001 में सीएसडी (मुख्यालय) ने अपनी कीमत संशोधन प्रक्रिया को दोहराया जिसके तहत कीमत संशोधन प्राप्ति के निवेदन से 45 दिनों के अंदर सभी कीमत संशोधन संबंधी मामलों को

संपूर्ण किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में की गई गिरावट पर, कीमतों को संशोधित कर प्रावधानिक कीमत परिपत्र, सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा अविलंब जारी किया जाता है जिसकी पुष्टि मार्केट सर्वेक्षण के बाद कीमत संशोधन कमिटी (पीआरसी) द्वारा दी जाती है।

यद्यपि, हमने देखा (मार्च 2016) कि 25 मामलों में सीएसडी (मुख्यालय) ने प्रावधानिक तौर पर कीमतों को कम करने के लिए 9 से 177 दिनों का समय लिया एवं अंतिम पुष्टिकरण देने के लिए 45 से 3100 दिनों का समय लिया। इस विलंब के कारण, ₹ 11.09 करोड़ की राशि जिसमें ₹ 6.61 करोड़ को आपूर्तिकर्ताओं से बाद में वसूला गया, का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया जा सका जिसने सीएसडी के उद्देश्यों को असफल कर दिया।

3.2.3 सीएसडी का मूल्यों में गिरावट/वस्तुओं के एक से एक प्रतिस्थापन की मंजूरी प्रदान करने में विलंब

नई इलैक्ट्रॉनिक एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की संशोधित विशेषताओं के साथ लगातार लांच होने के कारण, सीएसडी ने 2009 में सभी नई/संशोधित एएफडी-I वस्तुओं को मार्केट सर्वेक्षण के बिना विद्यमान छूट की बेहतर दरों के साथ सभी एक से एक प्रतिस्थापन की स्वीकृति को मंजूरी दी। यह भी बताया गया कि इस प्रकार एक से एक प्रतिस्थापन के साथ कीमत में आए परिवर्तन को शीघ्रता से पीआरसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस प्रकार के सभी मामलों पर 45 दिनों के अंदर उपभोक्ताओं को तकलीफ पहुँचाए बिना निर्णय लिया जाना चाहिए।

एएफडी-I एवं सामान्य भंडार वस्तुओं की कीमतों में गिरावट/एक से एक प्रतिस्थापन से संबंधित लेखा परीक्षण से यह उजागर हुआ कि वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान मंजूरी मिली कीमत संशोधनों के कुल 854 मामलों में से 83 मामलों में सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा स्वीकृति मिलने में 48 से 395 दिनों तक का विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप, नवीनतम/सुधारित संस्करणों के साथ ₹ 2.63 करोड़ की राशि की कीमत में आई गिरावट से मिलने वाले लाभ को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

सीएसडी ने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की गई कीमतों की गिरावट को क्रियान्वित करने में हुए विलंब के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

निष्कर्ष 7:

सीएसडी इंवेंट्री में रखी गई वस्तुओं की कीमत में आई भिन्नता की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र या प्रक्रिया का विकास नहीं किया गया इसलिए आपूर्तिकर्ता कीमतों के गिरावट से प्राप्त होने वाले लाभ को सीएसडी को देने से टालने में सफल रहा। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमत संशोधन पर अंतिम निर्णय/अनुमोदन मिलने में विलंब के फलस्वरूप कीमत के गिरावट से प्राप्त ₹6.61 करोड़ राशि जिसे वसूला गया, का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसी प्रकार,

एक से एक एएफडी-I वस्तुओं के प्रतिस्थापन के अनुमोदन में विलंब के फलस्वरूप, नवीनतम/सुधारित उपकरणों के साथ कीमत में आई ₹ 2.63 करोड़ राशि की गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

3.3 गुणवत्ता नियंत्रण

इन्वैन्ट्री रेंज में सभी वस्तुओं के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, देश के विभिन्न भागों में स्थित छः समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं (सीएफएल) के माध्यम से नियमित आधार पर (छः महीनों में एक बार) खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं का परिक्षण किया जाना चाहिए। सामान्य भंडार वस्तुओं की मुख्य नमूनों के साथ तुलना क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र (आरटीसी), राष्ट्रीय परीक्षण हाउस (एनटीएच) इत्यादि के जरिए जाँच करनी चाहिए (सभी वस्तुओं को कम से कम दो वर्ष में एक बार परीक्षण किया जाना चाहिए)।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के सख्त क्रियान्वयन की निगरानी, जल्द परीक्षण तथा परीक्षण रिपोर्टों को सुनिश्चित करने में एक प्रभावी तंत्र को लाने की आवश्यकता जिससे कि ग्राहक घटिया वस्तुओं की खरीद से बच सके के लेखापरीक्षा के सुझावों पर मंत्रालय ने पीएसी को आश्वासन देते हुए बताया (दिसंबर 2011) कि, विद्यमान नीति के अनुसार निर्धारित अवधि पर सीएसडी इनवैंट्री रैंज की सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है तथा तेजी से नियमित जाँच की सुविधा के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लिया गया है एवं यह कार्य दिसंबर 2012 तक संपूर्ण किया जाएगा।

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लायसेंस और खाद्य व्यापारों का पंजीकरण) नियम 2011 के तहत निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार सभी खाद्य व्यवसायिक ऑपरेटरों को पंजीकृत एवं लायसेंस होना चाहिए। यद्यपि, रक्षा मंत्रालय ने इस तर्क पर एफएसएसएआय लायसंसिग के अहाते से यूआरसी को छूट मिलने के लिए निवेदन किया कि, सीएसडी डिपो जिसके साथ यूआरसी संलग्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) के साथ लायसंसिकृत है, और वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तदनुसार, एफएसएसएआई ने यूआरसी को छूट दी लेकिन यूआरसी द्वारा एफएसएसए, नियमों के प्रावधानों को पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीएसडी डिपो को दी। चूँकि सीएसडी डिपो ने अपने साथ जुड़ी हुई यूआरसी से संबंधित खाद्य सुरक्षा के दायित्व को अपने उपर लिया, सभी डिपो में खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएसडी प्रबंधन के सख्त प्रोटोकॉल को लागू करने की आवश्यकता है।

तथापि, चयनित एरिया डिपो का विश्लेषण इंगित करता है कि सीएसडी निर्धारित समय सीमा के भीतर वस्तुओं का परीक्षण करवाने में असफल रहा जिसे नीचे दर्शाया गया है:

3.3.1 निर्धारित समय-सीमा में खाद्य एवं शराब की वस्तुओं का परीक्षण न किया जाना

हमने देखा कि मंत्रालय द्वारा पीएसी को खाद्य एवं शराब की वस्तुओं के परीक्षणों के लिए परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के आश्वासन के बावजूद, समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं (सीएफएल) की संख्या 6 से घटकर 3 हो गई (अगस्त 2014) जो कि मुंबई, दिल्ली एवं बी डी बारी में स्थित है।

उपरोक्त वर्णित तीन में से दो समग्र खाद्य प्रयोगशालाएँ निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आवरित एरिया डिपो के साथ सह स्थित हैं। दिल्ली एवं बीडी बारी की समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य एवं शराब से संबंधित भेजी गई वस्तुओं का ब्योरा व उसके परिणाम तालिका 10 में दर्शाए गए हैः

तालिका 10:- समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं में भेजी गई खाद्य एवं शराब से संबंधित सामग्रियाँ

वर्ष	सीएसडी एरिया डिपो दिल्ली			सीएसडी एरिया डिपो बी डी बारी		
	प्राप्त वस्तुओं की संख्या	भेजे गए नमूनों की संख्या	अयोग्य घोषित किए गए नमूनों की संख्या	प्राप्त वस्तुओं की संख्या	भेजे गए नमूनों की संख्या	अयोग्य घोषित किए गए नमूनों की संख्या
2010-11	664	435 (66)	0	439	89(20)	0
2011-12	721	479 (66)	1	487	70(14)	0
2012-13	712	282 (40)	0	513	74(14)	0
2013-14	752	403 (54)	7	577	57(10)	0
2014-15	778	461 (59)	7	622	120(19)	0
2015-16	914	352 (39)	16	690	237 (34)	0

( )वर्ष के दौरान डिपो में प्राप्त वस्तुओं के सम्मुख प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए संदर्भित वस्तुओं की प्रतिशतता

उपरोक्त तालिका 10 द्वारा देखा जा सकता है कि खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुएँ जिनका 100 प्रतिशत परीक्षण किया जाना था, दिल्ली एवं बी डी बारी द्वारा क्रमश: 39-66 प्रतिशत एवं 10-34 प्रतिशत तक परीक्षण किया गया। यह तथ्य है कि जहां परीक्षण के दौरान कुछ नमूनों को अयोग्य पाया गया, वहाँ इस बात की संभावना है कि कुछ खाद्य वस्तुएँ जो बिना परीक्षण के जारी की गई हों एवं उपयोग की गई हों, प्रमाणिक गुणवत्ता वाले नहीं भी हो सकते हैं। अत: डिपो यूआरसी तथा उपभोक्ताओं को जारी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को आश्वासित करने में असफल रहा।

एक उदाहरण जिसने निष्कृष्ट दर्जे की वस्तुओं को जारी करने की लेखापरीक्षा की आशंका को स्थापित किया कि जब एरिया डिपो बाघडोगरा (एरिया डिपो दिल्ली के जरिए) द्वारा जनवरी 2014 में किंग फिशर बियर के नमूने को प्रयोगशाला में भेजा गया था, तो इसे उपभोग के लिए अयोग्य बताया गया। तथापि, इस दौरान, ₹ 8.43 लाख मूल्य के प्रभावित बैच का स्टॉक उपभोक्ताओं को बेचा जा चुका था।

सभी खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं को 100 प्रतिशत जाँच एवं उपयुक्त निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, सीएसडी (मुख्यालय) ने अगस्त 2014 में निर्णय लिया कि खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं की सूची को मुख्यालय से जारी किया जाएगा एवं प्रत्येक माह की 5 तारीख तक समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं के सह स्थित सीएसडी एरिया डिपो को अग्रेषित किया जाएगा जिससे कि सभी खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं के परीक्षणों को छः महीनों में आवरित किया जा सके। तथापि, हमने देखा कि सीएसडी (मुख्यालय) परीक्षण किए जाने के लिए खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं की सूची को हर माह उत्पन्न एवं अग्रेषित करने में असफल रही। 956 खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं की तुलना में सिर्फ 520 वस्तुओं को परीक्षण करने के लिए चयनित सूची किया गया जिसमें से 448 वस्तुओं को अगस्त 2014 से मार्च 2015 के बीच विभिन्न डिपो द्वारा प्रयोगशाला में भिजवाया गया। हमने देखा कि प्रयोगशाला 281 खाद्य वस्तुओं एवं 91 शराब से संबंधित वस्तुओं (फरवरी 2016) की गुणवत्ता पुष्टीकरण पर निर्णय प्रस्तुत नहीं कर पायी। प्राप्त की गई 76 परीक्षण रिपोर्टों में प्रयोगशालाओं ने 35 नमूनों (46 प्रतिशत) को निष्कृष्ट घोषित किया था। वर्ष 2015-16 के दौरान 1781 चयनित वस्तुओं में से सिर्फ 589 वस्तुओं को सीएसडी डिपो दिल्ली एवं बीडी बारी प्रयोगशाला द्वारा जाँच के लिए प्रस्तावित किया गया जबकि शेष 67 प्रतिशत वस्तुओं को बिना जाँचे विक्रय किया गया।

प्रतिक्रिया में डीडीजीसीएस ने बताया (जुलाई 2016) कि अतिरिक्त प्रयोगशालाओं (राज्य सरकार/गैर-सरकारी) की सूची के प्रस्ताव को शुरू किया जा चुका है, जिससे और अधिक ब्योरेवार विश्लेषण मिल जाएगा।

उत्तर तर्कयुक्त नहीं है क्योंकि पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के आधार पर यही आश्वासन पीएसी को दिया गया था लेकिन प्रयोगशालाओं की संख्या 6 से घटकर 3 हो चुकी है, फलस्वरूप परीक्षणों की सुविधाओं में सीमितता आ गई है। 46 प्रतिशत खाद्य नमूनों को निष्कृष्ट पाए जाने के परिणामस्वरूप यह मुद्दा काफी गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। इन निर्णयों ने प्रस्तावित कंपनियों की विश्वसनीयता एवं उनके द्वारा खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं।

3.3.2 पुष्टिकारक परीक्षण के बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का ग्रहण किया जाना

2001 की नीति अनुसार, सभी वस्तुओं को कम से कम दो वर्षों में एक बार परीक्षण किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सीएसडी (मुख्यालय) सामान्य भंडारों के परीक्षणों की व्यवस्था एवं निगरानी करता है। मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि परीक्षण केंद्रों के साथ-साथ समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं को जो डिपो के साथ सह स्थित है को दो महीनों की समय सीमा के भीतर गुणवत्ता जाँच रिपोर्टों को अग्रेषित करने के लिए निवेदन किया गया था। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान, यद्यपि 5941 सामान्य भंडार वस्तुओं को नामित प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए

भेजा गया था जिसमें से 4366 (73 प्रतिशत) वस्तुओं पर किसी भी तरह का निर्णय प्रयोगशालाओं द्वारा नहीं दिया गया जिसे तालिका 11 में दर्शाया गया है:

तालिका 11: परीक्षणों के लिए भेजी गई वस्तुओं से संबंधित निर्णयों की स्थिति

वर्ष	प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों की कुल संख्या	वस्तुओं की संख्या जिस पर रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है	प्रतीक्षित रिपोर्ट प्रतिशत में
2010-11	1046	703	67.21
2011-12	1009	804	79.68
2012-13	1060	814	76.79
2013-14	984	564	57.32
2014-15	1044	720	68.97
2015-16	798	761	95.36
कुल	5941	4366	73.49

हमने देखा कि परीक्षण के परिणामों को शीघ्र उपलब्ध करने हेतु लिए गए उपायों का कोई भी दस्तावेज सीएसडी में मौजूद नहीं था, इससे सीएसडी द्वारा निगरानी करने में पर्याप्त कमी को दर्शाता है जो गुणवत्ता आश्वासन के लिए सभी भंडारों/वस्तुओं की जाँच के उद्देशय् को असफल करता है। रिपोर्टों के विश्लेषण से यह उद्घाटित होता है कि प्राप्त 1575 (5941-4366) परीक्षण रिपोर्टों में 100 वस्तुओं को निष्कृष्ट घोषित किया गया एवं इन रिपोर्टों को डिपो में 5-12 महीनों के विलंब के बाद प्राप्त किया गया। इस बात की संभावना है कि उन निष्कृष्ट नमूनों से संबंधित भंडारों को यूआरसी में जारी किया गया हो तथा उसका सेवन किया जा चुका हो।

सीएसडी ने (जनवरी 2016) में कहा कि, सरकार चालित प्रयोगशाला होने के कारण, परीक्षण रिपोर्टों को देने में कोई भी समय सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता और साथ ही यह भी बताया गया (जुलाई 2016) कि, केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं की कमी होने के कारण परीक्षण रिपोर्टों में अत्यधिक देरी हुई एवं इसलिए कई और प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

समय सीमा की अनुपस्थिति के बारे में दिया गया उत्तर मंत्रालय द्वारा निर्धारित दो महीनों की समय सीमा से असंगत है। 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 14 की प्रतिक्रिया में, पीएसी को प्रयोगशालाओं की संख्याओं को बढ़ाने के लिए दिए गए आश्वासन गलत साबित हुए।

3.3.3 तुलनात्मक परीक्षण किए बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का मंजूरीकरण

सीएसडी इनवैंट्री रेंज में निष्कृष्ट वस्तुओं के प्रवेश को टालने के लिए, कई सारे गुणवत्ता नियंत्रण उपाय सीएसडी द्वारा निर्धारित किए गए थे। तदनुसार, अक्तूबर 1999 में सामान्य भंडार वस्तुओं के परीक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए जहाँ यह बताया गया कि डिपो से एक नमूना एवं सिविल बाजार से दूसरा नमूना परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

हमने, तथापि, देखा कि सीएसडी में आपूर्ति की वस्तुओं की गुणवत्ता का तुलनात्मक परीक्षण बाजार में मौजूदा सामग्रियों से नहीं किया गया।

सीएसडी ने (जुलाई 2016) बताया कि सीएसडी में सूचीबद्ध सभी वस्तुओं की सिविल बाजार में मौजूदा उन्हीं वस्तुओं से गुणवत्ता परीक्षण का प्रस्ताव प्रक्रियागत है एवं परीक्षण को प्रभावी रूप से एवं तेजी लाने के लिए कई और प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह उत्तर कि प्रस्ताव अभी भी प्रक्रियागत है, इस बात की संभावना को दर्शाता है कि 1999 के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित किए जाने के बावजूद भी तुलनात्मक परीक्षण किए बिना सीएसडी द्वारा सामान्य भंडार वस्तुओं का खरीद एवं सेवन किया जा रहा है।

3.3.4 प्रायोजित आयु की सत्यता को जाँचे बिना यूआरसी को वस्तुएँ जारी करना

विनाशशील वस्तुओं से संबंधित नीति अनुसार, सीएसडी ने निर्देश दिया कि किसी भी अवस्था में डिपो प्रबंधक द्वारा विनाशशील वस्तुओं जिसका अवशिष्ट जीवन 85 प्रतिशत से कम हो, को प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, विनाशशील वस्तुओं के किसी भी भंडार को जिसका अवशिष्ट जीवन 50 प्रतिशत से कम हो यूआरसी को जारी नहीं किया जाएगा एवं यूआरसी को जारी किए गए भंडार की विनिर्माण तिथि को इंडैंट-कम-इनवॉइस में संबंधित सामग्री के सामने यूआरसी को देने एवं मूल्य अंकित करने के पहले निरपवाद रूप से दर्शाया जाएगा। विनाशशील वस्तुओं से संबंधित स्टॅक कार्डों को प्रदर्शित करने की सुनिश्चितता के सुझावों पर पीएसी के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते समय मंत्रालय ने भी यह पुष्टि की थी कि मौजूदा नीतियों को समय-समय पर दोहराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उपभोक्ता उस वस्तु का सेवन अवशिष्ट जीवन के भीतर कर ले। तथापि, हमने देखा कि यूआरसी को जारी किए गए इंडैट कम इनवॉइस के अभ्युक्तियों के मद में भंडार के विनिर्माण तिथि को दर्शाया नहीं गया था। यहां तक कि डिपो में स्टॅक कार्डों का अनुरक्षण नहीं किया गया और जहाँ वे थे, विनिर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच संख्या इत्यादि से संबंधित सूचनाओं से वंचित थे।

कुछ डिपो ने स्टॅक कार्डों को अनुरक्षित न रख पाने की कमी एवं यूआरसी के इंडैंट-कम-इंवॉइस में विनिर्माण तिथि को सूचित नहीं करने को स्वीकारा। कुछ डिपो ने इसका कारण मानवशक्ति की कमी एवं अतिरिक्त कार्य बोझ को इंगित किया। यह भी बताया गया कि डिपो 85 प्रतिशत से कम की अवशिष्ट जीवन वस्तुओं को कभी भी मंजूर नहीं करता एवं बैच संख्या, विनिर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं अवशिष्ट आयु इत्यादि को कार्टून्स में वर्णित ब्योरों से विवेकपूर्वक ढँग से जाँचा जाता है।

एरिया डिपो द्वारा उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेबेल/कार्टूनों पर लिखि तिथि से अवशिष्ट जीवन को प्रबंधित किया जाना व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि भंडारों के अवशिष्ट जीवन से संबंधित किसी

भी रिकार्ड को अनुरक्षित नहीं रखा गया था जिससे अवशिष्ट जीवन की 50 प्रतिशत अवधि के भीतर वस्तुओं को यूआरसी को जारी करना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह गंभीर है क्योंकि उपभोज्य एवं खाद्य सामग्रियाँ जिसमें बच्चों के खाद्य भी शामिल थें, को अवशिष्ट जीवन की सत्यता की जाँच किए बिना जारी की जा रहीं थी।

निष्कर्ष 8:

पीएसी को आश्वासन देने के बावजूद, परीक्षणों की सटे हुए सीएफएल में सीमितता तथा अतिरिक्त विश्वसनीय प्रयोगशालाओं की खोज न करने की वजह से निर्धारित नीति के अनुसार वस्तुओं के गुणवत्ता परीक्षण के लिए सीएसडी अपनी ओर से असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित चक्र पर सीएसडी द्वारा प्राप्त वस्तुओं का परीक्षण न हो सका। सीएसडी परीक्षण निर्णयों की निगरानी व प्राप्ति को समय पर सुनिश्चित करने में भी असफल रहा जिसने परीक्षण के उद्देश्य को ही विफल कर दिया। सीएसडी का एफएसएसएआय को आश्वासन कि उसके अधीन सभी यूआरसी एफएसएसए के सभी प्रावधानों, नियमों तथा अधिनियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे, उसकी वचनबद्धता में विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है क्योंकि डिपो स्वत: निर्धारित गुणवत्ता जाँचों को बनाए नहीं रख पाया।

सिफारिशें

5. मंत्रालय को सीएसडी एवं यूआरसी के आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सख्ती से क्रियान्वयन करने के लिए प्रभावपूर्ण तंत्र को तैयार करना चाहिए ताकि एफएसएसएआई एवं उपभोक्ताओं को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जा सके।

अध्याय IV
वित्तीय संचालन

लेखापरीक्षा उद्देश्य: वित्तीय एवं लेखाकरण नियमों, मानकों एवं पद्धतियों के अनुसार सीएसडी का वित्तीय प्रचालन कार्यों का आकलन करना

4 वित्तीय रिपोर्टिंग

सीएसडी (मुख्यालय) वार्षिक लेखा तैयार करती है जिसमें हर वित्तीय वर्ष के व्यापार तथा लाभ एवं हानि लेखा एवं बॅलेंस शीट शामिल होते हैं। वर्ष 2010-11 से 2015-16 अवधि के दौरान सीएसडी की वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण को नीचे रेखांकित किया गया है:

4.1 टर्नओवर व लाभप्रदता

सीएसडी के वार्षिक लेखा के अनुसार समीक्षाधीन छः वर्षों के दौरान टर्नओवर एवं लाभप्रदता की प्रवृतियाँ नीचे तालिका 12 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 12: सीएसडी के वित्तीय परिणाम

वर्णन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16[12]
बिक्री	9752.33	9746.59	10245.35	12202.35	13709.32	15781.37
खरीद	8485.53	8180.57	9107.78	10396.72	12118.95	14000.28
व्यापारिक व्यय	559.33	690.39	762.83	839.60	889.67	1015.80
क्यू डी प्रावधान	290.40	330.09	332.67	386.04	430.00	450.00
सकल लाभ (जीपी)	415.66	339.56	332.52	443.08	410.60	339.48
बिक्री के सकल लाभ का प्रतिशत	4.26	3.48	3.25	3.63	3.00	2.15
स्टॉफ व्यय	88.24	94.42	101.92	104.32	110.39	125.20
प्रचालन व्यय	13.90	16.87	15.05	21.93	26.04	20.96
शुद्ध लाभ (एनपी)	267.84	216.31	219.35	177.94	235.69	286.40
बिक्री के शुद्ध लाभ का प्रतिशत	2.75	2.22	2.14	1.46	1.72	1.81
क्लोजिंग स्टॉक	817.37	611.40	901.86	762.41	902.31	926.50

वर्ष 2010-11 के विक्रय में ₹ 9752.33 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 15781.37 करोड़ अर्थात 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बावजूद, उपरोक्त तालिका 12 से यह स्पष्ट होता है कि 2010-11 से 2013-14 तक शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई जब कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में इसमें

[12]वर्ष 2015-16 के आकड़े प्रावधानिक हैं।

बढ़ोतरी देखी गई। जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 4.3.1 में दर्शाया गया है आगामी वर्षों में पहले की अवधियों की खरीद के लेखांकन के कारण विक्रय के अनुपात में सकल/शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई तथा व्यापारिक खर्चों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वॅट सम्बन्धित दावों के लिए लेखों में किए गए प्रावधानों ने भी शुद्ध मुनाफे में गिरावट लाने में योगदान किया।
हमने यह भी देखा कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 वर्षों के मुनाफे को दायित्वों को कम दिखाते हुए तथा परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर उसे अतिरंजित किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के पैरा 4.6.1 में दर्शाया गया है।

4.2 कुछ मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण न किया जाना

वित्तीय विवरणी की उचित रूप से समझने के लिए, यह आवश्यक है कि, वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुति में अपनाए गए सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रकट किया जाए और उन्हें वित्तीय विवरणी का हिस्सा होना चाहिए। लेखांकन नीतियों में आए किसी भी प्रकार के ऐसे बदलाव जिससे वित्तीय नीतियों पर प्रभाव पड़ता है, उसे भी प्रकट करना आवश्यक है। तथापि वॅट वापसी का दावा, पेंशन अंशदान की गणना, आग, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान, इत्यादि से संबंधित वार्षिक लेखों की तैयारी करते समय सीएसडी द्वारा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसरण को लेखों में प्रकट नहीं किया गया जिसके कारण वित्तीय विवरणी का पाठक संगठन की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप में समझने में असमर्थ रहेगा। ऐसा इस तथ्य के बावजूद था कि, पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में सिफारिश की गई थी कि, सीएसडी को व्यवसायिक संचालन करने वाली संगठनों के सदृश्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं व लेखाकंन की नीतियों को अपनाना चाहिए।

इस विषय से संबंधित हमारी टिप्पणियों की चर्चा इस रिपोर्ट के पैरा 4.4 एवं 4.7 में की गई है।
इसके उत्तर में, सेना मुख्यालय, क्यूएमजी शाखा ने बताया (जुलाई 2016) कि, लेखांकन नीतियों का अनुसरण वर्ष 2014-15 के लेखों में दिखाई देता है। किन्तु वॅट वापसी दावों का ट्रीटमेंट, पेंशन अंशदान की गणना, आग/प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान, इत्यादि से संबंधित लेखों में किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण न होने के कारण दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा की चिन्ता का समाधान नहीं करता।

4.3 विविध लेनदार एवं देनदार

4.3.1 विविध लेनदार का गलत लेखांकन

सामान्य तौर पर मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार, प्राप्त की गई वस्तुओं के दायित्वों को उसी वर्ष में लेखांकित करना चाहिए ताकि उसे उस वर्ष के राजस्व से मिलान हो सके। तथापि, हमने देखा कि, प्रासंगिक वर्ष में बकाया लेनदारों की केवल आंशिक दायित्वों को लेखांकित किया गया अर्थात 31 मार्च से पहले प्राप्त की गई वस्तुओं से संबंधी बिल जिसे मई/जून के अंत तक प्राप्त

किया गया था, को उसी वर्ष में लेखांकित किया गया तथा उसके बाद में प्राप्त किए गए बिल को आगामी वर्ष के लेखों में लेखांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप दायित्वों का गलत चित्रण दिखाई पड़ रहा था जैसा कि नीचे तालिका 13 में दर्शाया गया है:

तालिका 13: पिछली वर्षों के प्राप्त बिल को आगामी वर्ष के दौरान लेखांकित किए जाने का ब्योरा

बिलों का संबंध	वर्ष के दौरान प्राप्त एवं लेखांकित किए गए बिल (आकड़े ₹ में)					
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
2007 से पहले	0	1864790	0	8468	0	0
2007-08	6774813	2333442	449958	13560240	0	7430
2008-09	47527674	13064906	5388687	367375	0	0
2009-10	439227347	82783674	22508314	3310098	2234509	144699
2010-11	0	1282366819	73541380	63484852	16716538	3898348
2011-12	0	0	302570797	316426265	38385569	11423131
2012-13	0	0	0	0	116987598	40489017
2013-14	0	0	0	0	241779123	67768772
2014-15	0	0	0	0	0	81451244
कुल	493529834	1382413631	404459136	397157298	416103337	205182641

जैसा कि तालिका 13 में देखा जा सकता है, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल की स्वीकृति संबंधी नीतियों के न होने के कारण वस्तुओं की प्राप्ति के 2 से 8 वर्षों के पश्चात सीएसडी ने बिल को स्वीकार कर लिया। हमने यह भी देखा है कि, 2012-13 से 2015-16 के दौरान वास्तविक भुगतान के बिना शेष राशि को घटाकर पिछले वर्ष के बकाया लेनदारों को अक्सर समायोजित किया गया जैसा कि तालिका 14 में दर्शाया गया है:

तालिका 14: भुगतान किए बिना लेखों में घटाए गए बिल से संबंधित विवरणी (आकड़े ₹ में)

लेखों के वर्ष	वर्ष एवं भुगतान किए बिना बिल के मूल्य में आई गिरावट				दायित्वों में कुल गिरावट
	2007 से पहले	2007-08	2008-09	2012-13	
2012-13	3319909	शून्य	शून्य	शून्य	3319909
2013-14	शून्य	शून्य	शून्य	157079308	157079308
2014-15	31907	13864292	151073	शून्य	14047272
2015-16	124000	शून्य	शून्य	शून्य	124000

इस प्रकार, विविध लेनदारों को भुगतान किए बगैर खरीदी तथा गिरावट को कम आँकने के कारण, संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ को सही ढंग से दर्शाया नहीं गया और इसलिए लेखों में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रतिबिंबित नहीं हुआ। वर्ष 2010-11 के दौरान हुए स्फीति लाभ के कारण आगामी वर्षों के लेखों में प्रभावी परिणाम को नीचे तालिका 15 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 15: लेखों में विविध लेनदारों को कम आँकने का प्रभाव **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	लेखों में शुद्ध लाभ	खरीदी का कम लेखांकन	पिछले खरीदी का बोझ	खरीदी में गिरावट	वास्तविक मुनाफ़ा	गलत ढंग से दर्शाया गया मुनाफ़ा
1	2	3	4	5	6 (2-3+4-5)	7 (2-6)
2010-11	267.84	158.80	0	0	109.04	+158.80
2011-12	216.31	66.88	138.24	0	287.67	-71.36
2012-13	219.35	15.75	40.45	0.33	243.72	-24.37
2013-14	177.94	30.95	39.72	15.71	171.00	+6.94
2014-15	235.69	8.15	41.61	1.40	267.75	-32.06

टिप्पणी:उपरोक्त तालिका में आकड़ो को लेते समय वर्ष 2010-11 को बेस वर्ष के रूप में माना गया है।

यद्यपि सीएसडी (मुख्यालय) ने डिपो प्रबंधकों को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए कि,"पिछली वित्तीय वर्षों से संबंधित सभी बिल (पुन: प्रमाणित बिल सहित) मुख्यालय को अग्रेषित किए गए थे तथा कोई भी बिल डिपो में बकाया नहीं थे", जो लगातार अनुस्मारकों के बावजूद भी एरिया डिपो से सीएसडी को प्राप्त नहीं हुए।

पिछले पांच वर्षों की वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करते समय हमने लगातार सिफारिश की थी कि सीएसडी को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जहाँ वर्ष के दौरान प्राप्त माल से संबंधित सभी बिल की विवरणी को सीएसडी (मुख्यालय) स्तर पर रखा जाए ताकि लेखों में सही आंकड़ों को प्रतिबिंबित किया जा सके। तथापि, विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसडी द्वारा की गई खरीद से संबंधित सही आकड़ों को अंकित करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई (मार्च 2016) की जानी बाकी थी।

उत्तर में, सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि, मैनुअल रूप में कार्य करने के कारण एक कट-ऑफ तारीख तक बिलों को लेखांकित किया गया था और शेष बिलों का आगामी वित्तीय वर्ष में लेखांकित करने की वजह से उस वर्ष में होने वाले मुनाफ़ों में गिरावट अपने आप ही देखी जा सकती है।
यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इससे व्ययों के साथ राजस्वों के मिलान की अवधारणा पूरी नहीं होती तथा इस कारण लेखों में सही तथा निष्पक्ष स्थिति प्रतिबिंबित नहीं होती। इसके अतिरिक्त, कई वर्ष बाद स्वीकृत किए गए बिल भंडारों के मूल्यों में अशुद्धता के जोखिम से परे नहीं है।

4.3.2 खातों में विविध देनदारों का गलत चित्रण

वर्ष 1994-95 से 31 मार्च 2016 तक ₹ 21.77 करोड़ के 15930 डेबिट नोट्स के अन्तर्गत विविध आपूर्तिकर्ताओं से वसूली बाकी थी। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 14 में सिफारिश की गई थी कि, सीएसडी को पाँच वर्षों से अधिक की बकाया राशि को वसूल करने या प्रक्रिया के अनुसार उस राशि को खारिज करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसे पीएसी द्वारा भी सही ठहराया गया था। हमने देखा कि खरीद खाता

बट्टे के निपटान हेतु बुलाई गए बोर्ड ने अगस्त 2012 में अस्तित्व में न होने वाले आपूर्तिकर्ताओं से देय ₹ 6.36 करोड़ की राशि को खारिज करने की सिफारिश की थी। तथापि, अभी भी (मार्च 2016) इस संस्वीकृति को प्रदान किया जाना शेष था। मामले की वर्तमान स्थिति पर लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सवाल की प्रतिक्रिया में, सीएसडी ने बताया कि वर्ष 2013-14 से लेखों में खारिज करने संबंधी प्रावधान किए गए थे तथा इस प्रस्ताव पर सीजीडीए से अंतिम स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है।

चूँकि खारिज की गई राशि उन आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित थी, जो अभी सीएसडी के साथ कोई व्यवहार नहीं करते तथा वसूली की जहाँ कोई गुँजाईश नहीं थी, इस संबंध में अनुमोदन के लिए लगभग चार वर्षों का विलंब न्यायोचित नहीं।

निष्कर्ष 9:

पीएसी के सिफारिशों के बावजूद, सीएसडी अपने लेखों में विविध लेनदारों की सही छवि को दर्शाने में असफल रहा जिससे कि खरीद को कम आँका गया। इसके अतिरिक्त सीएसडी द्वारा बकाया विविध देनदारों को, जो अस्तित्व में नहीं है, खारिज करना अभी भी शेष है।

4.4 आग/प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हानि को वार्षिक लेखों में लेखांकन न किया जाना

सामान्य तौर पर मान्य लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुसार, आग/प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुए भंडार को भंडारों की असमान्य हानि की संज्ञा दी जाती है अर्थात यह अप्रत्यक्ष व्यय है और जिसे व्यापारिक संस्था के लाभ तथा हानि लेखों में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

हमने पाया कि सीएसडी द्वारा आग/प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुए भंडारों के हानि का लेखांकन सही नहीं था क्योंकि क्षतिग्रस्त भंडारण को क्लॉजिंग स्टॉक में से सीधे घटाया जाता है, जिसके कारण व्यापारिक लेखा प्रभावित होता है। इस तरह की हानि वित्तीय विवरणी में पृथक मद के रूप में प्रदर्शित नहीं होती है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014-15 के दौरान तीन एरिया डिपो में आग तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए ₹ 23.66 करोड़ की हानि वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों में प्रदर्शित नहीं हुई।

उत्तर में, सीएसडी निदेशालय ने बताया (जुलाई 2016) कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस संदर्भ में व्याख्यात्मक टिप्पणी/अध्यक्षीय विवरणी में इसका पृथक प्रकटीकरण प्रतिबिंबित हुआ है। यद्यपि, हमने वर्ष 2014-15 के लेखों में इस तरह के किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण को नहीं देखा। इसके

अतिरिक्त, टिप्पणी/अध्यक्षीय विवरणी में नाममात्र उल्लेख से, उनका सही एवं निष्पक्ष प्रतिबिंब लेखों में नहीं दिखाई देगा।

4.5 मात्रात्मक छूट (क्यूडी)

मात्रात्मक छूट (क्यूडी) एक प्रोत्साहन है जो यूआरसी को मुफ्त भंडारों के रूप में सीएसडी द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है एवं पिछले वर्ष में यूआरसी द्वारा खरीदी गई कुल भंडारों के प्रतिशत के रूप में इसकी गणना की जाती है। सीएसडी जिन वस्तुओं पर 6 प्रतिशत या उससे ज्यादा के लाभ सीमा को भारित करता है, उसमें से मुनाफे के 4.5 प्रतिशत घटक को क्यू डी के रूप में संवितरित किया जाता है एवं जिन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत का मुनाफ़ा प्राप्त होता है, उसमें से मुनाफे के 3.5 प्रतिशत मार्जिन, क्यूडी के रूप में संवितरित कर दिया जाता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुमोदित बजटीय अनुदान में से क्यूडी संवितरित की जाती है। इस तरह गणना की गई राशि को आगामी वर्षों के बजट में "आपूर्तियों एवं सामग्री" शीर्ष के तहत शामिल किया जाता है। यूआरसी के लिए मंजूरीकृत क्यूडी राशि को कल्याणकारी कार्यों के लिए, यूआरसी की आधारभूत संरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए, ओवरहेड्स व्ययों के लिए, कर्मचारियों के भुगतान के लिए, लिकेज एवं अन्य व्यापारिक नुकसानों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। संयोगवश, पीएसी ने अपने 75वीं रिपोर्ट में दोहराया था कि स्वयं किए गए योगदानों से सैनिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों को किया जाना संविधान में प्रतिष्ठापित कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं था एवं इसके फलस्वरूप इच्छा ज़ाहिर की गई थी कि अपेक्षित निधि के लिए संसद के सामने सैनिकों की आवश्यकताओं को लाया जाएगा। इस प्रकार कल्याणकारी कार्यों के लिए क्यूडी का अनुदान न्यायोचित नहीं हैं।

4.5.1 उपभोक्ताओं के लिए मात्रात्मक छूट के लाभ को नकारना

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में (2010-11 वर्ष की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संख्या 14, संघ सरकार, रक्षा सेवाएँ), हमने देखा था कि मात्रात्मक छूट का लाभ उपभोक्ताओ तक नहीं पहुँचाया गया एवं इसे सिर्फ यूआरसी के मुनाफों में मिलाया गया, फलस्वरूप सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों की पुष्टि बिना ही निधि को सार्वजनिक कोष से गैर सार्वजनिक कोष में स्थानान्तरित किया गया। उपरोक्त अवलोकन, जिसे पीएसी ने भी स्वीकार किया, के आधार पर मंत्रालय ने मार्च 2012 में क्यूडी की प्रायोगिकता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिससे क्यूडी खातों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के तहत लिया गया। लेखापरीक्षा में, हमने पाया कि क्यूडी की प्रायोगिकता पर मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों का यूआरसी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। पुनरीक्षण के तहत चयनित यूआरसी में क्यूडी की गलत प्रयोग के संबंध में की गई टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के पैरा 6.3 अध्याय V। में प्रस्तुत किया गया है।

एक्झिट कॉन्फरन्स के दौरान, डीडीजीसीएस ने बताया कि क्यूडी के उन्मूलन के प्रस्ताव को मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है जहां यह प्रस्तावित किया गया कि सीएसडी द्वारा भारित मुनाफे की प्रतिशतता को कम किया जाए एवं यूआरसी द्वारा भारित मुनाफे की प्रतिशतता को बढ़ाया जाए। मैनेजमेंट द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि सीएसडी थोक खरीद के कारण प्राप्त मुनाफे को पूरी तरह यूआरसी को प्रदान करता है, अतः अपने मुनाफे को क्यूडी के रूप में यूआरसी से साँझा करना नियमानुसार नहीं है क्योंकि यूआरसी वस्तुओं की बिक्री पर खुद भी मुनाफ़ा कमाता है। मंत्रालय को सीएसडी (मुख्यालय) को निर्देश देना चाहिए कि, लाभ-सीमा की प्रतिशतता को कम किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके न कि मुनाफे को क्यूडी के रूप में यूआरसी के साथ बाँटा जाए।

4.6 कैंटीन व्यापार अधिशेष (सीटीएस) से अनुदान सहायता की संवितरणी

सीएसडी का शुद्ध व्यापार अधिशेष अर्थात विशिष्ट वर्ष के शुद्ध लाभ का 50 प्रतिशत, भारत के समेकित निधि से आगामी वर्ष में अनुदान सहायता के रूप में संवितरित किया जाता है। इस विषय से संबंधित बजटीय आबंटन वार्षिक बजट के दौरान किया जाता है। इस राशि को नियमित एवं तदर्थ अनुदानों के तहत संवितरित किया जाता है। यह नियमित अनुदान निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर जो 4.91 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुख्यालय आईडीएस, सीएसडी मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, डीजी कोस्ट गार्ड एवं बीओसीसीएस सचिवालय को प्रदान किया जाता है एवं शेष राशि को सेवाओं के बीच में यथा थल सेना को 0.85, वायु सेना को 0.10 एवं नौसेना को 0.05 के अनुपात में संवितरित किया जाता है जैसा कि नीचे चार्ट 4 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4- विभिन्न लाभार्थियों को मुनाफे की संवितरणी

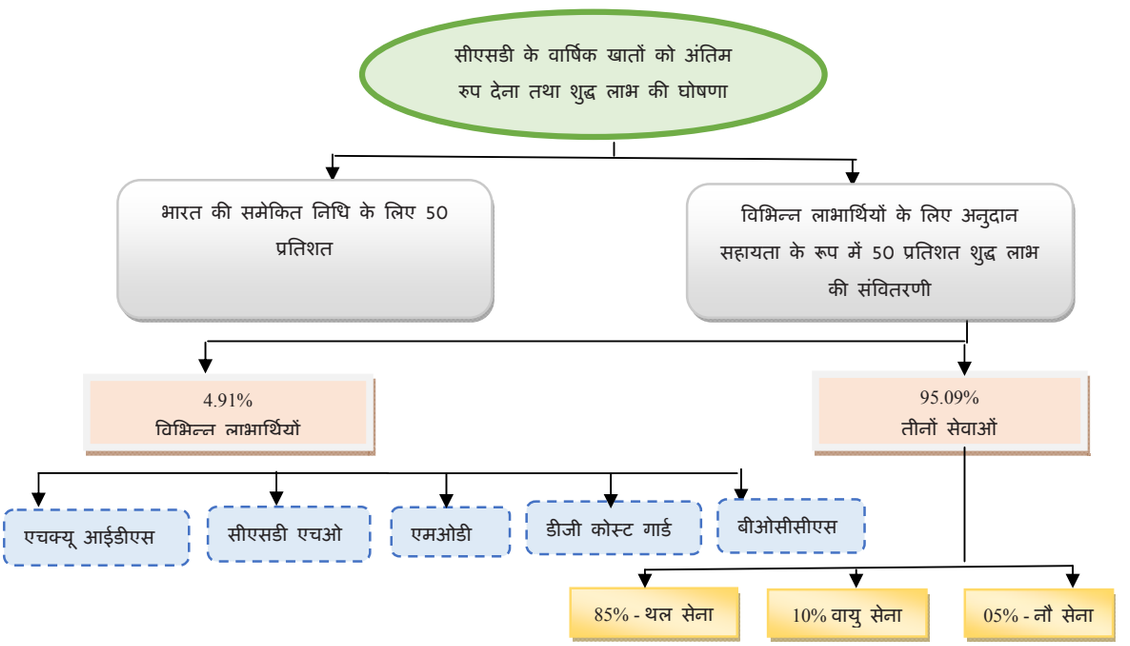

वर्ष 2012 से 2016 के दौरान, भारत की समेकित निधि से ₹ 61630.58 लाख विनियोजित किए गए जो कि सीएसडी के व्यापार अधिशेष का 50 प्रतिशत था तथा इसे अनुदान सहायता के रूप में विभिन्न लाभार्थियों के बीच संवितरित किया गया जैसा कि नीचे तालिका 16 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 16: लेभार्थियों को संवितरित की गई अनुदान सहायता की विवरणी (₹ लाख में)

लाभार्थियों के नाम	संस्वीकृति वर्ष#					कुल
	2011-12	2012-13*	2013-14*	2014-15*	2015-16*	
एचक्यू आईडीएस	395.07	398.23	504.45	304.35	216.00	1818.1
सीएसडी (मुख्यालय)	117.85	118.80	150.48	90.79	64.44	542.36
रक्षा मंत्रालय	77.67	78.30	99.18	59.84	42.47	357.46
डीजी सीजी	64.28	64.79	82.08	49.52	35.15	295.82
सचिवालय बीओसीसीएस	2.68	2.70	3.42	2.06	1.46	12.32
थल सेना	10824.37	10911.06	13821.33	8338.77	5901.30	49796.83
वायु सेना	1273.46	1283.65	1626.04	981.03	694.27	5858.45
नौसेना	636.73	641.83	813.02	490.52	347.14	2929.24
एच क्यू एसएफसी (तदर्थ)	0	0	0	0	20.00	20.00
कुल	13392.11	13499.36	17100.00	10316.88	7322.23	61630.58

#आगामी वर्ष में मंजूरीकृत की गई वित्तीय वर्ष से संबंधित संवितरण की राशि

*वर्ष 2009-10 में सीटीएस की समावेश की गई राशि। बजटीय आबंटन के अभाव में 2009-10 की व्यापार अधिशेष को टुकड़ों में संवितरित किया गया।

अनुदान सहायता की स्वीकृति एवं संवितरण में देखी गई अनियमितता की वर्ष 2010-11 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रिपोर्ट संख्या 14 में टिप्पणी की गई थी तथा यह सिफारिश की गई थी कि इस विषय से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को उचित अनुदेश जारी करने चाहिए। पीएसी ने अपनी 48वीं रिपोर्ट में यही सिफारिश की थी। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा पीएसी की सिफारिशों के तहत मंत्रालय ने निर्देश जारी किए जिनका अनुदान सहायता के संवितरण के समय पालन करना चाहिए और अनुदान को सेवा कार्मिकों के कल्याण के लिए प्राथमिक तौर पर उपयोग में लाना चाहिए और जो सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के तहत होना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के अनुदान सहायता के उपयोग से संबंधित माँगे गए दस्ताव़ेज अभी भी प्रस्तुत किया जाना शेष (सितंबर 2016) था। बीओसीसीएस में अनुदान सहायता (2011-12 से 2013-14) की संस्वीकृति तथा उपयोगिता से संबंधित दस्ताव़ेजों की जाँच के दौरान हमने पाया कि मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों एवं सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का कई मामलों में अनुसरण नहीं किया गया जैसा कि नीचे ब्योरेवार दर्शाया गया है:

- जीएफआर के अनुसार, अनुदान सहायता को कार्मिकों, सार्वजनिक निकाय या वह संस्थान जिसकी अपनी एक अलग कानूनी ईकाई हो, के लिए मंजूरी दी जा सकती है। यद्यपि, हमने देखा कि, रक्षा मंत्रालय, सीएसडी (रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग), बीओसीसीएस (निश्चित सदस्यता के साथ स्टैंडिंग कमिटी) को भी 2012 से 2016 तक के दौरान ₹ 9.12 करोड़ के अनुदान की संस्वीकृति दी गई यद्यपि, उनकी सभी निधि की आवश्यकताओं को रक्षा मंत्रालय के द्वारा बजटीय आबंटन से पूर्ति की जाती है।

- जीएफआर के अनुसार, अनुदान सहायता की प्राप्ति हेतु किसी भी संस्था या संगठन को एक आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता होगी जिसमें साफ तौर पर अनुदान सहायता की आवश्यक्ताओं का उल्लेख करना पड़ेगा तथा संस्वीकृति प्राधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए फार्म में प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि अनुदानों के वितरण के लिए मंजूरी से पहले मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (फरवरी 2014) में निर्धारित फार्म में आवेदन के प्रसंकरण के लिए प्रक्रिया को जारी किया, लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो बीओसीसीएस द्वारा किसी भी आवेदन को निर्धारित किया गया और न ही मंजूरी के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया को अनुसरण किया गया तथा माँग और ज़रूरतों का आकलन किए बिना अनुदानों को लाभार्थियों तक आबंटित किया गया।

- मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीओसीसीएस को प्रयुक्ति प्रमाणपत्र के साथ-साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरणी को किसी भी लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। विस्तृत लेखों की अनुपस्थिति में सेवा कार्मिकों के कल्याण हेतु वास्तविक उद्देश्यों के लिए अनुदानों की उपयोगिता के बारे में लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं हो पायी।

- दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीओसीसीएस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पिछली वर्षों के अनुदानों को पूरी तरह उपयोग में लाया गया है तथा उसके संबंध में प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (यूसी) को प्राप्त किया गया है। तथापि, हमने इससे संबंधित ऐसे दृष्टांत भी देखे जैसे कि काठगोदाम में ट्रान्ज़िट सुविधा तथा देहरादून में युद्ध स्मारक छात्रावास की निर्मिती के लिए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र को आबंटन के 15 से 21 दिनों के भीतर जारी कर दिया गया ताकि अगले वर्ष के अनुदानों के लिए दावा किया जा सके। मार्च के अंत तक सीएसडी (मुख्यालय) तथा मुख्यालय एजी शाखा में अनुदानों का एक हिस्सा अप्रयुक्त रहा, फिर भी आगामी वर्षों के अनुदानों को प्राप्त करने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत कर दिया गया।

- पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान से अर्जित किए गए ब्याज की राशि ₹ 9.94 करोड़ को थल सेना, नौसेना, तथा सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा उसे सरकारी लेखों में प्राप्ति के रूप में लेखांकित किए बिना अपने रेजिमेंटल फंड में हस्तांतरित करवा दिया गया।

- दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा सहायता अनुदानों की संवितरण के लिए कोई अलग खाता नहीं रखा गया था तथा अनुदानों की अदायगी सीएसडी अग्रदाय खातों से की जाती थी। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 के लिए मंत्रालय के हिस्से से संबंधित ₹ 138.14 लाख की अप्रयुक्त राशि को वर्ष 2015-16 के लेखों में बकाया दायित्व के रूप में प्रतिबिंबित किया गया था। अत: सहायता अनुदान की अप्रयुक्त राशि को सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा सरकार को उसकी वापसी नहीं की गई।

- सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा प्राप्त अनुदान को चिकित्सा अग्रिम, विवाह के लिए ऋण, शिक्षा तथा भवन की मरम्मत इत्यादि के रूप में सीएसडी के कर्मचारियों को वितरित किया गया जिसे बाद में 5 प्रतिशत की ब्याजदर सहित वसूल किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान वितरित किए गए ऋण की कुल राशि ₹ 40.84 लाख थी। इस प्रकार, अनुदान को जिस उद्देश्य से संस्वीकृति मिली उस रूप में उपयोग में नहीं लाया गया तथा वह अप्रयुक्त रही क्योंकि यह संवितरित राशि नियमित वेतन बिल के जरिए वसूली गई तथा ब्याज अर्जित किया गया। सीएसडी मुख्यालय में प्राप्त अनुदानों को विभिन्न विविध मदों जैसे कि सम्मेलन तथा यात्रा व्ययों, अनुरक्षण व्ययों इत्यादि के खर्चों के लिए प्रयुक्त किया गया जो कि, मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार अप्राधिकृत थे।

प्रतिक्रिया में, सेना (मुख्यालय) क्यूएमजी शाखा ने बताया (जुलाई 2016) कि, दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सीएसडी निदेशालय ने बताया (जुलाई 2016) कि आगे से विभिन्न लाभार्थियों को सीटीएस के संवितरण के लिए पृथक लोक निधि खाते को बनाए रखने के लिए सीएसडी (मुख्यालय) को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

निष्कर्ष 10:

हालाँकि, जीएफआर प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिक तौर पर सेवा कार्मिकों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान के संवितरण को उपयोग में लाने के लिए मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, दिशा-निर्देशों के अपालन के मामलों को लेखापरीक्षा में देखा गया। यहाँ तक कि निधि के प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा गलत प्रमाणपत्र को भी जारी किया गया था।

4.6.1 लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किए बगैर सीटीएस की संवितरणी

बीओसीसीएस द्वारा उसकी 52वीं बैठक में (मार्च 1982) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वार्षिक लेखों को रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) से रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात विचार करने के लिए सचिव, बीओसीसीएस के द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। सीएसडी के लेखों एवं क्यूएमजी शाखा द्वारा रक्षा मंत्रालय (वित्तीय) को प्रस्तुत उसके पुनरीक्षण को उसकी लेखापरीक्षा एवं संवीक्षा के लिए

महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ (डीजीएडीएस)[13] को प्रकाशन से पहले भेजा जाना चाहिए। तत्पश्चात, सीएसडी की व्यापार अधिशेष के संवितरण को बीओसीसीएस के कार्यकारी समिति की सभा में मंजूरी दी जानी चाहिए।

तथापि, सीटीएस की वितरणी एवं लेखों के प्रकाशन की मंजूरी पर निर्णय लेते समय सांविधिक लेखापरीक्षा अर्थात डीजीएडीएस द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को बोर्ड एवं मंत्रालय द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया। सीएसडी द्वारा अनुसरण की इस गलत प्रथा के परिणामस्वरूप 2012-13, 2013-14, एवं 2014-15 वर्षों के खातों में मुनाफे की अतिरंजिता की गई क्योंकि डीजीएडीएस द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को सीएसडी द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया और अतिरंजित मुनाफों को संबंधित वर्षों में संवितरित किया गया जैसा कि तालिका 17 में ब्योरेवार दिया जा रहा है:

तालिका 17: लेखों में परिसम्पत्तियों की अतिरंजिता तथा दायित्वों को कम दिखाया जाना **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	शुद्ध लाभ प्रतिबिंबित	लाभ की अतिरंजिता के कारण	राशि	वास्तविक शुद्ध लाभ
1	2	3	4	5 (2-4)
2012-13	219.35	दायित्वों को कम दिखाया जाना	178.94	(-) 57.87
		परिसम्पत्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना	98.28	
2013-14	177.94	दायित्वों को कम दिखाया जाना	216.14	(-) 38.20
2014-15	235.69	परिसम्पत्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना	165.47	70.22

दायित्वों को कम दिखाया जाना तथा परिसम्पत्तियों की अतिरंजिता के ब्योरों को संलग्नित **अनुलग्नक 'बी'** में दर्शाया गया है। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के वार्षिक लेखों में लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों पर आधारित होकर सीएसडी द्वारा सुधार किए गए जिसने **₹** 163.09 करोड़ से शुद्ध अधिशेष में गिरावट लायी तथा सरकार[14] को **₹** 81.55 करोड़ की परिणामस्वरुप बचत हुई।
निर्धारित प्रक्रियाओं के अपालन पर किए गए प्रश्न (अगस्त 2015) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डीडीजीसीएस (सितंबर 2015) ने उत्तर दिया कि पिछले 10 वर्षों में सचिव, बीओसीसीएस को वार्षिक लेखों की प्रस्तुति की कोई मिसाल नहीं थी तथा इस मामले में सीएसडी (मुख्यालय) से पूछा जाए। सीएसडी द्वारा यह भी बताया (फरवरी 2016) गया कि लेखापरीक्षा के दृष्टिकोणों की स्वीकृति सशस्त्र सेना संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली कल्याणकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगी, क्योंकि सशस्त्र सेना के मुनाफे के हिस्से में गिरावट आ जाएगी। आगे डीडीजीसीएस ने बताया

[13] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से डीजीएडीएस सीएसडी के वार्षिक लेखों को प्रमाणित करते हैं।

[14] कुल मुनाफ़े की 50 प्रतिशत राशि को सेवाओं में सहायता अनुदान के रूप में संवितरित किया जाता है तथा शेष राशि सरकार के पास रखी जाती है।

(जुलाई 2016) कि लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सदैव भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से नहीं बल्कि रक्षा लेखा नियंत्रक (सीएसडी) से ही प्राप्त किया जा रहा था।

निर्धारित प्रक्रियाओं जैसे कि बीओसीसीएस द्वारा लेखों को अपनाया जाना तथा डीजीएडीएस द्वारा प्रमाणन के मद्देनज़र सेना मुख्यालय क्यूएमजी शाखा द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रक्रियाओं का अपालन करके सैनिकों के कल्याण के लिए मुनाफे का अर्जन करना अनैतिक ही नहीं बल्कि लेखा प्रक्रियाओं के साथ सुसंगत भी नहीं है।

निष्कर्ष 11

मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत एवं सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा संवितरीत सीटीएस, डीजीएडीएस द्वारा प्रमाणित किए गए लेखों के आधार पर नहीं था। हालाँकि, प्रमाणित किए गए लेखों ने नुकसान को सूचित किया परंतु सीएसडी के आकड़े लेखों में मुनाफे को निर्दिष्ट करते हैं जिसकी वजह से सेवाओं में अतिरंजित सीटीएस का वितरण हुआ।

4.7 सीएसडी द्वारा पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के लाभों का अप्राधिकृत भुगतान

1989 के संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार, सीएसडी के सेवा निवृत्त कार्मिकों की पेंशन तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी) को सीडीए (पेंशन), इलाहाबाद द्वारा संस्वीकृति दी जानी थी तथा अन्य रक्षा कार्मिकों/सिविलियन्स की तरह रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारियों (डीपीडीओ)/कोषागारों या बैंकों द्वारा उसका भुगतान किया जाना था। यह व्यय सीएसडी के वार्षिक लेखों (प्रोफार्मा लेखों) में लगातार प्रतिबिंबित होता रहेगा। इसके अलावा, सामान्य भविष्य निधि लेखों को जीएम (सीएसडी) में बनाए रखे जाना था।

हमने देखा कि संशोधित लेखा प्रक्रिया का उल्लघंन करते हुए, सीएसडी स्वयं अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रत्येक वर्ष अपने जनन स्रोतों से पेंशन एवं उपदान का भुगतान कर रहा था एवं अब तक भुगतान की गई कुल राशि ₹ 387.31 करोड़ को विविध देनदारों (अन्य सरकारी विभागों) के अन्तर्गत दर्शाया गया था। यह प्रथा अप्राधिकृत होने के साथ ही सरकार पर दायित्व की निर्मिती करती है जो कि सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीडीए (सीएसडी) अपनी ओर से इस व्यय को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (सरकारी लेखा) के अंतर्गत एमएच 2071, लघुशीर्ष 101 (098/38), 102 (098/39), 104 (098/41) तथा 105 (098/42) में बुकिंग करता है, जो कि यह दर्शाता है कि उस वर्ष तक सरकार ने अपने पेंशन के दायित्वों का निर्वहन पहले ही कर लिया था।

हमने यह भी देखा कि पेंशन योगदान, जीपीएफ अंशदान, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) जिसे यद्यपि प्राप्ति के रुप में लेखांकित किया गया तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में क्रमशः एमएच 0071 लघु शीर्ष 101 (098/11), एमएच 8009 लघु शीर्ष 101 (098/97) एवं एमएच 8011 लघु शीर्ष 103 (099/41) के अन्तर्गत बुक किया था, सरकार के खाते

में जमा करने के बजाय सीएसडी में बरकरार रखा। इसे 'सरकार के लिए देय' के लेखों में प्रतिबिंबित किया गया है। जीपीएफ निकासी, अग्रिम व अंतिम भुगतान को भी सीएसडी ने अपने स्रोतों से ही पूरा किया। जीपीएफ राशि पर देय ब्याज़ को 'सरकार से देय' के रूप में लेखांकित किया गया है जैसा कि तालिका 18 में दर्शाया गया है:

तालिका 18: 31 मार्च 2016 तक सरकार के प्रति देय की स्थिति **(₹ करोड़ में)**

सरकार के प्रति देय		सरकार से देय	
ब्योरें	**राशि**	**ब्योरें**	**राशि**
सामान्य भविष्य निधि (ब्याज़ समाविष्ट)	145.46	सामान्य भविष्य निधि ऋण	1.73
सी.जी.ई.जी.आई.एस (कर्मचारी का योगदान)	3.09	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज़	105.89
पेंशन/उपदान योगदान	121.64	साधारण पेंशन	182.88
नई पेंशन योजना	0.28	पारिवारिक पेंशन	107.10
		नई पेंशन तथा आवश्यक जमा योजना पर ब्याज़	0.08
		उपदान	55.41
		सी.जी.ई.जी.आई.एस बीमा	2.59
		सी.जी.ई.जी.आई.एस बचत निधि	2.69
		पेंशन का रूपान्तरित मूल्य	36.56
कुल	**270.47**		**494.93**

प्रतिधारित जीपीएफ अंशदान, पेंशन अनुदान एवं सीजीईजीआईएस योगदान को जीपीएफ ऋण, पेंशन एवं उपदान इत्यादि के भुगतान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार, सीएसडी द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन लाभों के भुगतान के लिए, मिलने वाली सभी वसूलियों का उपयोग प्राधिकृत नहीं था एवं उसका 'सरकार से देय' के रुप में दावा क्रमानुसार नहीं था तथा सरकारी लेखांकन नियमों के अनुरुप नहीं था। इसके अवाला, चूँकि सीएसडी कर्मचारियों से वसूल की गई जीपीएफ अंशदान को सीएसडी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, 'सरकार से देय के रूप' में जीपी फंड पर ब्याज़ का दावा क्रमानुसार नहीं है।

उपरोक्त पेंशन भुगतानों की निधि के स्रोत पर की जाने वाली पूछताछ पर सीएसडी ने पुष्टिकरण करते हुए कहा कि, अग्रदाय में शेष अप्रयुक्त निधि से इसका भुगतान किया गया तथा यह मामला 2012 में ही सामने आया जब 1 अप्रैल 2012 से बजटीय आबंटन तथा नियंत्रक प्रणाली को परिचलित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया उत्तर सही नहीं हैं क्योंकि यह मामला 2009-10 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान रेखांकित किया गया था। हालाँकि उत्तर में सीएसडी ने बताया (फरवरी 2011) था कि भविष्य में इन प्रक्रियाओं को संशोधित किया जाएगा, पाँच वर्षों के अंतराल के बावजूद इस मामले को सुलझाया जाना अभी बाकी है। प्राप्ति तथा भुगतान में बूकिंग तथा सीएसडी के वार्षिक लेखों में सरकारी ऋण के प्रतिबिंबन पर टिप्पणी माँगे जाने पर, सीडीए (सीएसडी) ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि जनवरी 2016 में सीएसडी (मुख्यालय) को यह मामला भेजा गया है जो कि प्रतीक्षित था।

अपनी प्रतिक्रिया में सीएसडी निदेशालय ने बताया कि एक वाणिज्यिक संगठन होने के कारण सीएसडी द्वारा संवितरित पेंशन को प्रत्येक वर्ष के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने के लिए

इसका भुगतान तथा लेखाकरण करना आवश्यक है। आगे यह बताया गया कि पेंशन, भविष्य निधि तथा बीमा इत्यादि के संदर्भ में विद्यमान प्रणाली में देखी गई कमियों का अध्ययन किया जाएगा तथा वर्ष 2017-18 से बजटीय आबंटनों को लेते हुए क्रियान्वित किया जाएगा।

स्पष्ट है कि, सीएसडी का यह उत्तर लेखांकन पहलुओं पर ही केंद्रित है और न कि उनकी निधि से किए गए पेंशन/डीसीआरजी के भुगतानों को करने पर, जो लेखापरीक्षा का मुख्य विवाद है। चूंकि संशोधित लेखांकन प्रक्रिया 1989 के अनुसार सभी पेंशन भुगतानों को डीपीडीओं/बैंकों के द्वारा किया जाना होता है; सीएसडी द्वारा किए गए पेंशन के भुगतान को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष 12

आपूर्तिकर्ताओं एवं कर्मचारियों से की गई सभी वसूलियों को कोषागार में जमा करने के बजाय सीएसडी ने उसे पेंशन एवं उपदान के भुगतान हेतु उपयोग में लाया जो कि सीएसडी के आदेशपत्र में नहीं था तथा वर्ष 1989 की विद्यमान लेखांकन पद्धति से यह पूर्णतया विरूद्ध था। सीएसडी ने, कर्मचारियों से वसूले गए जीपीएफ अंशदान पर ब्याज़ को 'सरकार से देय' दिखाया जो कि सीएसडी का दायित्व था क्योंकि अंशदान को सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया था।

4.8 वॅट का प्रबंधन

सीएसडी को तमिलनाडु, झारखंड राज्यों में और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों में वॅट का भुगतान करने से छूट मिली है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में हालांकि खरीदारी पर वॅट का भुगतान करना पड़ता है उसकी वापसी के लिए सीएसडी को संबंधित राज्य सरकारों पर दावा करने की आवश्यकता है क्योंकि इन राज्य सरकारों ने सीएसडी द्वारा किए गए विक्रय पर वॅट की छूट दी है। इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में रियायती दर पर वॅट लगाया है। 2014-15 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थानीय बाजार की तुलना में सीएसडी पर लागू किए गए वॅट को **अनुलग्नक 'सी'** में ब्योरेवार दिया गया है।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा वॅट में दी गई रियायतों की वजह से सीएसडी को ₹ 51938.39 करोड़ के कुल विक्रय के सम्मुख प्राप्त हुआ कुल लाभ ₹4856.44 करोड़ था।

एरिया डिपो के स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों की वॅट अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में आई विसंगतियों के अनेक मामलों को देखा गया जिसकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

4.8.1 लंबे समय से बकाया वॅट वापसी दावे

दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना जैसे राज्यों में सीएसडी द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर वॅट लागू होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं शराब के विक्रय को छोड़कर, सीएसडी को सेवारत कार्मिकों के लिए विक्रय (कुछ वस्तुओं पर) पर वॅट में छूट दी जाती है। इस प्रकार, सीएसडी डिपो जो कि इन राज्यों में स्थित है, को खरीदी दौरान भुगतान किए गए वॅट तथा विक्रय के दौरान बिना छूट की वस्तुओं पर ग्रहित वॅट के बीच अंतर को देखते हुए वॅट वापसी दावों को प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, हमने देखा कि 31 मार्च 2016 को 8 डिपो के संबंध में ₹ 1001.97 करोड़ की राशि के वॅटवापसी दावे बकाया थे जो कि **अनुलग्नक 'डी'** में ब्योरेवार दिया गया है। इन बकाया दावों में से अकेले सीएसडी डिपो मुंबई से संबंधित 48.45 प्रतिशत (₹ 485.47 करोड़) तथा सीएसडी डिपो दिल्ली से संबंधित 16.59 प्रतिशत (₹ 166.23 करोड़) बकाया दावे थे। इसके अलावा हमारा परीक्षण यह उद्घाटित करता है कि कुल बकाया वापसी दावों में से 23.41 प्रतिशत (₹ 234.56 करोड़) दावे पांच वर्षों से अधिक अर्थात् वर्ष 2010-11 तक के लिए बकाया थे। सीएसडी द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि फॉर्म एफ[15], फॉर्म सी[16] एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा खरीद का पुष्टिकरण न मिलने के कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन वर्षों के वॅट आकलन को अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस संबंध में किया गया विश्लेषण यह उद्घाटित करता है कि 2009-10 के बाद, बकाया वापसी, मुनाफ़े की राशि से काफी अधिक था। 2007-08 से बकाया वॅट वापसी दावें, शुद्ध मुनाफ़े एवं वॅटवापसी के दावों को चार्ट 5 में चित्रित किया गया है:

चार्ट 5: लेखों में दर्शाए गए वॅट वापसी दावे तथा प्रतिबिंबित मुनाफों के ब्योरे

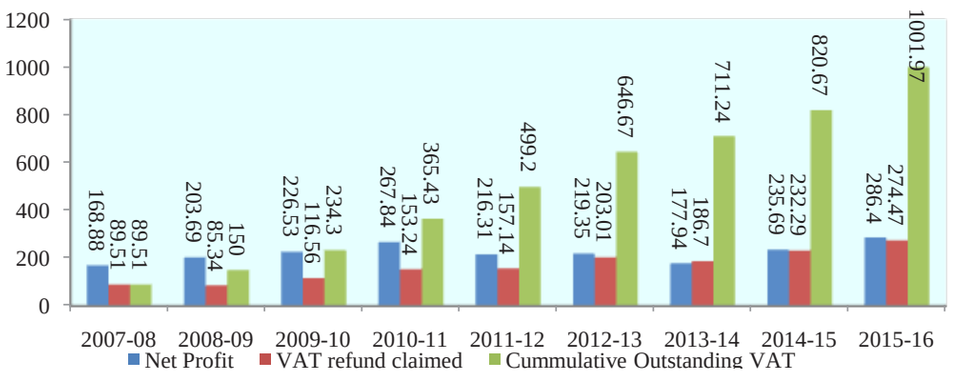

नोट: 2007-08 के दौरान 2005-06 एवं 2006-07 के दावों को जमा किया गया

[15] फॉर्म एफ दो राज्यों के बीच वस्तुओं के ट्रान्सफरी द्वारा वस्तुओं के ट्रान्सफरर को जारी किया जाता है।

[16] फॉर्म सी एक फार्म है जिसे विक्री कर विभाग द्वारा आंतर्राज्य खरीद करने वाले पंजीकृत व्यापारी को जारी किया जाता है।

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि नियमित मॉनिटरिंग एवं भारी प्रयासों के कारण विक्री कर प्राधिकारियों से ₹ 342.33 करोड़ की राशि को वापसी के रूप में प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि, जहाँ किसी कंपनी के आकड़ों में विसंगतियाँ होती है, वॅट वापसी की प्रक्रिया विलंबित हो जाती है जैसा कि कई पुराने मामलों में हो रहा था जहाँ मैनुअली आकड़ों को रखा जाता था।

बकाया राशि के परिसमापन से संबंधित उत्तर वास्तविक नहीं है चूँकि वापसी के दावे कई वर्षों में जमा होते रहे हैं। यहाँ तक कि, 2007-08 से अर्थात पिछले आठ वर्षों में यह लगभग 12 गुना तक बढ़ा है।

4.8.2 राज्य सरकारों द्वारा ₹ 43.47 करोड़ के वॅट वापसी दावों को अस्वीकृत किया जाना

हमने देखा कि मुंबई, खड़की, एवं अहमदाबाद डिपो द्वारा प्रस्तुत की गई क्रमश: ₹ 27.77 करोड़ (2007-08 एवं 2008-09), ₹ 2.66 करोड़ (2006-07 से 2008-09) एवं ₹ 13.04 करोड़ (2006-07 से 2009-10) राशियों के वॅट वापसी के दावों को संबंधित राज्य सरकारों ने अस्वीकृत कर दिया। इन अस्वीकृतियों के मुख्य कारण सीएसडी द्वारा फार्म 'एफ', फार्म 'सी' का जमा न किया जाना तथा आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पुष्टिकरण का मेल न होना था। इन अस्वीकृतियों के खिलाफ इन डिपो द्वारा दायर की गई याचिकाओं का निपटान होना अभी बाकी था (नवंबर 2016)।

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि राज्य विक्री कर प्राधिकारियों ने वॅट वापसी दावों की नकारात्मक रूप से व्याख्या की है, जो सीएसडी द्वारा विवादित है। यह भी कहा गया कि अस्वीकृत किए गए दावों को पी एण्ड एल खाते में डेबिट किया गया था एवं इस कारण मुनाफ़ों के वितरण में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि यह अस्वीकृत दावे नकारात्मक व्याख्या की वजह से नहीं बल्कि योग्य दस्तावेज़ एवं खरीद की पुष्टि न होने की वजह से हैं।

4.8.3 वॅट रिटर्नस के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण दंड की उगाही

वॅट वापसी के दावों के लिए सीएसडी को संबंधित राज्य सरकारों के वॅट नियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना पड़ता है। वॅट वापसी दावों (2012-13 तथा 2013-14) के साथ-साथ दिल्ली डिपो द्वारा गलत आकड़ों को प्रस्तुत किए जाने के कारण, राज्य सरकार ने ₹ 21.72 लाख राशि का दंड तथा ब्याज लगाया जिसे 2009-10 के बकाया वापसी दावों के निवारण करते समय समायोजित किया गया था (मार्च 2016)।

उसी प्रकार, वॅट रिटर्नस को दायर करते समय विक्री के आकड़ों को छुपाने के कारण जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए दायर किए वॅट रिटर्न के समक्ष मार्च 2013 में

₹ 3.53 करोड़ राशि का दंड लगाया। एरिया डिपो, श्रीनगर ने मई 2013 में 5 प्रतिशत फीस के रूप में ₹ 17.64 लाख की राशि को जमा करने के पश्चात याचिका दायर की जिस पर फैसला होना बाकी था (मार्च 2016)।

सिकंदराबाद डिपो द्वारा अप्रैल 2010 से नवंबर 2010 तथा अप्रैल 2011 से सितंबर 2012 तक की वॅट रिटर्न में एएफडी विक्री तथा आउटपुट टैक्स का उल्लेख न करने के कारण राज्य सरकार ने मार्च 2016 में ₹ 12.59 लाख का दंड लगाया। सीएसडी ने जून 2016 में ₹ 12.59 लाख की दंडीय राशि के भुगतान के हेतु मंजूरी प्रदान की। इस प्रकार, डिपो द्वारा गलत रिटर्न दायर करने के कारण सीएसडी को ₹ 3.88 करोड़ का दंड वहन करना पड़ा।

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि विक्रय कर प्राधिकारों द्वारा लगाया गए दंड विवादित हैं। यह भी बताया गया कि डिपो प्रबंधकों को पुनः किसी भी तरह के दंडों से बचने हेतु वॅट रिटर्न को दायर करते समय अधिक सावधानी बरतने के अनुदेश दिए गए हैं।

यद्यपि विक्रय कर प्राधिकारों के द्वारा लगाए गए दंड विवादास्पद हैं, परन्तु दिल्ली सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने इसे वॅट वापसी दावों के बकाया राशि में से पहले ही समायोजित कर लिया है।

4.8.4 वॅट अधिसूचना के अकार्यान्वयन के कारण ₹ 36.05 करोड़ का नुकसान

आंध्रप्रदेश की सरकार ने 31 जनवरी 2005 से वॅट को क्रियान्वित किया, जिससे सिकंदराबाद एवं विशाखापटनम के एरिया डिपो के माध्यम से सीएसडी द्वारा बेची गई वस्तुओं को वॅट के अधीन लाया गया जिसे अभी तक विक्रय कर से छूट थी। सीएसडी के निवेदन पर, राज्य सरकार ने सितम्बर 2006 में इन्पुट टैक्स[17] क्रेडिट के लाभ को देते हुए 20 प्रकार की वस्तुओं पर छूट दी थी। इस छूट को नवबंर 2007 में 52 प्रकारों पर लागू किया गया, परंतु इन्पुट कर के क्रेडिट के बगैर था। इन वस्तुओं पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट को फरवरी 2010 से पुन: स्वीकृति दी गई।

तथापि, हमने देखा कि, नवंबर 2007 की संशोधित अधिसूचना के बावजूद, 52 सूचितप्रकारों पर 2 एरिया डिपो ने यूआरसी से वॅट को इकट्ठा नहीं किया। बल्कि, इन डिपो ने गलत तरीके से राज्य सरकार पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा रखा। गलत तरीके से इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने पर वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) ने दो डिपो के विरूद्ध माँग नोटिस जारी किया जिसे तालिका 19 में ब्योरेवार दिया गया है

[17] इन्पुट कर व्यापार के दौरान वस्तुओं की खरीद पर वॅट व्यापारी द्वारा अन्य वॅट व्यापारी को अधिनियम के तहत भुगतान किया गया या देय कर है।

तालिका 19: डिपो पर दायर माँग नोटिस/भुगतानों के ब्योरे

माँग सूचना की प्राप्ति का माह	संबंधित डिपो	माँग सूचना की राशि (₹ करोड़ में आकड़े)	माँग के कारण	वापसी दावों के सम्मुख, भुगतान/समायोजित की गई राशि (₹ करोड़ में आकड़े)
दिसंबर 2009	सिकंदराबाद	4.47	इन्पुट टैक्स क्रेडिटका गलत दावा	4.47
नवंबर 2010	विशाखापटनम	14.18		14.18
जनवरी 2011	सिकंदराबाद	9.44		9.44
जुलाई 2012	विशाखापटनम	3.54	इन्पुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावें पर दंड	3.54
जनवरी 2011/ मई 2015	सिकंदराबाद	4.42	माँग का भुगतान पर की गई विलंबता पर ब्याज़	4.42
सीएसडी को कुल नुकसान				**36.05**
जनवरी/ फरवरी 2011	सिकंदराबाद	19.89	इन्पुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावें पर दंड	दायित्वों का निष्पादन अभी भी बाकी है।

इस प्रकार, ₹ 19.89 करोड के दायित्व के अलावा दो एरिया डिपो द्वारा वॅट के किए गए गलत क्रियान्वयन ने सीएसडी के लिए ₹ 36.05 करोड़ का कुल नुकसान करवाया।

सीएसडी ने बताया (जुलाई 2016) कि अधिसूचनाओं की गलत व्याख्या करने की वजह से वॅट प्रभार नहीं लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.05 करोड़ का नुकसान हुआ जिसे सीएसडी के मुनाफे से पूरा किया गया था और इसे प्रचालन व्यय के रूप में समझा जाएगा। वास्तव में, अंततः उपभोक्ताओं को वॅट अक्रियान्वयन से मुनाफ़ा हुआ क्योंकि कम दर में उन्हें वस्तुएँ प्राप्त हुई। इसके अलावा बताया यह भी गया कि, नुकसान को नियमित करने के लिए इस मामले को उच्चतर प्राधिकारियों के पास भेजा गया है।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूँकि सीएसडी की असफलता के परिणाम स्वरुप ₹ 36.05 करोड़ का नुकसान हुआ जिसे हानि के रूप में समझना तथा नियमित करना होगा। छूट दी गई वस्तुओं पर वॅट को लगाना या योग्य वॅट को न लगाना, उपभोक्ताओं को लाभ या हानि के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। सीएसडी ने ₹ 3.54 करोड़ का दंड के रूप में भी भुगतान किया तथा ₹ 19.89 करोड़ का आकस्मिक दायित्व है जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। वॅट नियमों का अनुपालन एक संविधिक दायित्व है जिसको पालन करने में सीएसडी असफल रहा।

4.8.5 वॅट की गैर वसूली के कारण हानि

अप्रैल 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सीएसडी द्वारा खरीदे गए वस्तुओं पर 3 प्रतिशत वॅट लागू होगा लेकिन क्यूएमजी द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर वस्तुओं को विक्री करने पर कर से राहत दी जाएगी। इस प्रकार सीएसडी को कीमत सूची में विक्री मूल्य को निर्धारित करते समय खरीद के दौरान भुगतान किए गए 3 प्रतिशत वॅट को भारित

करना था। हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं को सीएसडी ने क्रियान्वित नहीं किया एवं थोक विक्री मूल्यों में खरीदी के समय भुगतान की गई वॅट की राशि को शामिल करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, अगस्त 2006 से फरवरी 2012 के बीच (अप्रैल से जुलाई 2006 के बीच के आकड़ों को उपलब्ध नहीं करवाया गया) एरिया डिपो बिकानेर द्वारा बिक्री पर ₹ 7.73 करोड़ की हानि हुई। उत्तर में सीएसडी डिपो ने बताया (सितम्बर 2015) कि ₹ 7.73 करोड़ की कम वसूली के कारणों की फरवरी 2013 से जाँच चल रही है।

तत्कालिक मामले में भी, सीएसडी मुख्यालय ने दलील दी कि वॅट की गैर वसूली न करना हानि नहीं है अपितु इसे परिचालन व्यय के रूप में समझा जाना चाहिए चूंकि उसी को सीएसडी के लाभों में से पूरा किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप अंततः उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुँचता है। सीएसडी मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में असफलता कानूनी दायित्व के उललघंन को दर्शाता है और उपभोक्ताओं को लाभ के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

4.8.6 अतिरिक्त वॅट प्रभार एवं अपने ही निधि में सांविधिक उगाही का समायोजन

मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा थोक तथा खुदरा दर तय किया जाता है जिसमें कर शामिल नहीं होते हैं जिसे वस्तुओं को बेचते समय डिपो/यूआरसी द्वारा लगाया जाता है। कुछ राज्यों में, वॅट के क्रियान्वयन के साथ, यूआरसी को सीएसडी द्वारा विक्रय पर वॅट से छूट थी, लेकिन सीएसडी द्वारा खरीदी पर छूट नहीं थी। इसलिए सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा थोक/खुदरा कीमत को निर्धारित करते समय, खरीद पर एक बार कर के दायित्व पर विचार किया जाना चाहिए था।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं असम की राज्य सरकारों ने अधिसूचित किया कि वस्तुओं की खरीद पर जहां लागू हो सीएसडी वॅट के रियायती दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है तथा इस शर्त पर कि, भंडार की विक्रय कीमत सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा निर्धारित की गई विक्रित मूल्य से अधिक नहीं होगी, यूआरसी को संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर वॅट की छूट दी गई है।

हमने पाया कि कुछ एरिया डिपो सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा निर्धारित किए गए थोक विक्रय मूल्यों पर वॅट के निर्धारित दर को भारित कर रहे थे न कि भुगतान किए वास्तविक वॅट को एवं इस कारण उस मात्रा में अतिरिक्त वॅट एकत्रित हुआ, जिससे उपभोक्ताओं की कीमत पर सीएसडी के मुनाफों में बढ़ोतरी हुई जैसा कि नीचे वर्णित किया जा रहा है:

जयपुर, बिकानेर,जालंधर, पठानकोट, भटिंडा, जबलपुर एवं हिसार के सीएसडी एरिया डिपो:-

- मूल कीमतों पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए वास्तविक वॅट के बदले यूआरसी से सीएसडी द्वारा निर्धारित थोक मूल्यों पर, जिसमें आकस्मिक व्यय जैसे परिवहन, बीमा एवं

मुनाफ़े इत्यादि का समावेश था, जयपुर एवं बिकानेर (2012-13) के डिपो ने 3 प्रतिशत वॅट इक्कट्ठा किया तथा जालंधर, पठानकोट एवं भटिंडा (2011-12 से 2013-14) के डिपो ने 6.5 प्रतिशत वॅट इकट्ठा किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.49 करोड़ का अतिरिक्त वॅट इकट्ठा हुआ।

- 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान बिकानेर डिपो एवं वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान जयपुर, जालंधर, पठानकोट, एवं भटिंडा डिपो द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त वॅट की राशि को आँका नहीं जा सका क्योंकि इन वर्षों में आपूर्तिकर्ताओं को किए गिए भुगतान के सम्मुख कुल एकत्रित वॅट की राशि को डिपो स्तरों पर पृथक रूप से नहीं रखा गया था।

- इसी प्रकार 2011-12 से एरिया डिपो हिसार एवं जबलपुर, मिसामरी, मसिमपुर एवं नारंगी में अतिरिक्त वॅट को एकत्रित किया गया था। डिपो में एकत्रित किए गए कुल वॅट एवं आपूर्तिकर्ताओं को किए वॅट भुगतान के आँकड़ों के अभाव में एकत्रित की गई अतिरिक्त कुल वॅट की राशि को लेखापरीक्षा में आँका नहीं जा सका।

निष्कर्ष 12:

सीएसडी द्वारा राज्य वॅट विभागों में जरूरी दस्तावेजों को जमा करने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 1001.97 करोड़ की निधि में रूकावट आई। वॅट अधिसूचना के सकुशल क्रियान्वयन में असफलता के फलस्वरूप सीएसडी को ₹ 67.55 करोड़ का नुकसान एवं दंड देना पड़ा।

सिफारिशें

6. एक वाणिज्यिक संगठन होने के कारण सीएसडी को वाणिज्यिक प्रचालन करने वाले संगठनों के सदृश्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं सहित लेखांकन नीतियों के एक समूह को अपनाना चाहिए। मंत्रालय को सीटीएस की संवितरणी की मंजूरी देने से पहले सीएसडी के वार्षिक लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को विचार में लेना चाहिए।

7. सीएसडी को लेनदारी एवं देनदारी के पुराने बकायों के शीघ्र समाप्ति हेतु तत्कालिक कार्रवाई करनी चाहिए।

8. क्यू डी के रूप में मुनाफ़े की हिस्सेदारी करने के बजाय मंत्रालय द्वारा सीएसडी (मुख्यालय) को मुनाफे की मार्जिन को कम करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए जिससे उसका अंततः उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

9. नियमित एवं तदर्थ अनुदान सहायता की स्वीकृति को पारदर्शी करना चाहिए तथा जीएफआर में परिकल्पित ब्योरेवार प्रस्तावों के आधार पर मंज़ूरी दी जानी चाहिए। इन अनुदानों को सिर्फ लाभार्थियों के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए एवं इन अनुदानों का विचलन या दुरुपयोग करने पर मंत्रालय से पुन: मिलने वाले अनुदान के लिए उसे पाने वाले को अपात्र ठहराया जाना चाहिए।

मंत्रालय को निर्देशों को निरूपित करना चाहिए जहाँ प्रापक को अलग सहायता अनुदान लेखा को खोलने के बारें में बोला जाना चाहिए एवं सभी प्राधिकृत व्ययों को इन लेखों से पूरा करना चाहिए एवं सभी समर्थन मूल वाउचरों/दस्तावेज़ों के साथ प्रयुक्ति प्रमाणपत्र की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

10. सीडीए (सीएसडी) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन योगदान, जीपीएफ अंशदान एवं सीजीईजीआईएस को सरकार को जमा करना चाहिए। पेंशन एवं दूसरे सेवानिवृत्ति लाभों को मंजूरीकृत लेखा प्रक्रियाओं के अनुसार ही कोषागारों/डीपीडीओ या बैंकों के द्वारा संवितरित किया जाना चाहिए।

11. कर मामलों के संदर्भ में सीएसडी को और सतत रहना चाहिए जिससे कि करों के गलत क्रियान्वयन के कारण सीएसडी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले किसी भी तरह के अतिरिक्त कर के बोझ की संभावना को हटाया जा सके। दावों की जल्द उगाही करने के लिए कर वापसी दावों को सभी प्रकारों से पूर्ण करते हुए उसे समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि निधि की रूकावटों से बचा जाए।

अध्याय V
आंतरिक नियंत्रण

लेखापरीक्षा उद्देश्य: आंतरिक नियंत्रण की विद्यमान पद्धति की प्रभावशीलता का आकलन करना

5 आंतरिक नियंत्रण

व्यावसायिक संगठन जैसे कि सीएसडी के लिए सख्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी नियमों तथा अधिनियमों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे लेखा-विधि, आंतरिक लेखापरीक्षा, सतर्कता और मंत्रालय एवं उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण को मुहैया करवाया जाता है। सीएसडी में इन आंतरिक नियंत्रण तंत्रों की अवस्था को नीचे दर्शाया गया है।

5.1 लेखा-विधि तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) प्रधान लेखा प्राधिकारी एवं रक्षा लेखा नियंत्रक (सीडीए), सीएसडी पर सीएसडी संगठन की लेखा-विधि एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का दायित्व रहता है। डिपो की स्थानीय लेखापरीक्षा सीडीए (सीएसडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पाँच स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा की जाती है और ये मंबई, दिल्ली, चैन्नई, बी. डी. बारी, एवं नारंगी में स्थित हैं। 1998 से सीडीए, सीएसडी के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार (आयएफए) के रूप में भी कार्य करता है।

सीडीए (सीएसडी) का प्रमुख कार्य बजटीय आवंटन के अनुसार निधि की मॉनिटरिंग तथा निर्गत करना, बजटीय आबंटनों के अनुसार व्यय का नियंत्रण करना, संबंधित लेखाशीर्ष के तहत लेखाओं का संकलन तथा सीएसडी एवं डिपो की आंतरिक लेखापरीक्षा करना है एवं यह सुनिश्चित करना है कि सीएसडी के व्यवसायिक लेखों को सही तरीके से तैयार किया जाए। विद्यमान प्रणाली में देखी गई कमियों की नीचे चर्चा की जाती है:

5.1.1 सहायक वाऊचरों के बिना लेखों का संकलन

1989 में जारी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार, सभी विक्रय प्राप्तियों को सीएफआई में जमा किया जाएगा तथा जीएम (सीएसडी) द्वारा माँग किए जाने के उपरांत सीडीए (सीएसडी) मासिक व्यय के लिए अग्रदाय के रूप में आवश्यक निधि को उपलब्ध करवाएगा। जीएम (सीएसडी) को प्रत्येक माह सीडीए (सीएसडी) को प्रासंगिक वाउचरों के साथ अग्रदाय लेखों को जमा करना

पड़ता है। तथापि, क्योंकि सीएसडी अग्रदाय खर्च हुए व्यय पर समर्थित वाउचरों/दस्तावेज़ों को नहीं भेज रहा था, सीडीए (सीएसडी) ने सितंबर 1989 में प्रकट किया कि अग्रदाय को जारी करने के अतिरिक्त उनका व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतानों[18] की विवरणी हमेशा बकायों में प्राप्त होती थी। यह भी बताया गया कि, सिस्टम खर्च को आबंटित बजट तथा प्राप्ति के भीतर रखने के लिए कोई भी प्रभावी इनबिल्ट जाँच को मुहैया नहीं करवाता।

हमने देखा कि, उपरोक्त शंकाओं को जाहिर करने के बावजूद, यद्यपि सीएसडी द्वारा अग्रदाय लेखा के साथ मूल भुगतान वाउचरों को जमा नहीं करवाया गया, सीडीए (सीएसडी) अग्रदाय की प्रक्रिया को कायम रखता है। यह सीडीए (सीएसडी) द्वारा प्रभावी जाँच को प्रभावित करता है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (आर एंड पी) में प्रकाशित आकड़ों के बीच एवं सीएसडी द्वारा अनुरक्षित सामान्य लेखों में लगातार बेमेल रहता है। उपरोक्त बेमेल के बावजूद, जीएम (सीएसडी) द्वारा प्रदान वार्षिक प्रमाणपत्र कि लेखा-जोखा अनुरक्षित प्रारंभिक आकड़ों के साथ सहमत होते हैं, को सीडीए (सीएसडी) द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

उपरोक्त कारणों पर सीडीए (सीएसडी) (फरवरी 2016) ने यह पुष्टि की, कि संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के तहत जरूरी सहायक वाऊचर मासिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखों के साथ सीएसडी प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते, जिसके परिणामस्वरूप शत प्रतिशत जाँच कर पाना संभव नहीं हो पाया। यह भी बताया गया कि चूँकि प्रमाणपत्र एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रदान किया जाना था, उसे वैसे ही सीजीडीए कार्यालय में जमा करने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं था।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि, सीएसडी द्वारा संशोधित लेखा प्रक्रियाओं का अनुपालन सीडीए (सीएसडी) द्वारा ठोस रुप में करवाया जाना चाहिए था एवं गलतियों को उचित सुधारपूर्वक कार्रवाई के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष लाया जाना चाहिए था।

5.1.2 वार्षिक लेखों का प्रमाणन

सीएसडी के वार्षिक लेखों को सीजीडीए के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले सीडीए (सीएसडी) उनकी विस्तृत जाँच करता है। सिर्फ सीडीए (सीएसडी) की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न कि सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट वार्षिक लेखों के साथ संलग्न होती है। इस रिपोर्ट के अध्याय-IV के पैरा 4.6.1 में वर्णित वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखों में शुद्ध मुनाफों में अतिरंजिता की महत्वपूर्ण कमियों को निर्देशित करने के बावजूद भी, सीएसडी (मुख्यालय) एवं सीडीए (सीएसडी) ने इस मामले पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की । सीडीए (सीएसडी) ने ऊपर लिखित गलत आकड़ों को लेखापरीक्षित आँकड़ों के रुप में प्रमाणित किया जिसके आधार पर, डीजीएडीएस द्वारा दिए गए

[18] वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान को निर्दिष्ट करने वाले लेखा।

लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किए बिना, मंत्रालय ने मुनाफ़ों का वितरण करने की मंजूरी प्रदान की।

5.1.3 हितों में विवाद के परिणामस्वरूप कमज़ोर सतर्कता नियंत्रण

चूँकि सीएसडी ₹ 15,000 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ एक व्यवसायिक संगठन है, वो वर्ष 1977 से सतर्कता कक्ष के निर्माण पर विचार कर रही है। तथापि, सीएसडी ने संयुक्त महा प्रबंधक जो खरीद की क्रियाओं को देखता है, की सतर्कता प्राधिकारी के रूप में (1997) नियुक्ति की थी। चूँकि सतर्कता प्राधिकारी के तौर पर खरीद अधिकारी सीवीसी निर्देशों का उल्लंघन करता है, मंत्रालय ने इस तरह की नियुक्ति पर सहमति प्रदान नहीं की। हमने देखा कि सीएसडी ने कोई वैकल्पिक नियुक्तियाँ नहीं सुझाई एवं इस पद पर खरीद अधिकारी की नियुक्ति को जारी रखा।

निष्कर्ष 14:

सीडीए (सीएसडी) द्वारा सहायक वाऊचरों के बिना लेखों का संकलन व्यय के ऊपर उनके नियंत्रण को कमज़ोर करता है। सीवीसी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सीएसडी मुख्यालय में खरीद प्राधिकारी सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे।

5.2 स्मार्ट कार्ड को जारी करने पर नियंत्रण

यूआरसी को स्वचालित करने के लिए, इन्वैंट्री प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए व कैंटीन सुविधाओं का दुरूपयोग बंद करने के लिए, कैंटीन इन्वैंट्री प्रबंधन सेवाओं (सीआईएमएस) के साथ स्मार्ट कार्ड को अप्रैल 2004 में विकसित किया गया। स्मार्ट कार्ड को जारी करने के लिए एक गैर सरकारी फर्म मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड के साथ सेना मुख्यालय द्वारा अप्रैल 2004 में एक करार किया गया। स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन पत्रों को आवेदक के कार्यालय प्रमुख के द्वारा अभिप्रमाणित किया जाता है एवं बाद में यूआरसी के सभापति द्वारा स्क्रीनिंग एवं अभिप्रमाणित कर नए कार्ड को जारी करने के लिए मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड फर्म को अग्रेषित किया जाता है। कार्ड के लागत को लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

डीडीजीसीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरे के अनुसार, कुल 44.12 लाख लाभार्थियों के लिए 44.48 लाख स्मार्ट कार्डों को जारी करने के बारे में उल्लेख 2010-11 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संख्या 14 में किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लाभार्थियों को जारी किए गए स्मार्ट कार्डों के ब्योरे की जानकारी माँगने पर यह बताया गया कि कुल लाभार्थियों की जानकारी सीएसडी निदेशालय नहीं रखता तथा तीन सेवाओं तथा दूसरे लाभार्थी विभाग में उसे संबंधित शाखा/निदेशालय में रखा जाता है। इतनी भारी लाभार्थी संख्या के लगातार बदलने के कारण इसका लेखा रखना सीएसडी निदेशालय के लिए अनिवार्य नहीं है। लाभार्थी व्यक्ति के आवेदन पर ही व्यक्तिगत तथा योग्य आश्रितों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। यह भी

बताया गया कि कुल 50,05,448 स्मार्ट कार्ड सक्रिय है। आगे यह भी बताया गया कि, सही सूचनाओं को उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर होता है एवं आवेदन की वैधता की जाँच करने का उत्तरदायित्व प्रतिहस्ताक्षरित अधिकारी तथा यूआरसी प्रबंधन पर रहता है। सीएसडी निदेशालय पर नीतियों को जारी करने की ज़िम्मेदारी होती है और गैर पात्रता लाभार्थियों द्वारा कार्ड/सुविधाओं का दुरूपयोग रोकने के लिए भी अपनी सलाह प्रदान करता है।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि, प्राधिकरण स्तर पर पर्याप्त नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण, स्मार्ट कार्ड की दुरूपयोगिता से सीएसडी भंडारों की चोरी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जैसा कि नीचे दर्शाए गए मामले से स्मार्ट कार्ड की दुरूपयोगिता के तथ्य का पता चलता है जो कि मुख्यालय दक्षिण कमान पुणे द्वारा सूचित किया गया था और जिसे डीडीजीसीएस की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया।

मुख्यालय दक्षिण कमान (एचक्यू एससी) पुणे ने मिलिटरी इंटेलिजन्स निदेशालय को सीएसडी स्मार्ट कार्डों के हेर-फेर के जरिए सीएसडी वस्तुओं की अवैध खरीद तथा विक्रय के रॅकेट को सूचित (जुलाई 2015) किया था।

मुख्यालय दक्षिण कमान (एचक्यू एससी) पुणे ने 800 कैंटीन स्मार्ट कार्ड, 1 मास्टर कार्ड, 2 स्मार्ट कार्ड रीडर एवं कैंटीन से संबंधित सॉफ्टवेयर की 15 सीडी की भी वसूली की तथा पाया कि 16 सीएसडी सिविलियन स्टाफ, 11 सेवा कार्मिक, पाँच भूतपूर्व कर्मचारी, 8 सिविलियन दलाल तथा चार सीआईएमएस तकनीशियन इसमें शामिल थे। नए कार्ड जारी किए जाने पर इन स्मार्ट कार्ड को वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा जमा किया गया था। तकनीशियनों और सर्वर ऑपरेटरों ने कथित तौर पर स्मार्ट कार्ड की खरीद की पास्ट हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की व कई लेनदेन के लिए कार्ड का पुनः उपयोग किया।कार्ड धारक के रॅंक की भी कार्ड की खरीद सीमा बढ़ाने हेतु छेड़छाड़ की गई थी।

लेखापरीक्षा के सवाल के उत्तर में सीएसडी निदेशालय (सितम्बर 2015) ने बताया कि यह मामला सिविल पुलिस चैन्नई की जाँच के अधीन था तथा जाँच रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों से प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी।

वर्तमान में स्मार्ट कार्ड के जरिए सीएसडी भंडारों की खरीद की विवरणी के बारे में लाभार्थियों को सूचित करने के लिए सीएसडी के पास कोई पद्धति मौजूद नहीं है। इस प्रकार की पद्धति जैसे कि दवाईयों के जारी होने के संदेश को मोबाइल फोन में भेजने को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में अनुसरण किया जा रहा है।

निष्कर्ष 15

गैर इरादतन लाभार्थियों द्वारा स्मार्ट कार्ड के गलत इस्तेमाल को नियंत्रण करने के लिए सीएसडी में पद्धति की कमी थी।

5.3 स्थानीय बाज़ार के लिए सीएसडी भंडारों की चोरी

चूँकि सीएसडी द्वारा भंडारों की खरीद रक्षा कार्मिकों एवं पात्र सिविल कार्मिकों को बिक्री हेतु की जाती है एवं विक्रय मूल्य बाजार की वर्तमान दरों से काफी कम होता है, सीएसडी की वस्तुओं की सिविल बाजार में लीकेज पर निगरानी रखने की जरूरत है।

तथापि, हमने देखा कि, यद्यपि यूआरसी एवं एरिया डिपो दोनों में आंतरिक नियंत्रणों को निर्धारित किया हुआ है, तथापि तीन स्टेशनों में सीएसडी भंडारों का अपात्र कार्मिकों द्वारा आहरण हुआ एवं सिविल बाजार में उसे बेचा गया जैसे कि नीचे ब्योरेवार दर्शाया गया है:

- **सीएसडी डिपो, अहमदाबाद**: यूआरसी 43 एएससी कॉय ने जनवरी से जून 2015 तक 6 महीनों के लिए सीएसडी डिपो, अहमदाबाद से भंडारों को इकट्ठा किया जिसके लिए यूआरसी द्वारा कुछ भुगतान किया गया था और बड़ी मात्रा में भुगतान तीसरी पार्टी द्वारा किया गया था एवं यूआरसी प्रतिनिधियों के द्वारा भंडारों को इकट्ठा किया गया था। ₹ 1.83 करोड़ मूल्य के भंडारों का भुगतान चेक/डीडी द्वारा तीसरी पार्टी द्वारा किया गया था। शिकायत के आधार पर आरएम, सीएसडी डिपो के अधीन अधिकारियों के बोर्ड के द्वारा इस मामले की जांच की गई थी। अंत में, इस मुद्दे को सीबीआई द्वारा जाँच करवाने के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष ले जाया गया क्योंकि तीन एजेंसियाँ यथा यूआरसी, एरिया डिपो एवं तीसरी पार्टी शामिल थीं।

- **सीएसडी डिपो, मुम्बई:** ₹ 32.42 लाख मूल्य के भंडारों को सीएसडी (मुख्यालय) के यूआरसी के कर्मचारी द्वारा 2009-10 एवं 2010-11 में एरिया डिपो से इकट्ठा किया गया एवं सिविल बाजार में बेचा गया। सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा की गई जाँच में मुबंई के एरिया डिपों के कर्मचारी एवं अधिकारियों की लापरवाही पायी गई क्योंकि भंडारों की माँग को यूआरसी द्वारा भेजा नहीं गया था और भंडारों का भुगतान भी यूआरसी कर्मचारी के अपने वैयक्तिक चेक के जरिए किया गया था।

- **सीएसडी डिपो, कोलकाता:** जीओसी बंगाल एरिया की लिखित शिकायत के आधार पर सीएसडी भंडारों की चोरी के मामलों में, सीबीआई जाँच के दौरान देखा गया कि यूआरसी एमएच पानागढ़ के नाम पर जालसाज़ी तथा नकली माँगपत्रों तथा प्राधिकार पत्रों को जारी किया गया। अप्रैल 2010 से जून 2011 के दौरान इन माँग पत्रों पर ₹ 1.56 करोड़ मूल्य के भंडार जारी हुए थे, जो यूआरसी एमएच, पानागढ़ में पहुँचे ही नहीं थे।

उपरोक्त दर्शाए गए सीएसडी भंडारों की स्थानीय मार्केट में लीकेज अप्रभावी नियंत्रण को सूचित करता है तथा विद्यमान ऐसे प्रावधान कि डिपो प्रबंधकों को यूआरसी से प्राप्त वस्तुओं की वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि करनी चाहिए, को और सक्षम करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष 16:

यूआरसी प्राप्त भंडारों का डिपो द्वारा जारी भंडारों के मिलान की प्रक्रिया के पश्चात भी सीएसडी यूआरसी से भंडारों की लीकेज को नियंत्रण करने में असफल हुई।

5.4 निम्न प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित सीमा से अधिक शक्तियों का उपयोग करना

जनवरी 2009 में रक्षा मंत्रालय ने सीएसडी में खरीदी आदेश के लिए वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए जिसके अनुसार 20 लाख तक की खरीदारी के लिए जीएम एवं 20 लाख से उपर तक की खरीदारी को मंजूरी प्रदान करने के लिए बीओए आदेश देगा। इसके अलावा, डिपो प्रबंधकों को, एक माह की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय खरीदारी आदेश (एलपीओ) के साथ, अधिकृत किया जाएगा जिसमें मद की औसत 1 महीने से ज्यादा न हो।

हमने देखा कि जीएम द्वारा 20 लाख से अधिक की भी खरीदारी की गई। उसी प्रकार, डिपो प्रबंधक किसी भी तरह के वित्तीय अनुदेशों का पालन किए बिना अपने वित्तीय शक्तियों से ऊपर जाकर स्थानीय खरीद आदेश (एलपीओ) दे रहे थे। इस तरह के आदेशों का 2010-11 से 2015-16 के दौरान मूल्य ₹ 17,791.54 करोड़ (₹ 14,392.36 करोड़ जीएम के द्वारा + ₹ 3,399.18 करोड़ डिपो के द्वारा) था। ऐसे आदेशों के लिए बोओए के अनुमोदन बाद में लिए गए जो कि साधारणत: दो से आठ महीनों की देरी से लिए जा रहे थे।

सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना खरीदारी आदेशों को रखा जाना जीएफआर के नियमों का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय को मंजूरी नहीं दी जाए तब तक कोई भी प्राधिकारी व्यय नहीं कर सकता है।

सीएसडी ने बताया कि यदि प्रत्यायोजित सीमा के भीतर वस्तु आदेश को संकुचित कर दिया जाता है, तो वह उपभोक्ता संतुष्टी को प्रभावित करेगा। यह भी बताया गया कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि का मामला रक्षा राज्य मंत्री की सहमति के बाद कार्यकारी समीति के सम्मुख रखा गया है, जो प्रगतिशील है।

सिफारिशें:

12. सीडीए (सीएसडी) द्वारा बिना सहायक वाउचरों के लेखों का संकलन करना व्यय पर नियंत्रण को कमजोर करता है, अत: विद्यमान नीति के अनुसार सीएसडी द्वारा सहायक वाउचरों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

13. सीएसडी एक वाणिज्यिक सिद्धांतो पर चलने वाली पैन इंडिया संगठन होने के कारण, मंत्रालय को सीवीसी के दिशा-निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए सीएसडी (मुख्यालय) में एक निष्ठावान सतर्कता अधिकारी के तहत शीघ्रता से एक ठोस निगरानी विभाग का निर्माण करना चाहिए।

14. स्मार्ट कार्डों के जारी/रद्द करने का कार्य सीएसडी निदेशालय द्वारा केंद्रीय रूप से मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस सुविधा के संभाव्य दुरूपयोग से बचा जा सके। साथ ही कार्ड के दुरूपयोग के मामलों का शीघ्र ही निपटान किया जाए ताकि यह दूसरे के लिए एक उदाहरण बन जाए।

15. सीएसडी स्मार्ट कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेनदेन की उनके लाभार्थियों को सूचना देने के लिए एक यंत्रणा को तैयार करे ताकि जालसाज़ खरीदी के दुरूपयोग के खतरे को कम कर सके।

16. विद्यमान तंत्र जिसमें डिपो जारी भंडार का यूआरसी प्राप्त भंडार से मिलान किया जाता है, को एक स्वतंत्र एजन्सी अर्थात सीएसडी/सीएसडी निदेशालय के पुनरीक्षण द्वारा और सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय VI
यूनिट रन कैंटीन की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा उद्देश्य: सीएसडी के विस्तारित रूप में मौजूद यूनिट रन कैंटीन सीएसडी के सिद्धांत को हासिल करने में मददगार होने का आकलन करना।

6 यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) की लेखापरीक्षा

यूनिट रन कैंटीन सीएसडी एवं इसके उपभोक्ताओं के बीच एक माध्यम का कार्य करती है। सीएसडी उपभोक्ताओं की संतुष्टी का स्तर यूआरसी के कार्यों के ऊपर भारी मात्रा पर निर्भर करता है। पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यूआरसी के दस्तावेजों को लेखापरीक्षा हेतु देने को इस बात पर मना किया गया कि यूआरसी एक रेजिमेंटल यूनिट है एवं गैर-सरकारी निधियों से इसका चलन होता है। चूँकि, काफी मात्रा में लोक निधि से यूआरसी को चलाने हेतु निधि को हस्तांतरित किया जाता है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने सुझाव दिया था कि रक्षा मंत्रालय यूआरसी को एकीकृत जवाबदेही व्यवस्था में लाने हेतु तत्काल कदम उठाए जो कि भारत के समेकित निधि द्वारा निधिबध्द सभी प्रचालनों पर लागू होते है। अपनी 48वीं एवं 75वीं रिपोर्ट में लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया कि यूआरसी को सरकार से मिलने वाली धन-संबंधी सुविधाओं जैसे कि सुलभ ऋण, मात्रात्मक छूट, मुफ्त भूमि, यूआरसी के लिए सेवा कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एवं यूआरसी सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन की तरह होने के कारण, यूआरसी के संचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च लेखापरीक्षक द्वारा यूआरसी की लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। कार्रवाई टिप्पणी में जबकि मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा मात्रात्मक छूटों के लेखापरीक्षा के लिए सहमति प्रदान की एवं सभी यूआरसी के लिए मात्रात्मक छूट को उपयोग एंव वितरण के लिए निर्देशों को निर्धारित किया, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यूआरसी के समस्त कार्यों की लेखापरीक्षा पर निर्णय एवं एकीकृत जवाबदेही व्यवस्था के तहत इन लेखों को लाने की प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन थी (मार्च 2016)।

तदनुसार, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, 11 चयनित किए गए एरिया डिपो पर आश्रित 37 यूआरसी को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया एवं इनसे संबंधित ब्योरे सीएसडी (मुख्यालय) मुबंई एवं डीडीजीसीएस से माँगे गए। 37 यूआरसी में 2 यूआरसी (मुख्यालय दक्षिण कमान पुणे एवं एएफ चाकेरी) ने आवश्यक ब्योरे यह बताते हुए नहीं प्रस्तुत किए कि उच्चतर प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा गया है, जिसे प्राप्त करते ही ब्योरे को प्रस्तुत कर दिया जाएगा जो कि अभी भी प्रतीक्षित है (नवंबर 2016)। 2015-16 के लिए एएचक्यू द्वारा अनुदेश तथा

लेखापरीक्षा के लगातार निवेदनों के बावजूद छः[19] यूआरसी अपेक्षित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असफल रहीं।

कुछ यूआरसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ और आकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण भंडारों की कीमतों में अनियमितताएँ, राज्य सरकार के साथ वॅट के लिए यूआरसी का पंजीकरण, वॅट लेवी, एवं इकट्ठा किए गए वॅट को जमा करवाना, शांतिपूर्ण क्षेत्र में स्थित यूआरसी में रक्षा सेवा कार्मिकों की तैनाती व यूआरसी के लिए आवास के प्रभारों के गैर भुगतान इत्यादि उद्घाटित करता है जिसकी आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.1 मूल्य निर्धारण के मुद्दे - अधिक लाभ मार्जिन को भारित करना

यूआरसी थोक कीमतों पर एरिया डिपो से भंडारों को ग्रहण करती है एवं खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नीतियों के अनुसार सीएसडी (मुख्यालय) थोक एवं खुदरा कीमतों को तय करता है और मूल्यों की सूची छमाही में जनवरी एवं जुलाई में प्रकाशित की जाती है। इसके उपरांत कीमतों में की गई संशोधनों को सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा जारी किए गए विक्रय मूल्य परिपत्रों द्वारा सूचित किया जाता है जो कि डिपो स्तर पर क्रियान्वित होते है। सीएसडी (मुख्यालय) वस्तु आधारित 0 से 10 प्रतिशत तक के मुनाफ़े के मार्जिन को निर्धारित खुदरा दरों में शामिल करता है। स्थानीय करों, चुंगी इत्यादि को छोड़कर सभी वस्तुओं की खुदरा विक्री दर पूरे देश में एकसमान होनी चाहिए।

हमने देखा कि 37 चयनित यूआरसी में से 29 ने परीक्षण के दौरान जाँची वस्तुओं पर निर्धारित सीमा से अधिक प्रभार लगाया था जैसा कि **अनुलग्नक 'ई'** में ब्योरेवार दर्शाया गया है।

इस लाभ के अतिरिक्त प्रभार के परिणामस्वरूप खुदरा दरों में वृद्धि तथा अंतर आया, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और यूआरसी के मुनाफों में बढ़ोतरी हुई। लाभ प्रतिशत के विभिन्न समूहों में कुछ उदाहरणगत मामलों को लेखापरीक्षा आवरित विभिन्न यूआरसी में देखा गया जैसा कि नीचे तालिका 20 में दर्शाया जा रहा है:

तालिका 20: यूआरसी में देखे गए कीमत अंतर **(आकड़े ₹ में)**

यूनिट रन कैंटीन/ वस्तु	खुदरा दर[20] सीएसडी मुख्यालय	खुदरा दर यूआरसी	खुदरा दर सीएसडी मुख्यालय	खुदरा दर यूआरसी
साबुन एवं डिटर्जेंट	**9501 – नो मोर टियर्स शैम्पू**		**9324 – टाइड डिटर्जेंट**	
सुदर्शन चक्र भोपाल	91.58	93.36	68.96	70.30
एच क्यू सीसी लखनऊ	89.82	91.30	67.63	68.75
7 एफ अस्पताल कानपुर	89.82	91.56	67.63	68.94
आयुध निर्माणी इलाहाबाद	89.82	91.56	67.63	68.94

[19] मुख्यालय दक्षिण कमान पुणे, सीएमई दापोडी, मुख्यालय 21 कॉर्प्स चकरा, एमपी सब एरिया भोपाल, आयुध डिपो इलाहाबाद एवं एएफ चाकेरी

[20] खुदरा दर सीएसडी (मुख्यालय) के विभिन्न अवधि से संबंधित होने के कारण विभिन्न है।

नई दिल्ली की ई इन सी शाखा	88.05	89.76	67.63	68.94
चाय	**86138 –रेड लेबेल ब्रूक बॉन्ड चाय**		**86141 – ताजमहल चाय**	
एच क्यू सीसी लखनऊ	127.52	132.19	77.51	80.35
7 एफ कानपुर	127.52	132.57	77.51	80.58
नई दिल्ली की ई इन सी शाखा	128.98	131.53	88.38	90.13
डीजी एनसीसी नई दिल्ली	128.98	130.25	76.28	77.03
वज्र स्टेशन कैंटीन	117.28	119.60	84.07	85.74
कलाई घड़ियाँ	**61529 - टाईटन 1092**		**61514 – टाईटन क्वार्टज 954**	
एच क्यू सीसी लखनऊ	1105.07	1134.32	1442.54	1480.72
7 एफ कानपुर	1105.07	1105.07	एनए	एनए
आयुध निर्माणी इलाहाबाद	1105.07	1137.57	1146.74	1180.46
डीजी एनसीसी नई दिल्ली	1105.07	1137.57	1273.22	1273.22
आईएनएस शिवाजी लोनावला	1002.35	1031.84	1273.22	1310.66
कैडबरी चॉक्लेट्स	**85204 – कैडबरी डैरी मिल्क**		**85216 – नैस्ले मंच**	
स्टेशन कैंटीन दिल्ली क्षेत्र	6.91	7.26	7.01	7.36
7 एफ कानपुर	एनए	एनए	7.01	7.36
आयुध निर्माणी इलाहाबाद	एनए	एनए	7.01	7.36
नई दिल्ली की ई इन सी शाखा	7.15	7.51	7.01	7.36
वज्र गोल्डन लायन	7.55	7.93	7.37	7.74

कुल वित्तीय निहितार्थ एवं उपभोक्ताओं से इकट्ठा की गई अतिरिक्त राशि जिसमें वॅट शामिल है, की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि क्यूडी के अलावा लेखापरीक्षा को और कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए।

यद्यपि, सीएसडी निदेशालय (जुलाई 2016) ने यूआरसी के मूल्य यंत्रणा के नियंत्रण में आई असफलता पर कोई भी टिप्पणी प्रस्तावित नहीं की, तथापि यह बताया गया कि सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा निर्धारित की गई खुदरा कीमतों को अनुसरण करने के लिए यूआरसी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए है एवं यूआरसी के सीआईएमएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तनों को किया जा रहा है जिससे कि यूआरसी में इस तरह के मामले उत्पन्न न हों।

तथापि हमने देखा कि सीएसडी निदेशालय द्वारा इन निर्देशों के क्रियान्वयन को देखने के लिए किसी भी तरह की यंत्रणा को अपनाया नहीं गया था।

6.2 यूआरसी के द्वारा वॅट संबंधी मामलों में विसंगतियाँ

राज्य सरकार द्वारा 2005 के प्रभाव से वॅट का क्रियान्वयन यूआरसी द्वारा विक्रय के लिए लागू है। यूआरसी के द्वारा प्रस्तावित ब्योरो की संवीक्षा से कुछ यूआरसी के द्वारा वॅट के क्रियान्वयन में आई विसंगतियों जैसे कि बिक्री कर विभाग के साथ अपंजीकरण, राज्य सरकार के वॅट का जमा न किया जाना, गलत प्रभार आदि का पता चलता है जैसा कि तालिका 21 में दर्शाया गया है-

तालिका 21: यूआरसी द्वारा वॅट के क्रियान्वयन में विसंगतियों के ब्योरें

क्र सं..	यूआरसी	राज्य	विसंगतियों का स्वरूप
1	एएससी केंद्र बैंगलोर	कर्नाटक	लेखापरीक्षा में आवरित की गई अवधि दौरान (2010-11 से 2014-15 तक) उपभोक्ताओं से एकत्रित ₹ 19.54 लाख वॅट को सरकार के पास जमा न करना।
2	एचक्यू के तथा के उपक्षेत्र	कर्नाटक	जुलाई 2015 से पूर्व वॅट को क्रियान्वित नहीं किया गया।
3	ईएसएम कराड	महाराष्ट्र	विक्रय कर विभाग (जुलाई 2016) के साथ पंजीकृत न होना तथा उपभोक्ताओं से वॅट एकत्रित न करना।
4	सीएमई दापोडी		
5	आईएनएस शिवाजी	महाराष्ट्र	विक्रय कर विभाग के साथ पंजीकरण न होने के बावजूद 2005-2012 के दौरान यूआरसी ने ₹ 10.50 लाख वॅट एकत्रित किया तथा इसे रेजिमेंटल निधि में जमा किया गया।
6	यूआरसी(9 संख्या)	दिल्ली	कुछ छूट दी गई वस्तुओं पर वॅट का प्रभार।

जवाब में, सीएसडी निदेशालय ने बताया (जुलाई 2016) कि, सभी संबंधित मुख्यालयों एवं यूआरसी को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए है कि, इकट्ठा किए गए वॅट को राज्य सरकार को जमा करना अनिवार्य है। एक्झिट कॉन्फरन्स में इस बात का आश्वासन दिया गया कि यूआरसी द्वारा जमा की गई वॅट को आवधिक निरीक्षण के दौरान मॉनिटर किया जाएगा।

6.3 मात्रात्मक छूट के लेखाकरण में अनियमितताएँ

मात्रात्मक छूट (क्यू डी) व्यापार से संबंधित प्रोत्साहन छूट है, जिसे यूआरसी को सीएसडी द्वारा फ्री भंडारों के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है एवं इसकी गणना पिछले वर्ष यूआरसी द्वारा खरीदे कुल भंडार के प्रतिशत से की जाती है। जिन वस्तुओं पर सीएसडी द्वारा 6 प्रतिशत या उससे ऊपर का लाभ भारित किया जाता है उन पर 4.5 प्रतिशत की दर से क्यूडी का भुगतान किया जाता है और जिन वस्तुओं पर मात्र 5 प्रतिशत का मुनाफ़ा मार्जिन सीएसडी प्रभारित करता है उन पर 3.5 प्रतिशत की दर से क्यूडी का भुगतान किया जाता है।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने मार्च 2012 में तत्काल प्रभाव से सभी यूआरसी द्वारा क्यूडी के वितरण एवं उपयोग को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को जारी किया। मार्च 2014 में इन निर्देशों को जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप करने के लिए संशोधित किया गया। वर्ष के अंत तक प्रयोग में न लाई गई राशि को सरकार को वापिस करना होता है।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 37 यूआरसी से मिले प्रमाणों के अनुसार मात्रात्मक छूट (₹ 39.60 करोड़) के प्रयोग में मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित विसंगतियाँ आई।

6.3.1 उच्चतर फार्मेशन को मात्रात्मक छूट का अनियमित हस्तान्तरण तथा यूआरसी द्वारा गलत प्रयुक्ति प्रमाणपत्र

क्यूडी के प्रयोग हेतु मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, क्यूडी की निकासी से संबंधित प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (यूसी), जो कि चार्टर्ड अकॉउंटेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, को अगले वर्ष की मात्रात्मक छूट को जारी करने से पहले एरिया डिपो में जमा करवा देना चाहिए। एरिया डिपो सीएसडी (मुख्यालय) के जरिए बीओसीसीएस को समेकित यूसी को जमा करेगा। क्यू डी की अनुप्रयुक्त राशि को सरकार को वापस कर दिया जाएगा। तथापि, हमने देखा कि आगामी वर्षों के लिए क्यूडी को प्राप्त करने हेतु, उसका वास्तविक प्रयोग किए बिना यूआरसी ने क्यूडी का प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किए गए गलत प्रयुक्ति प्रमाणपत्र के मामलों को नीचे रेखांकित किया गया है:

- "सीएसडी क्यूडी" के रूप में एक अलग खाते को अनुरक्षित करना चाहिए जहां क्यूडी राशि को जमा करना चाहिए। यह राशि कल्याणकारी कार्यों के लिए एवं यूआरसी की आधारभूत संरचना के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कार्यशील पूँजी, व्यापार की हानियों इत्यादि के लिए प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तथापि, हमने देखा कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान, 21 यूआरसी द्वारा क्यूडी के रूप में ₹ 77.03 करोड़ को ग्रहण किया गया जिसमें से ₹ 29.49 करोड़ को उच्चतर फार्मेशन के लिए हस्तांतरित किया गया जैसा कि **अनुलग्नक 'एफ'** में वर्णित किया गया है। यह हस्तांतरण इन 21 यूआरसी द्वारा कुल प्राप्त क्यूडी के 2.17 प्रतिशत से 70.55 प्रतिशत तक बनता है। उच्चतर फार्मेशन को निधि के हस्तांतरण को संबंधित यूआरसी द्वारा प्रयुक्ति प्रमाणपत्र में प्रयुक्त हुए के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

  उत्तर में, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र एवं ओडी इलाहाबाद ने बताया कि उच्चतर मुख्यालयों से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्यालय फार्मेशन के लिए क्यूडी का कुछ भाग अग्रेषित किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह यूआरसी को कल्याणकारी कार्यों के लिए दी गई क्यूडी की मंजूरी के विरूध्द है।

- यद्यपि रु 5.62 करोड़ की राशि 4 यूआरसी के लेखों में जमा थी, इसके बावजूद क्यूडी के पूर्णत: इस्तेमाल का प्रमाण प्रस्तुत किया गया था जैसा कि **अनुलग्नक 'जी'** में ब्योरेवार दर्शाया गया है।

  यूआरसी के लेखों में बकायों के बावजूद क्यूडी के 100 प्रतिशत इस्तेमाल का गलत प्रमाणपत्र एवं अनुप्रयुक्त ₹ 5.62 करोड़ की राशि को जमा किए बिना आगे के वर्षों के लिए क्यूडी की माँग करना सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

- 4 यूआरसी ने मात्रात्मक छूट की अनुप्रयुक्त राशि जो कि ₹ 1.26 करोड़ **(अनुलग्नक 'एच')** थी, को वापस नहीं किया। यूआरसी द्वारा रखी गई शेष राशि एरिया डिपो को प्रस्तुत उनके यूसी में प्रतिबिंबित होती है। प्रत्यक्षत: आगामी वर्षों की मात्रात्मक छूट को जारी करने से पहले यूआरसी से प्रत्यर्पणीय राशि की निगरानी के अपने उत्तरदायित्व पर एरिया डिपो भी असफल रहा।

- मात्रात्मक छूट की संस्वीकृति अनुसार, वर्ष के अंत में यदि कोई राशि यूआरसी द्वारा अनुप्रयुक्त रही तो उसे सरकार को वापस करना पड़ता है। तथापि हमने देखा कि मार्च 2015 के अंत में 17 यूआरसी ने ₹ 6.32 करोड़ की अंतिम शेष राशि को अग्रेनीत किया। इसी प्रकार, मार्च 2016 के अंत में, 15 यूआरसी ने सरकार को ₹ 3.03 करोड़ की राशि को वापस न करते हुए उसे आगे बढ़ा दिया, जो यूआरसी के दिशा-निर्देशों के अपालन को इंगित करता है।

- हमने देखा कि तीन यूआरसी, एचक्यू के एंड के उप एरिया, बैंगलोर, आईएनएस शिवाजी, लोनावला एवं यूआरसी एचक्यू एससी पुणे ने क्यूडी के रूप में प्राप्त राशि को फिक्ज़ड डिपॉजिट के तौर पर बैंकों में विनियोजित किया। ₹ 19.82 लाख की राशि को ब्याज़ के रूप में 2013-15 के दौरान अर्जित किया गया जो कि मंजूरी के आशय का उल्लंघन करता है। अर्जित किए गए ब्याज़ के मामले की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय IV के पैरा 4.6 में की गई है।

इस मामले पर सीएसडी के निदेशालय ने बताया (जुलाई 2016) कि, सभी संबंधित मुख्यालयों/यूआरसी के लिए अप्रयुक्त राशि को सरकार के पास जमा करवाने के लिए आवश्यक अनुदेशों को जारी कर दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि क्यूडी को चालू खाते में जमा करवा दिया जाएगा एवं इस से ब्याज़ उत्पन्न नहीं होगा।

यह उत्तर निर्धारित अनुदेशों/दिशा-निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति का परिचायक है। क्योंकि लेखा परीक्षा साल के अंत में अप्रयुक्त क्यूडी की वापसी पर जोर देती है, यह उत्तर कि क्यूडी चालू खाते में जमा किया जाएगा प्रासंगिक नहीं है।

6.3.2 विभिन्न अनाधिकृत कार्यों के लिए मात्रात्मक छूट से व्यय करना

मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, क्यूडी को सैनिकों के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों के लिए नीचे तालिका 22 में दर्शाए अनुपात के अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है:

तालिका 22: मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुसार कल्याणकारी कार्यों की विवरणी

1	उच्च माध्यमिक स्तर तक लाभार्थियों के योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति	12%
2	सेवाओं द्वारा संचालित प्राधिकृत विद्यालयों तथा अस्पतालों के अनुदान के लिए	10%
3	सेवाओं द्वारा चलाए जाने वाले वरिष्ठ नागरिक आवासों के सहयोग के लिए	3%
4	सैनिकों/आश्रित कर्मियों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजना/गतिविधियाँ	55%
5	यूनिट/फार्मेशन/स्थापना में खेल/खेलों से संबंधित गतिविधियाँ/सुविधाएँ	15%
6	प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लाभार्थियों तथा उनके ऊपर आश्रित को सहायता	5%

हमने देखा कि विभिन्न अनाधिकृत कार्यों जैसे कि एमआई कमरों के जोड़/बदलाव, बस/एम्बुलेंसों की खरीद, मौजूदा एम्बुलेंसों के संशोधन हेतु, अतिथि कमरों का रखरखाव, एवं यूनिट के दूसरे विविध कार्यों के लिए ₹ 1.97 करोड़ को 6 यूआरसी द्वारा व्यय किया गया। जब सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार यूनिट के यह कार्य प्राधिकृत है, हमने पाया कि इन कार्यों का सीएफए की अनुमति और सामान्य रास्ते द्वारा प्रक्षेपण से बचने के लिए क्यूडी से प्रावधान किया गया।

सीएसडी निदेशालय (जुलाई 2016) ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय द्वारा इस विषय से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों को पालन करने के पुन: अनुदेश दिए जाएगें। यह उत्तर क्रियान्वयन के उल्लघंन के बारे में जवाब नहीं देता है। चूँकि इन सभी परिसम्पतियों को नियमित रूप से अनुरक्षण तथा कनस्यूमेबल जैसे कि ईंधन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें संबंधित यूनिट के शांतिपूर्ण संस्थापन तथा युद्ध संस्थापन के खाते में लिया जाए तथा भविष्य में ऐसे उल्लघंनों को आगामी क्यूडी में अधिक कटौतियों के जरिए प्रारंभ से ही कम किया जाए।

6.4 अधिकृत मात्रा से अधिक शराब का आहरण किया जाना

2008-09 में की गई सीएसडी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यूआरसी द्वारा अत्यधिक मात्रा में शराब के आहरण को देखा गया। दिसम्बर 2011 में पीएसी को प्रस्तुत मंत्रालय की कार्रवाई टिप्पणी में बताया गया कि विविध उपायों जैसा कि यूआरसी की क्षमता अनुसार शराब माँगपत्र की पेशकश, स्मार्ट कार्ड के जरिए शराब का विक्रय तथा दोषी कार्मियों के खिलाफ की गई सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, इत्यादि के सहारे सिविलियन मार्केट में शराब के रिसाव को रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण लाया जा रहा था।

तथापि, इन आश्वासनों के बावजूद भी, अत्यधिक मात्रा में शराब का आहरण किया जाना जारी रहा जैसा कि यूआरसी द्वारा प्रस्तुत ब्योरे से यह देखा गया कि 35 यूआरसी में से 20 में अधिकृत मात्रा से अधिक शराब खरीदी जाती थी। इस तरह की अधिक खरीदी शराब की मात्रा नवंबर 2013 से जनवरी 2014, नवंबर 2014 से जनवरी 2015 एवं नवम्बर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान 5,14,369 बनती है। यदि शराब की ₹ 100/-[21] प्रति यूनिट न्यूनतम मूल कीमत भी ली जाए तो ऐसे अत्यधिक आहरित शराब की कुल लागत ₹ 5.14 करोड़ बनती है।

[21] एक बोतल रम की कीमत

हमने यह भी देखा कि सेवा कार्मिकों की तैनाती क्षमता के आधार पर यूआरसी आबकारी शुल्क विभाग से शराब का लायसेंस प्राप्त करते हैं जो अधिकतम आहरण सीमा को तय करती है। इस परमिट की एक प्रति माँगपत्र तथा प्रमाणपत्र की सत्यता जाँचने के लिए डिपो के पास उपलब्ध नहीं होती।

चूँकि सेवा कार्मिकों को सिर्फ उनके अधिकृतता आधार की शराब जारी की जाती है, इस बात की भारी संभावना है कि अधिक खरीदी गई शराब को खुले बाजार या अप्राधिकृत लोगों को बेच दिया जाए जैसा कि नीचे दिए गए मामले से साबित हो जाता है।

सिविल बाजार में रक्षा कर्मियों के लिए शराब को अवैध तरीके से दिल्ली में बेचने की शिकायतों की कोर्ट ऑफ इन्कवायरी की जाँच से यह पता चला कि पात्रता से अधिक 1,55,502 मात्रा में शराब खरीदी गई एवं इसमें से 97,432 मात्रा शराब फरवरी से अप्रैल 2011 के दौरान अप्राधिकृत कार्मिकों को बेची गई। इस मामले को बेहतर जानने के लिए, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान यूआरसी को अधिकृत व जारी की गई शराब का ब्योरा माँगा गया जिसे प्रस्तुत किया जाना बाकी था (नवंबर 2016)।

अपनी प्रतिक्रिया में सीएसडी निदेशालय (जुलाई 2016) ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित मुख्यालयों एवं यूआरसी में आवश्यक अनुदेशों को जारी किया जाएगा। इसके अतिरिरक्त स्वीकृत तैनाती पर नहीं बल्कि वास्तविक तैनाती के आधार पर शराब से संबंधित लायसेंस लिया जाना चाहिए।

6.5 यूआरसी में सेवा कार्मिकों की तैनाती

यूआरसी में सेवा कार्मिकों की तैनाती के बारे में सीएसडी के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, पीएसी ने अपने 75वीं रिपोर्ट में बताया कि प्रतिबंधित/अशांत/बागी जैसे प्रभावित क्षेत्रों में यूआरसी को चलाने के लिए सेवा कार्मिकों की तैनाती को उचित समझा जा सकता है, परंतु सामान्य/शांतिपूर्ण क्षेत्रों में स्थापित यूआरसी में उनकी प्रतिनियुक्ति/सेवा जो कि पूर्णकालीन होती है, इस तथ्य के विरूध्द है कि सैनिकों का प्राथमिक कार्य देश की सीमाओं की रक्षा करना है। प्रतिक्रिया में, कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सेवा कार्मिकों को बागी प्रभावित क्षेत्रों में/ जहाज पर/ संवेदनशील प्रतिस्थापनों जैसे कि फार्वर्ड एयरबेस इत्यादि क्षेत्र की यूआरसी में सुरक्षा कारणों की वजह से तैनात किया जाता है।

तथापि, इस पुनरीक्षण में हमने देखा कि 35 यूआरसी जो कि शांतिपूर्ण क्षेत्रों में स्थित है, में से 15 यूआरसी में सेवा कार्मिकों की रोटेशन पर तैनाती की जा रही है जैसा कि **अनुलग्नक 'आई'** में दर्शाया गया है।

यूआरसी के दैनिक कार्यों के लिए सेवा कार्मिकों की तैनाती दिसंबर 2011 में मंत्रालय द्वारा पीएसी को दी गई आश्वासन का ही उल्लघंन नहीं करती है बल्कि उनके मुख्य लड़नेवाले कार्यों के साथ भी समझौता करती है। क्योंकि यूआरसी को चलाना एक रेजिमेंटल कर्तव्य है एवं क्यूडी द्वारा भुगतान किए गए कार्मिकों द्वारा हीं संचालित होना चाहिए, रेजिमेंटल/वाणिज्यिक कार्यों के लिए यूआरसी में सेवारत अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती सरकारी स्रोतों का विचलन था एवं इसलिए यह ठीक नहीं था।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी पर उत्तर देते हुए सीएसडी निदेशालय ने बताया (जुलाई 2016) कि उन यूआरसी में जहाँ भी सेवा कार्मिक कार्यरत हैं, अपने प्राथमिक कार्य के साथ इन कार्यों को करने की अनुमति दी गई है जोकि बागी/आतंकवाद प्रभावित इलाकों में स्थित है एवं नौसेना के जहाजों पर तैनात हैं। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त बताए गए मामले शांतिपूर्ण क्षेत्र में स्थापित यूआरसी के हैं एवं 4-13 जेसीओं/ओआर की तैनाती यह सूचित करती है कि उन्हें विशेष तौर पर यूआरसी के लिए तैनात किया गया है जिसकी वजह से मुख्य लड़ाकू कार्य के साथ समझौता करना पड़ रहा है।

6.6 यूआरसी द्वारा आवासों के किरायों का भुगतान न करना

सरकार द्वारा यूआरसी को धन संबंधी सुविधाओं जैसे कि सुलभ ऋण, किराया मुक्त सरकारी आवास से संबंधित विषयों पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा की प्रतिक्रिया में कार्रवाई टिप्पणी में बताया गया था कि यूआरसी अपने मुनाफ़ों से निर्धारित की गई दरों पर किराया तथा अन्य प्रभार अदा करता है।

तथापि, पुनरीक्षण में आवरित यूआरसी द्वारा प्रस्तुत किए गए आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 35 में से आठ यूआरसी जो मुख्यतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में थे, सरकारी आवासों का उपयोग किए जाने के बावजूद किराया और अन्य प्रभार जमा नहीं कर रहे थे जैसा कि नीचे तालिका 23 से प्रतिबिंबित हो जाता है:

तालिका 23: यूआरसी द्वारा बिना किराया दिए उपयोग किए आवास का क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाली विवरणी

क्र. सं.	यूआरसी	उपयोग की गई जगह (स्कॉयर फूट)
1	डीएसओआई, धौंला कुँआ	14428
2	राज राइफल्स रेजिमेंट केंद्र	15000
3	डीजी एनसीसी	23758
4	भारतीय कोस्ट गार्ड दिल्ली	451.92
5	सीएएमएस	3871
6	आईएनएस शिवाजी	53800
7	कोबरा कैंटीन	168017
8	वॅटरेन कैंटीन दुनदाहेरे गुड़गाँव	7938

इसी प्रकार, आईएनसीएस मुम्बई द्वारा प्रभारित किरायों के गैर-भुगतान की पीसीडीए, पुणे द्वारा जून 1997 की अपनी रिपोर्ट में भी टिप्पणी की गई एवं मामले को अभी तक हल नहीं किया गया था (दिसंबर 2015)। इस प्रकार, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि एटीएन में प्रस्तुत की गई सूचना गलत थी।

इसके अतिरिक्त कुछ यूआरसी में अधिकृत क्षेत्र से संदर्भित किरायों के भुगतान में आई विसंगतियों को भी देखा गया जैसा कि नीचे तालिका 24 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 24: यूआरसी द्वारा किराया भुगतान तथा अपने अधीन रखे क्षेत्र के ब्योरें

क्र.सं.	यूआरसी के नाम	अधिकृत क्षेत्र एसक्यूएम	मासिक औसत भुगतान किया गया किराया (₹)	प्रति एसक्यूएम दर (₹)
1	**एफ रेस कोर्स, दिल्ली**	86398	1,483	0.02
2	**मुख्यालय दिल्ली एरिया स्टेशन; दिल्ली**	24000	3,969	0.17
3	**एएफ डब्ल्यू एसी दिल्ली**	972	45,650	46.97
4	**एएफ कोमेरो कॉम्पलेक्स दिल्ली**	1755	1,02,550	58.43
5	**मुख्यालय सीसी लखनऊ**	25297	27,920	1.10
6	**वज्र स्टेशन कैंटीन जलंधर**	2321	46,508	20.04
7	**स्टेशन कैंटीन कानपुर**	400	8597	21.49
8	**गोल्डन पाम बैंगलोर**	5543	76536	13.81

यूआरसी द्वारा भुगतान किया गया औसत किराया ₹ 0.02 से ₹ 58.43 प्रति स्कवॉयर मीटर की रेंज में था तथा एक ही स्टेशन जैसे कि दिल्ली में भुगतान किया गया किराया भी असमान था जो किरायों के निर्धारण में विसंगतियों को सूचित करता है। सेना अभियंता सेवाएँ द्वारा निर्धारित दिल्ली स्टेशन के लिए प्रति एसक्यूएम ₹ 18.87 की किराया दरों को लेते हुए वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान दो यूआरसी (क्रमांक सं. 1 एवं 2, तालिका 24) द्वारा किरायों में भुगतान की कमी ₹14.96 करोड़ पाई गई जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष में हानि तथा रेजिमेंटल निधि में बढ़ोतरी हुई।

इसके अतिरिक्त, आवास संबंधी मापण (एसओए) 2009 के अनुसार, उन युनिटों में जहाँ यूनिट की संख्या 1000 अन्य रैंक (ओआर) से संबंधित संस्थानों के लिए 240 एसक्यूएम को अधिकृत किया गया है। एसओए के अंतर्गत यूआरसी, ओआर संस्थान का एक भाग है। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यूआरसी संपूर्ण संस्थान के लिए निर्धारित एरिया से लगभग 360 गुना अधिक क्षेत्र धारण किए हुए थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर देते हुए, सीएसडी निदेशालय ने बताया (जुलाई 2016) कि अधिकृत इमारत के लिए, सरकारी मानदंडों के अनुसार, यूआरसी किरायों एवं प्रभारों का भुगतान करते हैं

तथा एमईएस/सीपीडब्ल्यूडी जहाँ कही भी लागू हो, बिल बनाते हैं तथा समय पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे।

क्योंकि यूआरसी द्वारा स्वयं किराए के गैर-भुगतान के ब्योरे को लेखापरीक्षा को सूचित किया था, प्रस्तुत उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं था।

निष्कर्ष 17:

सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा निर्धारित की गई दरों से भिन्न दरों पर यूआरसी वस्तुओं का विक्रय कर रहे थे तथा राज्य सरकार की वॅट अधिसूचना को क्रियान्वित करने में असफल रहे। यूआरसी द्वारा शराब का आहरण अधिकृत मात्रा से अधिक किया गया, पीएसी को दिए गए आश्वासन के विरूध्द, नाममात्र किराया/किराया मुक्त आवास का लाभ लिया तथा शांतिपूर्ण इलाकों में स्थित यूआरसी के कार्यों के लिए सेवा कार्मिकों की तैनाती की गई। इससे सूचित होता है कि सीएसडी का यूआरसी के कार्यों पर नियंत्रण नहीं है जो उपभोक्ताओं तथा सीएसडी के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्यरत है। यद्यपि यूआरसी के कार्यचालन के लिए दिशा- निर्देश को सीएसडी निदेशालय द्वारा कथित रूप में जारी किया गया, पर इसके पालन की जाँच करने के लिए कोई यंत्रणा अस्तित्व में नहीं है। परिणामस्वरूप, सीएसडी द्वारा उपभोक्ताओं को कम दर पर गुणवत्तायुक्त वस्तुओं को उपलब्ध करवाए जाने का उद्देश्य विफल होता है। यूआरसी एक स्वतंत्र संस्था नहीं है क्योंकि वह अकेले सीएसडी के बिना कार्य नहीं कर सकती एवं सीएसडी से प्राप्त वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का विक्रय नहीं करती है। अत:, यह दावा कि यूआरसी सीएसडी की एक विस्तारित शाखा के रूप में नहीं है तर्कसंगत नहीं है।

सिफारिशें

17. क्योंकि क्यूडी के रूप में वित्तीय सहायता, रक्षा सेवाओं द्वारा समर्थित सेवा कार्मिकों की तैनाती तथा यूआरसी को नाममात्र किराया/किराया मुक्त आवास उपलब्ध करवाया जाता है, पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा की सिफारिश जिसमें यूआरसी को संसद की जवाबदेही व्यवस्था के तहत लाने की बात पुन: दोहराई जाती है।

18. चूँकि यूआरसी सीएसडी की एक विस्तृत भुजा है एवं इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सीएसडी को यूआरसी की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण जैसे पद्धति को लाना चाहिए जिससे कि इस आश्वासन पर पहुँचा जा सके कि मंजूरीकृत दरों पर यूआरसी वस्तुओं को विक्रय कर रही है।

19. मंत्रालय/सीएसडी को यह सुनिश्चित करने के लिए यंत्रणा को मजबूत बनाना चाहिए ताकि प्राधिकृत तैनाती के अनुसार ही शराब का यूआरसी में विक्रय हो जिससे कि सिविल मार्केट

में इसके लीकेज को रोका जा सके तथा आबकारी शुल्क विभाग द्वारा अनुमोदित की गई सीमा के साथ माँग का मिलान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत तैनाती पर नहीं बल्कि वास्तविक तैनाती के आधार पर शराब से संबंधित लायसेंस लिए जाने चाहिए।

20. यूआरसी के लिए आवश्यक क्षेत्र, जिसमें पार्किंग क्षेत्र भी शामिल है, को विशिष्ट रूप से आवास संबंधी मापण (एसओए) में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली **(पराग प्रकाश)**
दिनांकः 26 दिसम्बर 2016 **महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः 26 दिसम्बर 2016 **भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक 'ए'

(इस रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 1.3)

निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल 37 यूआरसी के ब्योरों को निर्दिष्ट करने वाली विवरणी

क्रम संख्या	यूआरसी का नाम
1	मुख्यालय दिल्ली एरिया स्टेशन कैंटीन
2	एएफ कैंटीन रेस कोर्स
3	एएफ कैंटीन केमेरो कॉम्पलेक्स
4	एएफ कैंटीन पश्चिमी वायु कमान
5	मुख्यालय केंद्रीय कमान लखनऊ
6	गोल्डन पाल्म बैंगलोर
7	मुख्यालय दक्षिणी कमान, पुणे
8	कोबरा कैंटीन जबलपुर
9	रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान
10	राज राइफल रेजिमेन्टल सेंटर
11	7 वायु सेना अस्पताल
12	एएफ चाकेरी कानपुर
13	स्टेशन कैंटीन कानपुर
14	एएससी सेंटर बैंगलोर
15	सेना इंजीनियरिंग कॉलेज दापोडी
16	वज्र स्टेशन कैंटीन जालंधर
17	ईएसएम कैंटीन गुड़गाँव
18	मुख्यालय एमपी सब एरिया भोपाल
19	मुख्यालय 24 इन्फैंट्री ब्रिगेड
20	मुख्यालय 21 कॉर्प चकरा
21	ईएसएम पीएसए कराड
22	आइएनसीएस कारवार
23	आइएनएस शिवाजी लोनावला
24	गोल्डन लायन कैंटीन
25	55 (आई) मॅक ब्रिगेड
26	एएफ स्टेशन बीडी बारी
27	सेना कॉलेज जबलपुर
28	सेना अस्पताल जबलपुर
29	मुख्यालय 39 आर्मर्ड ब्रिगेड
30	20 मैक इन्फन्ट्री
31	20 विंग वायु सेना
32	ई-एन-सी ब्रांच कश्मीर हाऊस
33	आयुध डिपो इलाहाबाद
34	डीजी एनसीसी आरकेपुरम
35	मुख्यालय 7 इन्फैंट्री ब्रिगेड
36	मुख्यालय तट रक्षक
37	मुख्यालय सी ए एम एस दिल्ली

'अनुलग्नक बी'

(रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 4.6.1 से)

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए सीएसडी के वार्षिक लेखों में लिए गए दायित्वों तथा अतिरंजित परिसम्पतियों के ब्योरों को निर्दिष्ट करने वाली विवरणी

वर्ष	प्रतिबिंबित शुद्ध लाभ	वास्तविक शुद्ध लाभ	मुनाफों की अतिरंजिता के कारण	(₹ करोड़ में)	
2012-13	219.35	(-) 57.87	दायित्वों को कम कर दिखाया जाना		**178.94**
			बकाया लेनदारों का कम प्रावधान	76.21	
			वॅट के प्रति बकाया दायित्व का किराया चुंगी आदि को कम दिखाया जाना	100.01	
			समायोजित दंड अप्रतिबिंबित होना	2.72	
			परिसंपत्तियों को बड़ा-चढ़ाकर दिखाना		**98.28**
			क्लोंजिंग स्टॉक का अधिमूल्यण	2.55	
			वॅट/चुंगी का अतिरिक्त संग्रह	17.79	
			संदेहास्पद बकाया वॅट वापसी दावे	56.84	
			अस्वीकृत वॅट वापसी दावे	17.65	
			कार्य व्यय का कम लेखांकन	1.51	
			संदिग्ध ऋण	3.88	
			पूर्वित खर्चों का गलत लेखांकन	-0.50	
			खाते के अंतर्गत आबकारी डिपॉज़िट की अंत: शेष राशि	- 1.48	
			बकाया यूआरसी ऋण को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना	0.04	
2013-14	177.94	(-) 38.20	दायित्वों को कम दिखाया जाना		**216.14**
			विविध लेनदारों का कम दिखाया जाना	216.14	
2014-15	235.69	70.22	परिसम्पत्तियों की अतिरंजिता		**165.47**
			संदेहास्पद बकाया वॅट वापसी दावे	95.23	
			एएफडी का बढ़ा हुआ विक्रय	70.24	

'अनुलग्नक सी'

इस रिपोर्ट का संदर्भित पैरा 4.8)

2014-15 के दौरान सीएसडी तथा सिविल मार्केट में लागू वॅट दरों को निर्दिष्ट करने वाली विवरणी

राज्य	स्थल डिपो	सीएसडी द्वारा की गई खरीद पर वॅट	सीएसडी द्वारा विक्रय पर वॅट	सिविल पर लागू वॅट	अभ्युक्तियाँ
* दिल्ली	दिल्ली	12.50-20%	0%	12.50-20%	* एएफडी विद्युतीय, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर छूट प्राप्त न होना। खरीद के दौरान भुगतान की गई वॅट को संबंधित राज्य सरकार से वापसी के रूप में दावा किया जाता है।
महाराष्ट्र*	मुम्बई एवं खड़की	5%	0%	5%	
गुजरात	अहमदाबाद	1-12.50%	0%	1-12.50%	
कर्नाटक*	बैंगलोर	14.50%	5.5%	14.50%	
तेलंगाना*	सिकंदराबाद	5-14.50%	0%	5-14.50%	
आंध्र प्रदेश*	विशाखापटनम	5-14.50%	0%	5-14.50%	
हरियाणा#	अम्बाला एवं हिसार	4.20%	0%	5.25 to 13.125%	# यदि क्यूएमजी अर्थात सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा विक्रय किए जाने वाले वस्तुओं पर कीमत का निर्धारण किया जाए तो खरीद पर वॅट लागू तथा विक्रय पर छूट दी जाती है। खरीद के दौरान भुगतान की गई वॅट की राशि को बिक्री की कीमत लगाने समय इसे लागत शीट में शामिल किया जाना होता है।
राजस्थान#	बिकानेर एवं जयपुर	3%	0%	1-14.50%	
मध्य प्रदेश#	जबलपुर	4%	0%	5-13.50%	
असम# (शराब पर कोई रियायत नहीं)	मसीमपुर, मीसामारी तथा नारंगी	5%	0%	5-14.50%	
पंजाब	भटिंडा एवं जालंधर	4.004%	4.004%	6.05-14.30%	
हिमाचल प्रदेश	पठानकोट	4.004%	4.004%	6.05-14.30%	
उत्तराखंड	देहरादून	0%	0%	1-13.50%	इलैकट्रॉनिक वस्तुओं पर छूट न दिया जाना
नागालैंड	दीमापुर	5%	5%	13.25%	शराब पर कोई रियायत नहीं
केरल	कोची	2.50-7.25%	2.50-7.25%	5-14.50%	50 प्रतिशत रियायत
पश्चिम बंगाल	बाघडोगरा एवं कोलकाता	5-14.50%	5-14.50%	5-14.50%	कोई रियायत नहीं
जम्मू कश्मीर	बीडी बारी, श्रीनगर, लेह, उधमपुर	5-13.50%	5-13.50%	5-13.50%	

अनुलग्नक 'डी'

(इस रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 2.2 तथा 4.8.1)

विभिन्न एरिया डिपो से वर्षवार बकाया वॅट वापसी दावों को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष/डिपो	ए तथा बी मुम्बई	खड़की	अहमदाबाद	दिल्ली	बैंगलोर	जबलपुर	सिकंदराबाद	विशाखापटनम
2005-06	28262758	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2006-07	199980402	1731689	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2007-08	354466647	2641328	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2008-09	174658488	3445390	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2009-10	487364985	58207282	xxx	108659482	xxx	94427683	xxx	xxx
2010-11	462669262	44600154	xxx	211521465	xxx	113010225	xxx	xxx
2011-12	557694349	185889563	20360951	201852462	xxx	xxx	xxx	xxx
2012-13	457917445	240513707	52590924	235214462	xxx	xxx	xxx	xxx
2013-14	365038960	265078393	156447821	257249164	23476562	xxx	602	33130927
2014-15	808181745	xxx	115143203	315854930	45301486	xxx	380177367	212206477
2015-16	958502934	xxx	739742197	331977103	22695895	xxx	366907517	324869369
कुल	4854737975	802107506	1084285096	1662329068	91473943	207437908	747085486	570206773
कुल बकाया वापसी दावा **₹ 10019663755** (कहे- **₹ 1001.97**करोड़)								

ए तथा बी= एरिया डिपो तथा बेस डिपो मुम्बई

जानकारी का स्रोत: सीएसडी (मुख्यालय) पत्र संख्या 6/जीएल/एफ एण्ड ए/एए/14-15/764 दिनांक 21/3/2016

अनुलग्नक 'ई'

(इस रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 6.1)

खुदरा दरों में शामिल मुनाफों की प्रतिशतता में विभिन्नता

क्रम सं.	यूआरसी	चाय		साबुन		कलाई घड़ियाँ		चॉकलेट	
		प्राधिकृत	भारित	प्राधिकृत	भारित	प्राधिकृत	भारित	प्राधिकृत	भारित
1	20 विंग एएफ बाघडोगरा	1	5	3	5	2	5	0	5
2	मुख्यालय सीसी लखनऊ	1	4.70	3	4.70	2	4	0	2.5
3	मुख्यालय 7 इन्फन्ट्री ब्रिगेड	1	5	3	5			0	5
4	स्टेशन कैंटीन कानपुर	1	5	3	5				
5	7 एएफ कानपुर	1	5	3	5	2	5	0	5
6	आयुध डिपो इलाहाबाद			3	5	2	5	0	5
7	स्टेशन कैंटीन दिल्ली एरिया							0	5
8	डीएसओआई धौंला कुँआ							0	5
9	ए एफ कैंटीन दिल्ली							0	5
10	ए एफ कैंटीन केमेरो	1	5	3	5	2	5	0	5
11	डब्ल्यूएसी सुब्रोतो पार्क			3	5			0	5
12	ई-एन-सी शाखा	1	3	3	5			0	5
13	आरआरआरसी (दिल्ली छावनी)	1	5					0	1
14	डीजी एनसीसी (नई दिल्ली)	1	2	3	5	2	5	0	5
15	तट रक्षक दिल्ली			3	5			0	5
16	आईएनएस शिवाजी	1	5	3	5	2	5		
17	आईएनसीएस कारवार	1	5						
18	23 विंग वायु सेना			3	5	2	3	0	5
19	सेना अस्पताल जबलपुर	1	3					0	5
20	मुख्यालय 55(आई) मॅक ब्रिगेड					2	3	0	5
21	20 मॅक इन्फन्ट्री							0	5
22	मुख्यालय 21 कॉर्प चकरा	1	5	3	5	2	5	0	5
23	मुख्यालय पश्चिम एमपी सब एरिया, जबलपुर			3	5			0	5
24	वज्र गोल्डन लायन कैंटीन	1	3					0	5
25	वेटरन कैंटीन गुड़गाँव			3	5			0	5
26	सीएमएम जबलपुर							0	5
27	मुख्यालय 24 इन्फन्ट्री डीविजन बिकानेर	1	5	3	5			0	5
28	वज्र स्टेशन कैंटीन	1	3	3	5				
29	कोबरा कैंटीन जबलपुर			3	5				

जानकारी का स्रोत: प्रोफार्मा यूआरसी-I में यूआरसी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना (100 वस्तुओं की सूची)

अनुलग्नक 'एफ'

(रिपोर्ट का संदर्भित पैरा 6.3.1)

अन्य युनिट/फार्मेशन (उच्चतर फार्मेशन) के लिए क्यूडी राशि के हस्तांतरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	यूआरसी	प्राप्त क्यूडी (₹ लाख में)	हस्तांतरित की गई राशि (₹ लाख में)	हस्तांतरण की प्रतिशतता	मुख्यालय को हस्तांतरित फार्मेशन
1	20 विंग वायु सेना	55.98	29.24	52.23	आईएएफसीडब्ल्यूएएफ, कमान सीडब्ल्यूएफ तथा कैंटीन सामान्य निधि
2	7 एएफ अस्पताल	307.74	195.08	63.39	
3	एएफ चाकेरी कानपुर	320.46	162.40	50.68	
4	एएफ कैंटीन रेस कोर्स	804.91	338.87	42.10	आईएएफ सीडब्ल्यूई, एमसी सीडब्ल्यूएफ तथा कैंटीन सामान्य निधि
5	एएफ कैंटीन डब्ल्यूएसी	541.37	301.06	55.61	
6	एएफ कैंटीन केमेरो	660.93	409.95	62.03	आईएएफ सीडब्ल्यूई, आईएएफबीए
7	आयुध डिपो इलाहाबाद	34.83	5.70	16.36	स्टेशन सेल इलाहाबाद
8	मुख्यालय सीसी लखनऊ	1179.51	614.05	52.06	मुख्यालय सीसी लखनऊ
9	मुख्यालय दिल्ली एरिया स्टेशन कैंटीन	913.28	142.03	15.55	मुख्यालय पश्चिम कमान
10	ई-एन-सी शाखा	170.45	79.92	46.89	मुख्यालय ई-एन-सी शाखा
11	राज राइफल रेजिमेंट सेंटर	149.18	7.29	4.89	मुख्यालय दिल्ली एरिया, नई दिल्ली
12	डीजी एनसीसी, आरके पुरम	24.29	6.17	25.40	रेजिमेंटल निधि के लिए हस्तांतरित
13	23 विंग एएफ जम्मू	64.20	42.63	66.40	जीएमएफ, आईएएफ सीडब्ल्यूएफ, सीडब्ल्यूएफ
14	सेना अस्पताल जबलपुर	37.03	3.38	9.13	स्टेशन सेल जबलपुर
15	सीएमएम जबलपुर	35.42	0.77	2.17	स्टेशन सेल जबलपुर
16	कोबरा कैंटीन जबलपुर	568.75	55.98	9.84	स्टेशन सेल जबलपुर
17	वैटरन ईएसएम गुड़गाँव	297.72	124.79	41.92	मुख्यालय डब्ल्यूसी, मुख्यालय 2 कार्प, मुख्यालय 40 आरटी डीविज़न इत्यादि
18	वज्र स्टेशन कैंटीन जालंधर	468.38	170.97	36.50	विविध युनिट/फार्मेशन
19	आईएनसीएस कारवार	91.83	64.79	70.55	भारतीय नौसेना एमेनिटी निधि आईएचक्यू/रक्षा मंत्रालय/ गैर लोक निधि (पीडीएनपीएफ) के प्रधान निदेशक, नई दिल्ली
20	ईएसएम पीएसए कराड	120.61	72.90	60.44	मुख्यालय पीएसए पुणे
21	मुख्यालय के एण्ड के सब एरिया	856.50	121.43	14.18	विविध युनिट/फार्मेशन
		7703.37	2949.40	38.29	

जानकारी का स्रोत: क्यूडी लेखों को यूआरसी द्वारा अनुरक्षित तथा लेखापरीक्षा को यूआरसी द्वारा भेजी गई जानकारी ।

अनुलग्नक "जी"

(इस रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 6.3.1)

खाते में मौजूद किन्तु प्रयुक्ति प्रमाणित क्यूडी राशि को दर्शाने वाली विवरणी

यूआरसी का नाम	प्रयुक्ति प्रमाणपत्र की तिथि	प्रयुक्ति प्रमाणपत्र में दी गई क्यूडी राशि की संख्या (₹ लाख में)	क्यूडी लेखों में पड़ी अप्रयुक्त राशि (₹ लाख में)	यूआरसी का संक्षिप्त उत्तर
स्टेशन कैंटीन कानपुर	22/4/2015	65.22	47.09	माह नवंबर 2014 एवं माह फरवरी 2015 के दौरान तीनों चरण में वर्ष 2012-13 के क्यूडी राशि को बहुत विलंब में प्राप्त किया गया। विभिन्न वर्षों के क्यूडी राशि को एकत्रित रूप में विलंब से प्राप्त किया गया तथा जो यूआरसी स्तर में संदिग्धता की निर्मिती करता है।
मुख्यालय तट रक्षक, दिल्ली	15/10/2014	14.01	25.85	यूआरसी सीजीएचक्यू में कैंटीन की कमी तथा योग्य भंडारण जगह की अनुपलब्धि के कारण यह निर्णय लिया गया कि सीजीएचक्यू में नई अच्छी कैंटीन की निर्मिती की जाएगी तथा उसकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु क्यूडी राशि को प्रयोग में लाया जाएगा। माह नवंबर 2015 की शुरूआत में इन कार्यों को संपूर्ण किया जाएगा तथा वर्ष 2012 तथा 2013 की क्यूडी राशि को नवंबर 2015 तक प्रयोग में लायी जाएगी।
	30/6/2015	8.60	26.29	
मुख्यालय दिल्ली एरिया स्टेशन कैंटीन, दिल्ली छावनी	30/9/2013	237.32	23.66	प्रयुक्ति प्रमाणपत्र जिसे जमा किया गया था, सूचित नहीं करता कि संपूर्ण राशि का प्रयोग किया गया लेकिन यह इंगित करता है कि रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में प्रख्यापित उद्देश्य के लिए जिस राशि को खर्च किया जाना था, उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई।
एएफ स्टेशन रेस कोर्स, दिल्ली	17/9/2014	320.37	199.41	क्यूडी राशि को विविध कल्याणकारी कार्यों के लिए व्यय किया गया। तदनुसार, प्राधिकृत आबंटित क्यूडी राशि की वापसी के लिए, प्रयुक्ति प्रमाणपत्र को दिया गया। इस प्रकार यह व्यय किसी बुरी नियत से नहीं किया गया।
	19/5/2015	167.20	239.23	
		कुल अव्ययित राशि	**561.53**	

#प्रमाणपत्र की तिथि

जानकारी का स्रोत: यूआरसी द्वारा अनुरक्षित क्यूडी लेखों तथा लेखापरीक्षा के लिए यूआरसी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी।

अनुलग्नक 'एच'

(इस रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 6.3.1)

चार्टर्ड अकाऊटंट द्वारा प्रमाणित अप्रयुक्त क्यूडी की राशि को निर्दिष्ट करने वाली विवरणी

यूआरसी का नाम	प्रयुक्तता प्रमाणपत्र की तिथि	प्राप्त की गई क्यूडी की कुल राशि (₹)	सीए के अनुसार प्रयुक्त की गई क्यूडी (₹)	अप्रयुक्त राशि (₹)	यूआरसी का संक्षिप्त उत्तर
एएफ केमेरो, दिल्ली	24.09.2014	24486305	23957193	529112	वायुमुख्यालय/26100/27/डी एसीसीटीएफ सीएसडी दिनांक 01/06/2012 के प्रचलन परिपत्र में नीति तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार क्यूडी की अव्ययित राशि को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लिया गया।
	03.05.2015	14590681	13291832	1298849	
डब्ल्यूएसी, दिल्ली	05.06.2013	5124506	5058445	66061	डीएसीएल 03/2012 के पैरा-II में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्यूडी के अव्ययित हिस्से को आगे लिया गया। हाल के यूआरसी के नवीकरण की लागत के लिए यूआरसी हिस्से के लिए इस राशि को निर्धारित किया था।
	24.09.2014	18668734	14069750	4598984	
	24.05.2015	11509349	7620751	3888598	
सीएएमएस दिल्ली	07.06.2013	403517	166000	237517	इस यूनिट द्वारा सरकार को अव्ययित राशि की वापसी के लिए दी गई दिशा निर्देशों को प्राप्त नहीं किया गया। अत: इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया था तथा प्रयुक्तता प्रमाणपत्र में भी प्रभाव प्रतिबिंबित होती है।
आईएनएस शिवाजी	15.10.2013	1234038	394712	839326	*630539/- की प्रारंभिक शेष शामिल **107929/- की ब्याज़ शामिल
	06.01.2014 And 29.12.2014	*3837837	3548724	**397042	
	27.07.2015	1658561	890100	768461	
			कुल ₹	**12623950**	

कहे - ₹ 1.26 crore

जानकारी का स्रोत: यूआरसी द्वारा प्रस्तुत क्यूडी की प्रयुक्ति से संबंधित जानकारी

'अनुलग्नक आई'

(रिपोर्ट का संदर्भित पैरा संख्या 6.5)

उक्त यूआरसी द्वारा प्रस्तुत यूआरसी में सेवा कार्मिकों की तैनाती का ब्योरा निर्दिष्ट करने वाली विवरणी

क्र. सं..	यूआरसी	सेवा कार्मिकों का ब्योरा
1	सीएएमएस दिल्ली	1 अधिकारी (लेफ्टिनेंट कर्नल), 1 हवलदार तथा 1 सिपाही
2	सीएमई, दापोडी	2 जेसीओ, 01 हवलदार
3	आईएनएस शिवाजी, लोनावाला	1अधिकारी, 5 जेसीओ/ओआर
4	एएससी सेंटर एण्ड कॉलेज बैंगलोर	1 अधिकारी, 2 जेसीओ तथा 12 ओआर
5	आईएनसीएस कारवार	1 अधिकारी
6	कोबरा कैंटीन	1 अधिकारी
7	23 विंग वायु सेना	1 अधिकारी, 1 जेसीओ/ओआर
8	सेना अस्पताल जबलपुर	1 अधिकारी, 2 जेसीओ/ओआर
9	एचक्यू 55 (आई) मॅक ब्रिगेड	1 अधिकारी, 1 जेसीओ, 14 ओआर
10	20 मॅक इन्फन्ट्री	3 ओआर
11	मुख्यालय 21 कॉर्प्स चक्र	1 अधिकारी, 4 जेसीओ, 1 ए/सी क्लर्क 11 ओआर
12	एचक्यू पश्चिम एमपी सब एरिया	1 अधिकारी, 3 ओआर
13	एचक्यू 39 आर्मर्ड ब्रिगेड	1 अधिकारी, 3 जेसीओ/ओआर
14	सीएमएम जबलपुर	1 अधिकारी, 1 जेसीओ
15	एचक्यू 24 इन्फन्ट्री डीविज़न बिकानेर	1 अधिकारी, 4 जेसीओ/ओआर

जानकारी का स्रोत: यूआरसी-**I** प्रोफार्मा के क्रम सं. 17 के तहत यूआरसी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी।

संक्षिप्तियाँ

	ए
एई	वास्तविक व्यय
एएफ	वायु सेना
एएफ एचओएसपी	वायु सेना अस्पताल
एएफ डब्ल्यूएसी	वायु सेना पश्चिमी वायु कमान
एएफडी	फर्म माँग के सम्मुख
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एएचक्यू	सेना मुख्यालय
एओए	वायु सेना मुख्यालय अधिकारी
एआर	लेखापरीक्षा रिपोर्ट
सेना एचक्यू	सेना मुख्यालय
एएससी कॉय	सेना आपूर्ति कॉर्प्स कंपनी
एएसएसटी जीएम	सहायक महा प्रबंधक
	बी
बीई	बजट आकलन
बीओए	प्रशासन बोर्ड
बीओसीसीएस	नियंत्रण बोर्ड, कैन्टीन सेवाएँ
	सी
सीएएमएस	स्वचालित मिलिटरी सर्वेक्षण का केंद्र
सीएंडएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीए	चार्टर्ड अकाऊटंट
सीबीआई	केंद्रीय जाँच ब्यूरो
सीडीए	रक्षा लेखा नियंत्रक
सीडीएस	कॉम्पैक्ट डिस्क
सीएफए	सक्षम वित्तीय प्राधिकारी
सीएफआई	भारत की समेकित निधि
सीएफएल	समग्र खाद्य प्रयोगशालाएँ
सीजीडीए	रक्षा लेखा महानियंत्रक
सीजीईजीआईएस	केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना
सीजीएचक्यू	तट रक्षक मुख्यालय
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआईडीसीओ	शहर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

सीआईएमएस	कैंटीन इन्वेन्ट्री प्रबंधन सेवाएँ
सीएमई	मिलिटरी इंजीनियरिंग कॉलेज
सीएमएम	वस्तु प्रबंधन कॉलेज
सीओपी	चीफ ऑफ पर्सनल
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएसडी	कैंटीन भंडार विभाग
सीएसडी (एचओ)	कैंटीन भंडार विभाग (मुख्यालय)
सीएसटी	केंद्रीय विक्रय कर
सीटीडी	वाणिज्यिक कर विभाग
सीटीएस	कैंटीन व्यापार अधिशेष
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता कमीशन
	डी
डीसीआरजी	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान
डीडी	माँग पत्र
डीडीजीसीएस	उप महानिदेशक कैंटीन सेवाएँ
डीजी सीजी	महानिदेशक तट रक्षक
डीजी एनसीसी	महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स
डीजीएडीएस	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ
डीपीडीओ	रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी
डीएसओआई	रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान
डीटीई जीईएन	महा निदेशालय
डीवाई जीएम	उप महाप्रबंधक
	ई
ईडीपी	इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग
ई-इन-सी	इंजीनियर इन चिफ
ईएसएम	भूतपूर्व सेवाकार्मिक
	एफ
एफ एंड ए	वित्तीय एवं लेखा
एफओआर	फ्री ऑन रोड
एफएसएसए	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
एफएसएसएआय	भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
	जी
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियमावली
जीएम	महा प्रबंधक
जीओसी	जनरल ऑफिसर कमान्डिंग

जीपी	सकल मुनाफ़ा
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
जीएस	सामान्य भंडार
	एच
एचक्यू	मुख्यालय
एचक्यू सीसी	मुख्यालय केंद्रीय कमान
एचक्यू आईडीएस	मुख्यालय एकीकृत रक्षा सेवाएँ
एचक्यू के एंड के	मुख्यालय केरल एवं कर्नाटक
एचक्यू एससी	मुख्यालय दक्षिण कमान
एचक्यू एसएफसी	मुख्यालय सामरिक बल कमान
	आई
आईसीएसडीएस	एकीकृत कैंटीन भंडार विभाग प्रणाली
आईडीटी	आंतर डिपो हस्तांतर
आईएफए	आंतरिक वित्तीय सलाहकार
आईएनसीएस	भारतीय नौसेना कैंटीन सेवाएँ
आईएनएफ बीडीई	इन्फन्ट्री ब्रिगेड
आईएनएफ डीआईवी	इन्फन्ट्री डिविज़न
आईएनएस	भारतीय नौसेना पोत
	जे
जे एंड के	जम्मू एवं कश्मीर
जेसीओएस	जूनियर कमिशन्ड अधिकारी
संयुक्त जीएम	संयुक्त महा प्रबंधक
	के
केजी	किलोग्राम
	एल
एलएबीएस	प्रयोगशालाएँ
एलआईएफ	शराब आयातित एवं खाद्य
एलपीओ	स्थानीय खरीद आदेश
एलटीआर	लीटर
	एम
एमए	संशोधित विनियोग
एमएएच	महाराष्ट्र
एमईएस	सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएँ
एमएच	प्रमुख शीर्ष

मिल हॉस्प	सैन्य अस्पताल
एमआई	चिकित्सा निरीक्षण
एमआईआर	मासिक सूचना रिपोर्ट
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओडी (एफआईएन)	रक्षा मंत्रालय (वित्तीय)
एमएस	प्रबंधन सेवाएँ
	एन
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनपी	शुद्ध मुनाफ़ा
एनटीएच	राष्ट्रीय परीक्षण हाऊस
	ओ
ओडी	आयुध डिपो
ओआर	अन्य रैंक
	पी
पी एंड ए	कार्मिक एवं प्रशासन
पी एंड एल	लाभ एवं हानि
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीसीडीए	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक
पीई/डब्ल्यूई	शांति संस्थापन/युद्ध संस्थापन
पीएनसी	मूल्य वार्ता समिति
पीआरसी	मूल्य संशोधन समिति
पीएसए	पुणे सब एरिया
पीएससी	प्राथमिक जाँच समिति
	क्यू
क्यूडी	मात्रात्मक छूट
क्यूएमजी	क्वार्टर मास्टर जनरल
क्यूएमजी की रिपोर्ट	क्वार्टर मास्टर जनरल के प्रतिनिधि
	आर
आरआरआरसी	राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र
आर एंड पी	प्राप्ति एवं भुगतान
आर/दर	खुदरा दर
आरई	संशोधित आकलन
आरएम	क्षेत्रीय प्रबंधक
आरआरएम	रक्षा राज्यमंत्री
आरटीसी	क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र

आरईपी	रिप्रजेन्टेटिव
	एस
एसईसी बीओसीसीएस	नियंत्रण बोर्ड कैंटीन सेवाओं के सचिवालय
एसईसीवाई	सचिवालय
एसक्यूएम	स्केअर मीटर
एसटीएन	स्टेशन
	टी
टीएन	तमिलनाडु
	यू
यूसी	प्रयुक्ति प्रमाणपत्र
यूपी	उत्तरप्रदेश
यूआरसी	यूनिट रन कैंटीन
	वी
वीएटी	मूल्य वर्धित कर
वीईडी	महत्वपूर्ण आवश्यक और वांछनीय
वीओ	सतर्कता अधिकारी

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in